

• वर्ष 25 • अंक 2
• जनवरी-मार्च 2013



बैंकिंग वित्त-अनुवित्त


बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

25

राजत जयंती वर्ष
1988 - 2012



खुदरा क्षेत्र में
एफडीआई





बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

● संपादक मंडल	1
● संपादकीय	2
● अनुचिंतन	4
● एक करेंसी नोट की जीवन यात्रा - छपने से नष्ट होने तक	आर. एस. तिवारी 6
● बैंकिंग में ग्राहक हित रक्षा - बैंकिंग लोकपाल निर्णीत मामलों के आलोक में	डॉ. सुबोध कुमार एवं राजपाल सिंह रावत 11
● भारतीय समाज के समग्र विकास में वित्तीय समावेशन की भूमिका	अभिनय कुमार झा 22
● संदेहास्पद लेनदेन प्रतिवेदन	विनय कुमार पाठक 26
● इतिहास के पन्नों से	सावित्री सिंह 29
● बहु-ब्रैंड खुदरा कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश - मुद्दे एवं विवेचना	निधि चौधरी 33
● भारत की वर्तमान परिस्थितियों में एफडीआई का महत्व	संतोष श्रीवास्तव 37
● मोबाइल कंपनियों का जाल : बैंकिंग व्यवसाय के पार	संदीप भारद्वाज एवं योगराज 40
● स्वत्व की जांच	परवेज अख्तर 45
● मनरेगा : राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय प्रदर्शन का अभाव	डॉ. राजीव कुमार सिन्हा 50
● घूमता आईना	के. सी. मालपानी 53
● पुस्तक समीक्षा	एच. पंद्रीनाथ 57
● लेखकों से/पाठकों से	59
● सुझाव आमंत्रित हैं	60



संपादक-मंडल

प्रबंध संपादक

डॉ. रमाकांत गुप्ता
महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य सचिव

के. सी. मालपानी
प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई



कार्यकारी संपादक

सावित्री सिंह
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई - 400 018

सदस्य

एस. एन. मिश्रा

मुख्य महाप्रबंधक
इंडियन ओवरसीज बैंक, चेन्नै

डॉ. प्रमोद कुमार

महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

अनुल अग्रवाल

महाप्रबंधक (लेखा-परीक्षा)
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

एम. वी. अशोकन

उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

ब्रिजराज

संकाय सदस्य एवं उप महाप्रबंधक
रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै

डॉ. हरियश राय

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

अरुण श्रीवास्तव

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

डॉ. अजित कुमार

संकाय सदस्य एवं सहायक महाप्रबंधक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो।
इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है बरते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

डॉ. रमाकांत गुप्ता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई 400 018 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा
इंडिया प्रिंटिंग वर्क्स, मुंबई में मुद्रित।

इंटरनेट <http://www.rbi.org.in/hindi> पर भी उपलब्ध। E-mail : rajbhashaco@rbi.org.in फोन 2494 8263 फैक्स 2498 2077

संपादकीय....

प्रिय पाठकों,

**‘विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव
यद्वद्रं तन्न आ सुव!!’**



चिंतन

यजुर्वेद के इस श्लोक का भावार्थ यही है कि लोकोपकारी परब्रह्म हम सब को कुमार्ग पर चलने से बचाएं ताकि हम सब कल्याणकारी मार्ग पर चलते हुए स्वयं सज्जन बनें एवं दूसरों को भी सज्जन बनायें और सुखी रहें। भारत सरकार की अनेक योजनाएं ऐसी हैं जिनसे भारत में ‘सर्वे भवंतु सुखिनः’ का सपना साकार हो सकता है। ‘मनरेगा’ ऐसी ही योजनाओं में से एक है। मुझे प्रसन्नता है कि ‘मनरेगा : राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय प्रदर्शन की अनुपलब्धता’ नामक अपने लेख में डॉ. राजीव कुमार सिन्हा ने इस योजना के बारे में, जो ‘नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना’ के परम उद्देश्य को ध्यान में रखकर चलायी गई थी, काफी विश्लेषणात्मक जानकारी दी है। आशा है कि पत्रिका के पाठक इसे पसंद करेंगे। ‘मनरेगा’ की ही तरह समाज के समग्र विकास में वित्तीय समावेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और केनरा बैंक के श्री अभिनव कुमार झा ने अपने लेख में इस विषय का काफी सूचनाप्रद एवं विवेचनात्मक वर्णन किया है।

हिंदी के महान् कवि कबीर दास जी ने बिल्कुल सही लिखा है कि ‘निंदक नियरे राखिये, आँगन कुटी छवाय; बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय’। आप कितनी भी उत्तम सेवा क्यों न दें, उसमें सुधार की गुंजाइश रहती ही है और किसी भी योजना की कमियों का पता तब चलता है जब लोग उससे संतुष्ट नहीं होते हैं और शिकायत करते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत इस प्रकार की शिकायतों के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान किया गया है। डॉ. सुबोध कुमार और श्री राजपाल सिंह रावत ने अपने लेख ‘बैंकिंग में ग्राहक हित रक्षा – बैंकिंग लोकपाल : निर्णीत मामलों के आलोक में’ में बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों का उदाहरण देते हुए बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में पाठकों को काफी विस्तृत एवं उपयोगी जानकारी दी है।

इन दिनों देश के आर्थिक विकास में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भूमिका के बारे में काफी चर्चा हुई है और इसे मदेनज़र रखते हुए इस विषय पर दो लेख शामिल किए गए हैं, जिनमें से ‘बहु-ब्रैंड खुदरा कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश : मुद्दे एवं विवेचन’ नामक अपने लेख में सुश्री निधि चौधरी ने देश के बहु-ब्रैंड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश के सरकारी फैसले का सुरुचिपूर्ण विवेचन किया है।

महाभारत में महर्षि व्यास ने संजय को दूर से घटनाओं को देखने की शक्ति प्रदान की थी और आज के युग में मोबाइल एवं इंटरनेट ने यह शक्ति आम आदमी को प्रदान कर दी है। मोबाइल एवं इंटरनेट ने न सिर्फ समाज की, अपितु बैंक और बैंक के ग्राहक के बीच की दूरियां भी समाप्त कर दी हैं। श्री संदीप भारद्वाज और श्री योगराज ने अपने लेख में मोबाइल बैंकिंग का विस्तृत विवेचन किया है। जनवरी-मार्च 2012 अंक में ‘भारत में कागजी मुद्रा का क्रमिक विकास’ नामक लेख में डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी ने पाठकों को कागजी मुद्रा की कहानी से बड़े रोचक तरीके से रू-ब-रू कराया था; इस अंक में श्री आर. एस. तिवारी ने कागजी मुद्रा के एक और पहलू से पाठकों को रू-ब-रू कराया है अपने लेख ‘एक करेसी नोट की जीवन यात्रा : छपने से नष्ट होने तक’ में।

आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त अवैध निधि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दुष्प्रभावित कर सकती है और इससे निपटने के लिए विश्व भर में प्रयास किए जा रहे हैं। बैंकों को धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत संदेहास्पद लेनदेनों की रिपोर्ट वित्तीय

आसूचना इकाई को प्रस्तुत करनी होती है। इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी श्री विनय कुमार पाठक ने अपने लेख ‘संदेहास्पद लेनदेन प्रतिवेदन’ में दी है, जो किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था में कार्यरत स्टाफ के लिए उपयोगी हो सकती है। विधि और बैंकिंग का बहुत गहरा संबंध है, इसे देखते हुए बैंकिंग विधि संबंधी लेख भी पत्रिका में शामिल किए जाते हैं। इस अंक में श्री परवेज अख्तर ने अपने लेख ‘स्वत्व की जांच’ में किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले उसके स्वत्व की जांच और लेन-देन आदि में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में चर्चा की है।

साथ ही, पत्रिका की कार्यकारी संपादक श्रीमती सावित्री सिंह ने ‘इतिहास के पन्नों में’ आपका परिचय कराया है – पटियाला रियासत के तत्कालीन महाराजा श्री भूपिंदर सिंह जी के सोच-विचार के फलस्वरूप 1917 में जन्मे स्टेट बैंक समूह के एक मज़बूत स्तंभ ‘स्टेट बैंक ऑफ पटियाला’ से तथा देश-दुनिया की नवीनतम आर्थिक-वित्तीय गतिविधियों को संक्षेप में उजागर किया है – पत्रिका की संपादकीय समिति के सदस्य-सचिव श्री के. सी. मालपानी ने अपने लेख ‘धूमता आईना’ में।

अनुचिंतन

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाव और भाषा का चोली-दामन का संबंध है। भाषा और लिपि के बीच भी कुछ ऐसा ही संबंध है। देश की एकता में भाषा से भी बड़ी भूमिका लिपि निभा सकती है। आचार्य विनोबा भावे ने नागरी लिपि के महत्व को स्वीकार करते हुए यहां तक कहा था, “हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी, उससे बहुत अधिक काम देवनागरी देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी भाषाएं देवनागरी में भी लिखी जाएं।” सभी लिपियां चलें लेकिन साथ-साथ देवनागरी का भी प्रयोग किया जाए। विनोबा जी “नागरी ही” नहीं, “नागरी भी” चाहते थे। उन्हीं की सद्प्रेरणा से 1975 में ‘नागरी लिपि परिषद’ की स्थापना हुई, जो भारत की एकमात्र ऐसी संस्था है, जो नागरी लिपि के प्रचार-प्रसार में लगी है।

भारतीय भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत की प्रायः सभी प्रमुख भाषाओं की लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही जन्मी हैं। देवनागरी ब्राह्मी लिपि की सबसे व्यापक, विकसित और वैज्ञानिक लिपि है, जो भारतीय भाषाओं की सहोदरा लिपि होने के नाते इन सबके बीच स्वाभाविक रूप से संपर्क लिपि का कार्य कर सकती है। ब्राह्मी लिपि से जन्मी सभी लिपियों में परस्पर काफी समानता है, अतः नागरी लिपि इन भाषाओं के बीच सेतु का कार्य कर सकती है। देश की एकता और अखंडता के लिए ज़रूरी है कि जिस तन्मयता से हिंदी भाषा का प्रचार किया जाता है, उसी तन्मयता से नागरी लिपि को भी लोकप्रिय बनाया जाए। इससे लोग नागरी लिपि में लिखी हिंदी अवश्य किया जाएगा।

नागरी लिपि का काफी सीमा तक मानकीकरण किया जा चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि इस लिपि में लिखे गए शब्दों की वर्तनी का भी मानकीकरण किया जाए। अभी तक शहरों के नाम तक की वर्तनी में एकरूपता नहीं आयी है – कहीं ‘चेन्नै’ लिखा जा रहा है तो कहीं ‘चेन्नई’, कहीं ‘कोच्ची’ लिखा जा रहा है तो कहीं ‘कोच्चि’, कहीं ‘बैंगलूरू’ लिखा जा रहा है तो कहीं ‘बंगलूरू’। अंग्रेजी वर्णों की देवनागरी वर्तनी का मानकीकरण कराया जा चुका है, भविष्य में शहरों आदि के नाम की वर्तनी के मानकीकरण की दिशा में भी प्रयास अवश्य किया जाएगा।

पिछला अंक विशेषांक था और उसके बारे में पाठकों की अनुक्रियाओं से हमारा उत्साह काफी बढ़ा है। हम ऐसे सभी उत्साहवर्धक पाठकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पत्रिका के पाठकों से अनुरोध है कि वे इस अंक के प्रति भी अपनी अनुक्रिया और बहुमूल्य सुझाव ramakantgupta@rbi.org.in अथवा savitrisingh@rbi.org.in नामक ई-मेल पतों पर अथवा डाक से अवश्य प्रेषित करें, ताकि हम इस पत्रिका को उनकी ज़रूरतों के अधिक अनुकूल बना सकें।

सादर

(डॉ. रमाकांत गुप्ता)

अ | नु | चिं | त | न

पर्याप्ति अंतराल के बाद बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन पत्रिका का अक्टूबर-दिसंबर 2012 अंक एक मित्र के कार्यालय जाने पर संयोग से प्राप्त हुआ।

मुख पृष्ठ पर पूँजी पर्याप्तता एवं बासेल मानक विशेषांक शीर्षक ने बरबस ध्यान खींच लिया जो आज भारतीय बैंकिंग उद्योग का सर्वाधिक चर्चित विषय है। बासेल-II और बासेल-III पर इतनी सामग्री एक साथ पाकर मैंने इसकी फोटोप्रति बनवा ली तथा पत्रिका वापिस मित्र को भिजवा दी। वास्तव में इन दुर्लभ विषयों को एक कलेकर में समाहित करके आपने गागर में सागर भर दिया है। मैं पत्रिका के लेखकों और संपादक मंडल को आपके माध्यम से साधुवाद देता हूँ तथा आपके द्वारा संपादित इस महत कार्य के लिए आपको सादर नमन करता हूँ। आपने इस पत्रिका को बैंकरों के लिए संग्रहणीय बना दिया है।

बासेल-II और बासेल-III - एक तुलनात्मक परिचय, बासेल-III का भारतीय बैंकों पर प्रभाव, बासेल-III एक विहंगावलोकन आदि लेख काफी ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी हैं। श्री मालपानी ने 'धूमता आईना' में नवीन आर्थिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर महत्वपूर्ण जानकारी देकर मानो सोने पर सुहागा कर दिया है। आपके संपादकीय लेखों का तो मैं शुरू से ही मुरीद हूँ। वाग्देवी माँ सरस्वती की कृपा आपकी लेखनी पर अनवरत बनी रहे तथा हमें ऐसी ज्ञान-वर्धक बैंकिंग सामग्री बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन के माध्यम से निरंतर मिलती रहे, इसी कामना एवं सादर अभिवादन सहित।

● नैपाल सिंह

प्रबंधक, (एचआरडी)
ओरियंटल बैंक ऑफ कामस
कापरेट ऑफिस, गुडगावा-122001

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का अक्टूबर-दिसम्बर 2012 अंक प्राप्त हुआ, इसके लिए धन्यवाद। बासेल जैसे शुद्ध बैंकिंग विषय पर इस सुन्दर प्रस्तुति के लिए आप और आपका संपादक मंडल निःसंदेह बधाई का पात्र है।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन के प्रत्येक अंक में बैंकिंग विषयों पर केन्द्रित उत्कृष्ट लेख प्रकाशित किये जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि यदि डेरिवेटिव विषय पर हिन्दी में लेखों का संकलन बनाकर पत्रिका का डेरिवेटिव विशेषांक निकाला जाए तो यह न केवल बैंकिंग जगत के लिए एक धरोहर सिद्ध होगा बल्कि यह एक अभूतपूर्व प्रयास होगा और डेरिवेटिव जैसे गंभीर विषय, जिसमें हिन्दी में लेखों/विचारों का अभाव है, उनकी कमी कुछ हद तक पूरी की जा सकेगी।

आगामी अंकों के लिए मेरी शुभकामनाएं सहित,

● उमा सुब्रमण्यम

मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का 'पूँजी पर्याप्तता एवं बासेल मानक' विशेषांक पढ़ने को मिला। मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि बैंकिंग जगत में हिन्दी में यह पत्रिका राष्ट्रीय-स्तर पर एक उत्तम एवं स्तरीय पत्रिका है। मैं संपादक मंडल को इसके लिए बधाई देता हूँ। वर्तमान अंक को देखकर ऐसा लगा कि आपने बासेल-III के कार्यान्वयन के प्रवेश द्वारा पर ही बैंकिंग-क्षेत्र के लोगों के हाथों में विषय-विशेष पर संदर्भ-साहित्य उपलब्ध करा दिया है। पत्रिका में जितने आलेख हैं मैं उनके लेखकों की सराहना करता हूँ। "बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन" के माध्यम से संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र को हिन्दी में उच्च स्तरीय बैंकिंग साहित्य उपलब्ध कराने का आपका यह सिलसिला निरंतर कायम रहे, यही मेरी कामना है। राजभाषा विभाग को ऐसा उत्तम कार्य करने के लिए मेरी बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं।

● श्रीधर बेहरा

महाप्रबंधक (बैंकिंग)
भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता

बैंकिंग उद्योग से जुड़े हर व्यक्ति की कामना रहती है कि उसे नवीनतम बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में कोई ऐसी पत्रिका मिले जो उसकी बैंकिंग विषयों संबंधी ज्ञान-पिपासा को तृप्त कर सके तथा मुझे गर्व है कि हमारे रिजर्व बैंक द्वारा आपके मार्गदर्शन में प्रकाशित बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन पत्रिका इस प्रयोजन को पूरा ही नहीं करती अपितु इसका हर अंक संग्रहणीय बन जाता है। आपके संपादकीय लेख सदैव विचारोत्तेजक एवं हम जैसे युवाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं।

आर्थिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर नवीनतम, ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी देकर आप हमारे जैसे सहस्रों बैंकरों के बैंकिंग कांसेप्ट क्लीयर कर देते हैं तथा देश और दुनिया के बैंकों में क्या कुछ नया चल रहा है उसकी नई और संक्षिप्त जानकारी देकर हमें अपडेट करते रहते हैं उसके लिए मैं और हम जैसे हजारों लोग आपके आभारी हैं। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपके कुशल मार्गदर्शन में प्रकाशित बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन श्रेष्ठता के हर सोपान पर पहुंचे।

● प्रीति सिंह सुपुत्री श्री श्याम सिंह
भजनपुरा, दिल्ली

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का अक्टूबर-दिसम्बर 2012 अंक प्राप्त हुआ, अंक भेजने के लिए शुक्रिया।

इस अंक का करीब-करीब सारा मैटर ही पढ़ लिया है, बढ़िया है। डॉ. दुव्वरी सुब्बाराव का लेख ‘अंतरराष्ट्रीय और भारतीय परिप्रेक्ष्य में बासेल-III’ : दस प्रश्न जिनका उत्तर हमें जानना चाहिए’ पढ़ा। यह लेख इस अंक का सर्वश्रेष्ठ लेख है। इस लेख के माध्यम से लेखक ने बासेल-III से संबंधित दस प्रश्न व उत्तर देते हुए एक अलग अंदाज में भरपूर जानकारी प्रस्तुत की है। उनके इस अनूठे अंदाज को भी लाडी का सलाम।

डॉ. रमाकांत शर्मा ने अपने लेख के माध्यम से बासेल दिशा-निर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें बताई हैं जिनसे सभी पाठकों को अच्छी जानकारी मिलती है। एक अन्य लेख में विजय प्रकाश श्रीवास्तव ने बासेल-II तथा बासेल-III की तुलना करते हुए अच्छी जानकारी प्रस्तुत की है। यह लेख भी अन्य लेखों से हटकर है, लेखक को बधाई।

‘इतिहास के पन्नों से’ के तहत श्रीमती सावित्री सिंह ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के ऐतिहासिक सफर को प्रस्तुत कर पाठकों को ऐतिहासिक जानकारी प्रदान की है। श्री के. सी. मालपानी ने ‘धूमता आईना’ के तहत नवीनतम आर्थिक-वित्तीय गतिविधियों के बारे में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत की है।

इस अंक में शामिल अन्य लेख भी बढ़िया हैं। कुल मिलाकर यह एक बेहतरीन पत्रिका है। आपका उद्देश्य अच्छा है। उत्कृष्ट संपादन के लिए मेरी व “आलराऊँड अकादमी” की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएँ।

● अमित कुमार लाडी
मुख्य संपादक “आलराऊँड”
फरीदकोट (पंजाब)

पूरी दुनिया में करेंसी नोट या पत्र मुद्रा को विनिमय का सबसे सुलभ और सर्वमान्य साधन माना जाता है इसलिए प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में करेंसी नोट या पत्र मुद्रा का विशेष महत्व होता है। करेंसी नोट जारी करने का कार्य या तो स्वयं सरकार

द्वारा किया जाता है या फिर सरकार यह कार्य देश के केन्द्रीय बैंक को अथवा किसी अन्य संस्था को सौंप देती है। भारत सरकार ने करेंसी नोट जारी करने का उत्तरदायित्व देश के केन्द्रीय बैंक यानि भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा है।

करेंसी नोट हम सबके जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। पाँच, दस, बीस, पचास, एक सौ, पाँच सौ और एक हजार रुपये के नोट हम सबने देखे हैं और उनका उपयोग भी करते हैं। लेकिन इन नोटों के बारे में अक्सर सबके मन में ये प्रश्न उठते हैं कि ये नोट कौन छापता है, नोट हमारे पास तक कैसे पहुँचते हैं, इन नोटों को कौन नष्ट करता है और ये नोट कैसे नष्ट किए जाते हैं?

एक करेंसी नोट की जीवन यात्रा में अनेक पड़ाव होते हैं। प्रेस में एक करेंसी नोट के छपने के पहले और छपने के बाद भी अनेकों नियम-कानूनों के दौर से उसे गुज़रना होता है। करेंसी नोट का डिजाइन कैसा हो, नोट कितनी मात्रा में छापे जाएं, चलन में नोटों की गुणवत्ता कैसे बनाए रखी जाए, जाली नोटों की समस्या से कैसे निपटा जाए, नोट कितनी मात्रा में नष्ट किए जाएं आदि नीतिगत कार्य हैं जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। दरअसल प्रेस में छपने के बाद एक सुन्दर, चमकीले और कड़क नजर आने वाले करेंसी नोट की जीवन यात्रा की शुरुआत इस प्रकार होती है। प्रेस से उसे सबसे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय में लाया जाता है। उसके बाद विभिन्न बैंकों की माँग के अनुसार नोटों को करेंसी चेस्टों में भेजा जाता है जहाँ से वह आम आदमी के हाथों में पहुँचता है। भारतीय रिज़र्व बैंक से भी आम जनता को नए नोट जारी किए जाते हैं। इसके बाद जब तक उसकी स्थिति अच्छी रहती है तब तक वह एक हाथ से दूसरे हाथ तक आता-जाता रहता है। धीरे-धीरे उस सुन्दर, चमकीले और कड़क नोट की सूरत एक गंदे, कटे-फटे नोट में बदल जाती है।

एक करेंसी नोट की जीवन यात्रा - छपने से नष्ट होने तक

आर. एस. तिवारी

सहायक प्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़

तब उसे अंतिम सफर के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक भेज दिया जाता है जहाँ उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है। अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में लेनदेन एवं भुगतान के लिए नकदी का प्रयोग अधिक किया जाता है इसलिए करेंसी नोट की लाइफ कम है। अब भारतीय रिज़र्व बैंक आम लेनदेन और भुगतान के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आदि को प्रोत्साहित कर रहा है।

करेंसी नोट जारी करने का अधिकार

हमारे देश में नोट जारी करने का एकाधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास है। यह अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना से पूर्व करेंसी नोट छापने का अधिकार सरकार के पास था। भारतीय रिज़र्व बैंक को नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त होने के बाद भी एक रुपये का कागज का नोट भारत सरकार द्वारा ही छापा जाता था। भारतीय रिज़र्व बैंक को दो रुपये से अधिक मूल्यवर्ग के नोट छापने का ही अधिकार प्राप्त है। इसीलिए दो रुपये से अधिक मूल्यवर्ग के नोटों को बैंक नोट भी कहा जाता है और इन नोटों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।

नोट जारी करने के लिए आस्तियाँ

करेंसी नोट जारी करने के लिए आस्ति रखने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। 1956 से देश में करेंसी नोट जारी करने के लिए “न्यूनतम आरक्षण प्रणाली” (Minimum Reserve System) अपनाई जा रही है। इस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक को आस्ति के रूप में सोना, विदेशी प्रतिभूतियाँ, रुपये के सिक्के और

रुपये वाली प्रतिभूतियाँ रखना आवश्यक है जिसमें सोने और विदेशी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य 200 करोड़ रुपये तथा इसमें सोने का मूल्य 115 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए। 1956 से पूर्व “आनुपातिक आरक्षण प्रणाली” (Proportional Reserve System) अपनाई जाती थी। इस प्रकार आस्ति रखने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक आवश्यकतानुसार नोट छाप सकता है।

नोटों का मूल्यवर्ग

नोट कितने मूल्यवर्ग के छापे जाने चाहिए इसका निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर केंद्र सरकार के अनुमोदन से किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक को दो, पाँच, दस, बीस, पचास, एक सौ, पाँच सौ और एक हजार, पाँच हजार और दस हजार रुपये मूल्यवर्ग के नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में देश में पाँच, दस, बीस, पचास, एक सौ, पाँच सौ और एक हजार रुपये के नोट ही जारी किए जा रहे हैं। एक और दो रुपये के नोटों का प्रचलन इन नोटों की छपाई में बढ़ते खर्च तथा उनके जल्दी खराब हो जाने के कारण पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और उनके स्थान पर सिक्के जारी किए जा रहे हैं।

नोटों की वैधता (Legal Tender)

भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर भारत सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी मूल्यवर्ग के नोटों की वैधता समाप्त कर सकती है। हमारे देश में एक हजार और दस हजार रुपये मूल्यवर्ग के नोट चलन में थे लेकिन सरकार ने इन नोटों का चलन जनवरी 1946 में बंद कर दिया था। 1954 में एक हजार, पाँच हजार और दस हजार रुपये मूल्यवर्ग के नोटों का चलन आरंभ किया गया लेकिन जनवरी 1978 में देश में काले धन की समस्या के कारण इनका चलन एक बार फिर बंद कर दिया गया। अक्टूबर 1987 में पाँच सौ रुपये का नोट जारी किया गया तथा वर्ष 2000 से एक हजार रुपये का नोट पुनः जारी किया जा रहा है।

नोटों की डिजाइन

नोटों की डिजाइन का निर्णय भी भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर केंद्र सरकार के अनुमोदन से किया जाता है। विभिन्न मूल्यवर्ग के नोटों की डिजाइन का निर्णय करते समय अनेक बातों

का ध्यान रखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नोटों की डिजाइन इस प्रकार की हो जिससे विभिन्न मूल्यवर्ग के नोटों में आसानी से अंतर समझ आ सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नोट की डिजाइन में विशेष प्रकार के सुरक्षा फीचर डाले जाएं ताकि उनकी आसानी से नकल न की जा सके। हमारे देश में नकली करेंसी नोट एक बड़ी समस्या है इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक नोटों की डिजाइन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करता रहता है। सन 1949 में अशोक स्तंभ के चित्र वाले नोट जारी करना आरंभ किया गया था। वर्ष 1996 से देश में महात्मा गांधी शृंखला के नोट जारी किए जा रहे हैं। यहीं नहीं, दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए पचास, एक सौ, पाँच सौ और एक हजार रुपये मूल्यवर्ग के नोटों पर विशेष प्रकार के चिह्न बनाए गए हैं। ये चिह्न उभरी हुई आकृति में होते हैं जिससे दृष्टिहीन व्यक्ति अपने स्पर्श मात्र से नोटों के मूल्यवर्ग को पहचान सकते हैं।

नोटों की माँग का आकलन

हर साल कितने करेंसी नोट छापने की आवश्यकता है, इसका फैसला सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक मिलकर करते हैं। देश में मुद्रास्फीति की दर और तेजी से हो रहे विकास को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक देश में करेंसी नोटों की माँग का आकलन करता है। यह आकलन पूरे साल की माँग को ध्यान में रखकर किया जाता है और उसी माँग के अनुसार करेंसी नोट छापने का आर्डर प्रेस को प्रेषित किया जाता है।

करेंसी नोट छापने के प्रेस

देश में पर्याप्त मात्रा में नोटों की छपाई के लिए चार प्रेस स्थापित किए गए हैं। इनमें से दो प्रेस भारत सरकार द्वारा तथा दो प्रेस भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित किए गए हैं। ये चार प्रेस निम्नलिखित शहरों में स्थित हैं:

भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रेस-

- नासिक, महाराष्ट्र
- देवास, मध्य प्रदेश

भारत रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित प्रेस-

- मैसूर, कर्नाटक
- सालबोनी, पश्चिम बंगाल

भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त आर्डर के अनुसार प्रेस में नोट छापे जाते हैं और छापने के बाद उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में भेज दिया जाता है।

नोटों का वितरण

प्रेस द्वारा करेंसी नोटों की आपूर्ति किए जाने के उपरांत भारतीय रिज़र्व बैंक पूरे देश में करेंसी नोटों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। प्रेस में छपने के बाद नोटों को भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में लाया जाता है। उदाहरण के लिए नासिक स्थित प्रेस में छापे गए नोट नई दिल्ली स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय में लाये जाते हैं और वहाँ से नोटों को विभिन्न करेंसी चेस्टों में भेजा जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने 18 निर्गम कार्यालयों यथा- अहमदाबाद, बंगलुरु, बेलापुर (मुंबई), भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना तथा तिरुवनंतपुरम और लखनऊ स्थित उप-कार्यालयों तथा कोच्चि स्थित करेंसी चेस्ट के माध्यम से पूरे देश में नोटों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूरे देश में भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं निजी बैंकों की शाखाओं में करेंसी चेस्ट स्थापित किए हैं। इनके माध्यम से करेंसी नोटों की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। बैंक अपनी शाखाओं और एटीएम के माध्यम से देश के कोने-कोने में आम जनता को नोटों के वितरण का कार्य करते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2012-13 की वार्षिक मौद्रिक नीति में करेंसी नोटों के वितरण की वर्तमान व्यवस्था में बदलाव करने की घोषणा की है। वास्तव में वर्तमान व्यवस्था में नोटों के वितरण में काफी समय नष्ट होता है। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोटों को प्रेस से सीधे करेंसी चेस्ट में भेजने का निर्णय किया है। इसके लिए बैंकों को प्रेस से सीधे नोट प्राप्त कर उन्हें रखने की व्यवस्था करने तथा उनका उचित प्रकार से वितरण करने के संबंध में योजना बनाई जा रही है। यह नई व्यवस्था जल्दी ही लागू करने की योजना है।

चलन में बैंक नोट - 31 मार्च 2012 की स्थिति


मूल्यवर्ग	नोटों की संख्या (मिलियन नग)
2 और 5 रुपये	11,540
10 रुपये	23,002
20 रुपये	3,510
50 रुपये	3,488
100 रुपये	14,119
500 रुपये	10,256
1000 रुपये	3,469
कुल	69,382

करेंसी चेस्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के 18 कार्यालयों तथा एक उप-कार्यालय में करेंसी नोट जारी करने वाला निर्गम विभाग कार्यरत है। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में नोटों के वितरण का कार्य विभिन्न बैंकों में स्थापित किए गए करेंसी चेस्टों के माध्यम से करता है। दिसंबर 2011 की स्थिति के अनुसार देश भर में बैंकों में कुल 4,221 करेंसी चेस्ट हैं। इनमें से 52 प्रतिशत करेंसी चेस्ट अकेले भारतीय स्टेट बैंक के पास तथा 18 प्रतिशत उसके सहयोगी बैंकों के पास हैं जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों में 27 प्रतिशत करेंसी चेस्ट हैं।

बैंक व ट्रेजरी में करेंसी चेस्टों की संख्या

बैंक व ट्रेजरी	करेंसी चेस्टों की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	2,192
भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक	778
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,124
निजी क्षेत्र के बैंक	107
सहकारी बैंक	1
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3
विदेशी बैंक	5
ट्रेजरी	11
कुल संख्या	4,221



स्वच्छ नोट नीति

देश में करेंसी नोटों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1995 में नई “स्वच्छ नोट नीति” आरंभ की। इस नीति के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में नोटों की छँटाई और उनको नष्ट करने का कार्य पूरी तरह से मशीनों द्वारा किया जाने लगा है। सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे नोटों के पैकेट को स्टेपल न करें। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि वे अपने बैंक में नोट सार्टिंग मशीन (Note Sorting Machine) लगाएं और नोट पुनः जारी करने से पूर्व नोटों की मशीन से छँटाई की जाए। इस प्रकार छँटाई के बाद ही पुनः जारी किए जाने योग्य नोट आम जनता को जारी किए जाएं। 31 दिसंबर 2011 तक बैंकों ने 10,394 ऐसी मशीनें लगवाई थीं जिनके द्वारा नोटों की छँटाई के साथ-साथ जाली नोट पकड़ने की भी व्यवस्था है।

कटे-फटे व क्षतिग्रस्त नोट बदलना

किसी भी व्यक्ति को अपने कटे-फटे, क्षतिग्रस्त अथवा खोए हुए नोट के बदले नोट का मूल्य माँगने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता की सुविधा के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों को भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 के नाम से जाना जाता है। ये नियम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए हैं और संसद द्वारा पारित किए गए हैं। इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने कटे-फटे

अथवा क्षतिग्रस्त नोट के बदले रकम हासिल करने का अनुरोध कर सकता है और नियमानुसार कटे-फटे अथवा क्षतिग्रस्त नोट के बदले आधा अथवा पूरा मूल्य मिल सकता है।

नोट बदलने के नियम संक्षेप में इस प्रकार हैं-

बीस रुपये तक के नोटों के लिए

- नोट के सबसे बड़े एक अविभाजित टुकड़े का क्षेत्र कुल क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक हो तो नोट का पूरा मूल्य देय होगा और
- यदि क्षेत्र 50 प्रतिशत से कम या बराबर हो तो दावा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

पचास से एक हजार रुपये के नोटों के लिए

- नोट के सबसे बड़े एक अविभाजित टुकड़े का क्षेत्र कुल क्षेत्र के 65 प्रतिशत से अधिक हो तो नोट का पूरा मूल्य देय होगा,
- क्षेत्र 40 प्रतिशत से अधिक तथा 65 प्रतिशत से कम हो तो आधा मूल्य देय होगा और
- यदि क्षेत्र 40 प्रतिशत से कम या बराबर हो तो दावा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

अधिक कटे-फटे अथवा क्षतिग्रस्त नोट बदलने का कार्य पहले सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक में ही किया जाता था। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की चेस्ट शाखाओं को भी यह कार्य करने हेतु अधिकृत कर दिया है। साधारण रूप से गंदे नोटों एवं केवल दो टुकड़ों में विभाजित नोटों को सभी बैंक शाखाओं में बदलवाया जा सकता है।

जाली नोट

हमारे देश में जाली नोटों का प्रचलन एक गंभीर समस्या है। जाली नोट छापना या किसी भी प्रकार से चलन में लाना भारतीय दंड संहिता की धारा 489ए और 489ई के तहत अपराध है। इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अनेक कदम उठाए हैं। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि पुनः जारी करने से पूर्व नोटों की मशीन से जाँच की जाए। भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में

विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है जिसमें बैंक कर्मचारियों और आम जनता को करेंसी नोट के सुरक्षा फीचर्स तथा असली-नकली नोट की पहचान करने के तरीके भी समझाए जाते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर भी नोटों की पहचान करने के तरीके समझाए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर “पहचानो पैसे की बोली, क्योंकि पैसा बोलता है” नाम से असली करेंसी नोट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। इस प्रकार की जानकारी मेले, प्रदर्शनी, विज्ञापनों आदि के माध्यम से भी आम जनता को दी जा रही है। नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के परिणाम सकारात्मक रहे हैं और बैंकों में जाली नोट पकड़ने की संख्या साल-दर-साल बढ़ रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए जाली नोट

वर्ष	आरबीआई द्वारा पकड़े गए जाली नोट	अन्य बैंकों द्वारा पकड़े गए जाली नोट	कुल जाली नोट
2009-10	52,620	3,48,856	4,01,476
2010-11	45,235	3,90,372	4,35,607
2011-12	37,690	4,83,865	5,21,155

भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व उप गवर्नर श्रीमती उषा थोरात की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिश के बाद जाली नोट पकड़े जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। अब एकल लेन-देन में पाँच से कम जाली नोट पकड़े जाने पर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराना आवश्यक नहीं है। एकल लेनदेन में प्राप्त 5 अथवा उससे अधिक नोट के मामले में ही अलग एफआईआर दर्ज किया जाएगा।

नोटों को नष्ट करना

करेंसी नोटों को नष्ट करने का एकाधिकार भी भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ही है। पूरे देश में विभिन्न बैंकों की शाखाओं में करेंसी नोटों की छँटाई करके गंदे नोटों को करेंसी चेस्ट में एकत्र किया

जाता है और उन्हें नष्ट करने हेतु सुविधानुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भेज दिया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक में उन नोटों की गिनती और जाँच के साथ-साथ पुनः जारी करने योग्य नोटों के रूप में छँटाई भी की जाती है। पुनः जारी करने योग्य नोटों को दोबारा चलन में भेज दिया जाता है और जारी न करने योग्य नोटों को नष्ट कर दिया जाता है। लगभग एक दशक पूर्व तक भारतीय रिज़र्व बैंक में नोटों की छँटाई का कार्य कर्मचारियों द्वारा मैनुअली किया जाता था और छँटाई के बाद जारी न करने योग्य नोटों को भट्टी में जला दिया जाता था।

“स्वच्छ नोट नीति” लागू होने के बाद से नोटों की छँटाई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में 59 करेंसी वेरीफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम (Currency Verification and Processing System-CVPS) मशीनें लगाई गई हैं जिनमें प्रति घंटा 60,000 से 90,000 करेंसी नोटों की गिनती के साथ-साथ नोटों की छँटाई भी की जाती है। छँटाई के बाद नोटों को श्रेडिंग एंड ब्रेकेटिंग सिस्टम (Shredding and Bracketing System-SBS) मशीन के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। अब नोटों को जलाया नहीं जाता है बल्कि नई मशीनों के द्वारा नोटों के छोटे-छोटे टुकड़े किए जाते हैं। उन टुकड़ों से ईंट या गेंद के आकार की वस्तु बना दी जाती है और उसको बाजार में भेज दिया जाता है ताकि कागज के टुकड़ों का पुनः उपयोग किया जा सके। वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13.8 बिलियन करेंसी नोटों को नष्ट किया।

इस प्रकार नए करेंसी नोट छापने और गंदे करेंसी नोट नष्ट करने का यह सिलसिला लगातार जारी रहता है ताकि चलन में करेंसी नोटों की स्थिति अच्छी बनी रहे। भारतीय रिज़र्व बैंक हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत रहता है कि आम जनता को नए और चमकदार नोट आसानी से प्राप्त होते रहें और यदि जनता को इस संबंध में कोई शिकायत हो तो उसका तत्परता से समाधान किया जाए।

समस्त आँकड़ों का स्रोत-

भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और वार्षिक रिपोर्ट 2011-12

बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक हित
 संरक्षण के लिए भारत सरकार,
 भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय
 बैंक संघ प्रयत्नशील रहे हैं।
 फरवरी 2006 में आरबीआई द्वारा
 अद्वितीय नियामक संगठन के रूप में
 भारतीय बैंकिंग संहिता और
 मानक बोर्ड का गठन किया गया।

बोर्ड द्वारा ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता कोड नामक एक स्वैच्छिक संहिता तैयार की गई जो कि जुलाई 2006 से लागू हो गई है। इस कोड में कुछ न्यूनतम मानक दिये गये जिनका अनुपालन व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ बैंकिंग व्यवहार करते समय बैंकों के लिए करना आवश्यक है। कोड निर्धारित करता है कि (i) गलती होने पर सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करते हुए उसे तुरंत सुधारना तथा त्रुटिवश लगाए गए बैंक प्रभारों को निरस्त करना, (ii) तकनीकी गड़बड़ी के कारण उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए उचित वैकल्पिक उपाय उपलब्ध कराना, (iii) इसके बाद भी कोई ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है तो उसे बताना कि अपनी शिकायत कहाँ और किसे करें। बीसीएसबीआई द्वारा लागू नियमों के अनुपालन हेतु विभिन्न बैंकों ने सदस्यता ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया है। अभी तक 69 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, 11 शहरी सहकारी बैंक और 54 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसके सदस्य बन चुके हैं और उन्होंने संहिता के अनुपालन की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। अनुपालन के क्रम में सर्वप्रथम सभी मौजूदा एवं नये ग्राहकों को संहिता की प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु बैंकों द्वारा इन्हें शाखाओं में अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है तथा बैंकों की वेबसाइट पर भी यह उपलब्ध है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘बैंकिंग लोकपाल योजना’ 1995 में प्रारम्भ की गई और 2002 में इसमें संशोधन किया गया। बाद में, बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में अस्तित्व में आई। लोकपाल कार्यालय में शिकायत ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग सितम्बर 2005 से किया जा रहा है जिसमें योजना 2006 आने पर तदनुरूप परिवर्तन संपादित करा लिए गए। प्रत्येक शिकायत को स्वचालित रीति से एक नंबर दिया जाता है और यह बीओ कार्यालय के रिकार्ड में दर्ज

बैंकिंग में ग्राहक हित रक्षा - बैंकिंग लोकपाल निर्णीत मामलों के आलोक में

डॉ. सुबोध कुमार¹ एवं राजपाल सिंह रावत²

हो जाती है। ग्राहक सशक्तीकरण की दिशा में बैंकिंग लोकपाल योजना को सार्थक प्रयास माना जा रहा है जिससे ग्राहक सेवा गुणवत्ता में सुधार और बैंकिंग के ग्राहकोंनु ख बनने की आशा की जाती है।

वर्ष 2011-12 के दौरान 72,889 मामले लोकपाल के पास आये। इनमें 51 प्रतिशत शिकायतें इस योजना के अंतर्गत स्वीकार किये जाने योग्य पाई गयीं। विगत वर्ष में भी कुल शिकायतों और स्वीकार्य शिकायतों का प्रतिशत लगभग यही रहा है। परिवाद शीर्षकों को देखने से संकेत मिलता है कि सर्वाधिक प्रकरण कार्ड बैंकिंग (एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड) से संबंधित हैं। पिछले तीन सालों में कुल शिकायतों का लगभग 23 प्रतिशत भाग केवल कार्ड सम्बन्धी सेवा को लेकर है। अतः इस ओर बैंक को विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि सेवा गुणवत्ता बनाई रखी जा सके। वर्ष 2011-12 में धन प्रेषण सम्बन्धी प्रकरण 5 प्रतिशत रहे। इसी प्रकार, पूर्व सूचना दिये बिना शुल्क काट लेने के मामले 5 प्रतिशत रहे। पैशान भुगतान में परिवाद प्रकरण वर्ष 2011-12 में कुल परिवादों का 8 प्रतिशत थे जबकि इससे पूर्व के दो वर्ष में ये क्रमशः 8 प्रतिशत और 6 प्रतिशत थे।

भारतीय बैंकिंग संरचना में प्रमुख बैंक समूह हैं- राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट बैंक समूह, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वर्ष 2011-12 में लोकपाल को मिली शिकायतों में विविध बैंक समूहों में वितरण इस प्रकार था - राष्ट्रीयकृत बैंक 31 प्रतिशत, स्टेट बैंक समूह 35 प्रतिशत, निजी बैंक 21 प्रतिशत, विदेशी बैंक 7 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 प्रतिशत। परिवाद प्रकरणों की संख्या को उस बैंक समूह में खातेदारों की संख्या के साथ देखा

¹ एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग हे.न.ब.ग. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, (उत्तराखण्ड)

² शोध छात्र, हे.न.ब.ग. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल, (उत्तराखण्ड)

जाए तो यह पता चलता है कि कुल खातेदारों का सर्वाधिक भाग राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक समूह से आता है, जबकि प्राप्त होने वाली शिकायतों का सर्वाधिक भाग निजी और विदेशी बैंकों से संबंधित रहता है। खातों की संख्या के सापेक्ष इन समूहों में परिवाद संख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है।

बैंकिंग लोकपाल को मिली शिकायतों में सर्वाधिक मामले मेट्रो शहरों से होते हैं जिनका अंश 39 प्रतिशत है। किन्तु, ग्रामीण क्षेत्र से भी परिवाद इनके पास आते हैं जिनका भाग 11 प्रतिशत है। शेष, 50 प्रतिशत में 16 प्रतिशत अर्धशहरी और 34 प्रतिशत शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है। यह स्थिति वर्ष 2011-12 में है तथा विगत तीन वर्षों में यही अनुपात स्थिर सा रहा है। शिकायतकर्ताओं के श्रेणी वर्गीकरण में व्यक्तिगत परिवादों की संख्या प्रधान है क्योंकि 91 प्रतिशत मामले व्यक्तिगत खातेदारों से आए हैं। शेष 9 प्रतिशत में संगठन के विविध स्वरूप, यथा - साझेदारी फर्म, कम्पनियां, ट्रस्ट और सरकारी महकमे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सम्मिलित हैं। विगत तीन वर्षों में इन संख्याओं में एकरूपता रही है।

शिकायतकर्ता के पास विकल्प है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है जिसके लिए वहाँ उपलब्ध निर्धारित फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, क्षेत्रीय लोकपाल के ई-मेल पते प्रचारित किये जाते हैं जिन पर खातेदार अपनी शिकायत भेज सकता है। इसके बाद, तीसरा माध्यम पत्र अथवा फैक्स है जिसके द्वारा शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। वर्ष 2011-12 में प्राप्त कुल मामलों में 13 प्रतिशत प्रकरण ई-मेल द्वारा मिले, 14 प्रतिशत मामले ऑन लाइन प्राप्त हुए तथा 73 प्रतिशत शिकायतें परम्परागत प्रणाली जैसे, पत्र अथवा फैक्स आदि के द्वारा मिलीं। इस सन्दर्भ में, इंटरनेट के उपयोग की व्यावहारिकता स्थापित होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए शीघ्र और कम खर्चीला मंच प्रदान करने हेतु वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कमी के संबंध में उनकी शिकायतों का निवारण करने हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना लागू की। विगत वर्षों में लोकपाल के निर्णीत मामलों का सर्वेक्षण किया गया, इनमें बैंक ग्राहकों से सम्बद्ध मामलों के विषय इस प्रकार थे :

- अवैध एटीएम लेनदेन के लिए नामे
- आवास ऋण की ब्याज दर
- बैंक द्वारा लगाये गये अतिरिक्त ब्याज की वापसी
- एफडीआर खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी द्वारा गलत बयानी
- एटीएम कार्ड के माध्यम से 25,000 रुपये का आहरण
- आश्वासन भंग
- आवास ऋण बीमा में चूक
- खोये हुए एटीएम को ब्लॉक न करना
- मौखिक निवेदन पर एटीएम जारी
- अनधिकृत व्यक्ति को चेक भुगतान

अवैध एटीएम लेन-देन के लिए नामे

शिकायतकर्ता का एबीसी बैंक में बचत खाता था। 3 दिसम्बर 2005 को उसने अपने एटीएम कार्ड से अपने खाते के परिचालन से 10,000 रुपये के नकद आहरण के लिए एक्सवार्फेज बैंक के एटीएम का उपयोग किया और इसका वितरण मशीन द्वारा नहीं किया गया। तथापि, एबीसी बैंक के उनके खाते से 10,020 रुपये नामे कर दिये गये थे। चूंकि शिकायतकर्ता को भुगतान नहीं हुआ था, उसने एबीसी बैंक को प्रतिप्रविष्टि के लिए अनुरोध किया। शिकायतकर्ता ने इस सम्बन्ध में 20.04.2006 को एबीसी बैंक के माध्यम से एक्सवार्फेज बैंक को आवेदन प्रस्तुत किया। एबीसी बैंक ने प्रतिप्रविष्टि नहीं की। मामले को बैंकिंग लोकपाल के सामने लाया गया। बैंकिंग लोकपाल ने यह पाया कि दिनांक 28.02.2007 को एबीसी बैंक को एक्सवार्फेज बैंक के पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि 10,000 रुपये का लेनदेन अनुक्रम संख्या 8423 अवैध लेन-देन था और तदनुसार लेखा सत्यापन में प्रतीत नहीं हो रहा था। शिकायतकर्ता ने यह भी शिकायत की कि मशीन द्वारा नकद वितरण नहीं किया गया। एक्सवार्फेज बैंक से पत्र प्राप्त होने पर भी एबीसी बैंक ने शिकायतकर्ता के खाते से 10,020 रुपये की प्रतिप्रविष्टि नहीं की और न ही बैंकिंग लोकपाल द्वारा की गई पूछताछ का जवाब दिया, इसमें उनकी क्षमता तथा ग्राहकों की शिकायतों में दिलचस्पी का अभाव दिखाई देता है। बैंकिंग लोकपाल ने 03 दिसम्बर 2005 की 10,020 रुपये की नामे प्रविष्टि की

प्रतिप्रविष्टि करने तथा 3 दिसम्बर 2005 से प्रतिप्रविष्टि की तारीख तक प्रभावित राशि पर मीयादी जमा दर से ब्याज का भुगतान करने के निर्देश दिये। अधिनिर्णय का पालन किया गया।

विमर्श

ग्राहक सेवा में कमी का यह गंभीर मामला है कि ग्राहक की लिखित शिकायत मिलने और सम्बन्धित दूसरे बैंक की ओर से पर्याप्त यथोचित उत्तर मिलने पर भी प्रतिवादी बैंक ने दस महीने तक परिवाद का निराकरण नहीं किया। बहुत साधारण त्रुटि के सुधार में इतना लम्बा समय लगना चिन्ता का विषय है। यह उल्लेखनीय है कि बैंक ने लोकपाल द्वारा उठाए गए प्रश्नों का भी जवाब नहीं दिया। बाद में, लोकपाल के अधिनिर्णय का अनुपालन हो गया। लोकपाल के पत्र के अनुत्तरित रह जाने को बैंकिंग विनियमन की दृष्टि से नोटिस लिया जाना चाहिए, अन्यथा बैंकिंग लोकपाल योजना की प्रासंगिकता पर बड़ा प्रश्नचिह्न लग जाएगा। जो बैंक लोकपाल के पत्र की अवहेलना कर सकता है, उससे ग्राहक को उत्तर देने की अपेक्षा करना व्यर्थ है। ऐसी दशा में चूककर्ता बैंक के विरुद्ध अनुशासनात्मक और दण्डात्मक कार्रवाई की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवहार में देखने में आया है कि इस प्रकार के अवैध नामे अगले दिन स्वतः सुधार दिए जाते हैं। गलत डेबिट की शिकायत मिलने के बाद पन्द्रह महीने तक प्रतिप्रविष्टि न करना बैंक की लापरवाही का बड़ा उदाहरण है। प्रकरण के तथ्यों पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि ग्राहक ने लिखित शिकायत दर्ज करने में चुस्ती नहीं बरती। घटना के तुरन्त बाद उन्होंने मौखिक शिकायत अवश्य की होगी, लेकिन उन्हें यथाशीघ्र लिखित शिकायत भी दे देनी चाहिए थी। यह दायित्व ग्राहक पर भी है कि अपनी हित रक्षा के लिए वे स्वयं सावधान रहें, अन्यथा समूचा शिकायत तंत्र उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं हो सकता। यहाँ ग्राहक वर्ग के लिए एक सुझाव और भी निहित है कि वे यथासंभव अपने बैंक के एटीएम का उपयोग करें, जिससे परिवाद की दशा में अपेक्षाकृत शीघ्र निराकरण की संभावना रहती है।

आवास ऋण की ब्याज दर

शिकायतकर्ता, जिसने अपने बेटे का प्रतिनिधित्व किया, द्वारा यह बताया गया कि उसके बेटे ने 7.5% की स्थिर ब्याज दर से आवास ऋण के लिए आवेदन किया था, परन्तु बैंक ने 8% की

स्थिर ब्याज दर से ऋण मंजूर किया। इसके तुरन्त बाद बैंक ने प्रतिपक्ष को किसी प्रकार सूचना दिये बिना ब्याज दर में विभिन्न स्तर पर 8% से 11% की वृद्धि की। जबकि, प्रतिपक्ष ने बैंक से स्थिर दर के आधार पर ऋण के लिए आवेदन किया था, उसने मामले को बैंक के साथ उठाया। बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया तथा किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया। बैंक के रवैये से असंतुष्ट होकर प्रतिपक्ष शिकायत निवारण हेतु बैंकिंग लोकपाल के पास पहुंचा। बैंकिंग लोकपाल ने आवास ऋण की करार प्रति का अवलोकन करने पर यह पाया कि ऋण 8% की स्थिर दर से मंजूर किया गया था जो 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक चलने वाला था। करार में उल्लिखित शर्तों के विरुद्ध बैंक ने 8% से 11% के बीच अस्थिर दर से अलग-अलग ब्याज दर लगायी थी। बैंक की इस कृति से करार की शर्तों का उल्लंघन हुआ और शिकायतकर्ता से अतिरिक्त ब्याज लिया गया। बैंक को निर्देश दिये गये कि सहमत शर्तों के अनुसार ही ब्याज लगाया जाये तथा लिये गये अतिरिक्त ब्याज को वापस किया जाये। इसका अनुपालन बैंक द्वारा 54,886 रुपये वापस लौटाकर हुआ।

विमर्श

व्यापारिक सन्नियम के सन्दर्भ में संविदा की शर्त/शर्तों का उल्लंघन महत्वपूर्ण है और पीडित पक्षकार को प्रतिवादी के विरुद्ध उपचार हासिल हो जाता है। प्रकरण में यही हुआ कि बैंक की ओर से अनुबन्ध की शर्त का खुला उल्लंघन हुआ, जिसके लिए बाद में उन्हें प्रतिपूर्ति करनी पड़ी। लेकिन ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन परिप्रेक्ष्य में, ग्राहक द्वारा आपत्ति दर्ज करने और विसंगति संज्ञान में लाने पर भी बैंक की ओर से कोई जवाब न दिया जाना और भी बड़ी चूक मानी जाएगी। बैंकिंग प्रतिबद्धता कोड में ‘परिवाद’ शीर्षक के अन्तर्गत बिन्दु 7.1 में निहित है कि शिकायत की दशा में ग्राहक को अनिवार्य रूप से उत्तर दिया जाएगा और अन्तिम निस्तारण न हो पाने की स्थिति में सकारण अन्तरिम जवाब देते हुए सूचित किया जाता रहेगा। बैंक द्वारा जवाब न देना, संविदा का उल्लंघन करना, आपत्ति करने पर भी भूल सुधार न करना, सेवा गुणवत्ता की दृष्टि से सभी गंभीर अपराध हैं। ग्राहक की ओर से विषय को बैंकिंग लोकपाल में ले जाना बढ़ती हुई उपभोक्ता जागरूकता का प्रमाण है। यहाँ, ग्राहक वर्ग के लिए सुझाव है कि ऋण लेने जैसे मामलों में सम्पादित

संविदा की फोटो कॉपी बैंक से अवश्य लेकर रखें, ताकि विवाद की दशा में अपने अधिकार की रक्षा दृढ़ता से की जा सके। बैंकिंग प्रतिबद्धता कोड के शीर्षक 'ऋण उत्पाद', बिन्दु 8.11.1 (घ) में निर्धारित है, 'मांग किये जाने पर हम आपके द्वारा प्रस्तुत सभी ऋण दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियां और उनके साथ ही ऋण दस्तावेज में उद्भूत सभी अनुलग्नकों की एक प्रति अपने खर्च पर उपलब्ध कराएंगे'।

बैंक द्वारा लगाये गये अतिरिक्त ब्याज की वापसी

खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) के अन्तर्गत एक परियोजना को वित्तपोषण किया गया था। 4,34,021 रुपये बैंक ऋण में केवीआईबी स्वीकृत 2,22,175 रुपये की मार्जिन राशि शामिल की गयी। शिकायतकर्ता ने बताया कि मार्जिन राशि ब्याजमुक्त होनी चाहिए थी और बैंक को 2,11,846 रुपये की राशि पर ही ब्याज लगाना चाहिए था। तथापि, कुल मीयादी ऋण की राशि पर ब्याज लगाया गया और शिकायतकर्ता के ऋण खाते में किसी भी प्रकार की चूक न होते हुए भी दण्डस्वरूप ब्याज लगाया गया। अनेक अनुस्मारक तथा लिखित पत्राचार के बाद भी उन्होंने मीयादी ऋण की समग्र राशि पर ब्याज लगाना जारी रखा। मीयादी ऋण पर लगाए गए अधिक ब्याज की वापसी के लिए शिकायतकर्ता ने बैंकिंग लोकपाल को लिखा।

मामले को बैंक के स्तर पर उठाया गया और उन्होंने बैंकिंग लोकपाल को सूचित किया कि 75,296 रुपये की राशि शिकायतकर्ता के खाते में जमा करके लौटा दी गई है।

विमर्श

व्यवहार में अनेक मामले देखने में आते हैं कि मामला उपभोक्ता अदालत अथवा लोकपाल के पास पहुंचने पर सेवाप्रदाता सक्रियता दिखाते हैं और समाधान ढूँढ़ लिया जाता है। ग्राहक सम्बन्धों की दृष्टि से यह स्थिति अच्छी नहीं है कि न्यायिक संस्था के दबाव के बाद परिवाद निराकरण किया जाए। किसी भी परिवाद के मिलते ही उसमें यथोचित तत्परता बरती जानी चाहिए। ग्राहक का अपनी शिकायत को लेकर किसी बाहरी संस्था के पास जाना ही एक प्रकार से सेवाप्रदाता की बड़ी विफलता है। अनेक अनुस्मारकों के बाद भी समाधान न कर पाना और कानूनी लड़ाई शुरू होने पर सरलता से समाधान कर देना, यह हमारे सार्वजनिक व्यापारिक

प्रतिष्ठानों का स्थापित चरित्र है। इसका अर्थ यह है कि इनका आन्तरिक परिवाद निवारण तंत्र पूरी तरह अक्षम और विफल है। प्रतियोगी बाजार में ऐसे व्यवसायी की हार निश्चित है। व्यवसाय में परिवाद का उदय कोई संकट नहीं, अपितु परिष्कार का एक अवसर है। शिकायत दूर करने से सम्बन्ध दृढ़तर होते हैं और अपेक्षाकृत अधिक ग्राहक निष्ठा अर्जित होती है। सर्वेक्षण में भी समान प्रकृति का एक मामला प्रकाश में आया जिसमें 'वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली योजना' के अंतर्गत लाभार्थी का ऋण स्वीकृत किया गया और बैंक ने समग्र राशि पर ब्याज लगा दिया जिसमें अनुदान की राशि भी शामिल थी। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार के मामलों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। यह बात महत्वपूर्ण है कि ग्राहक के द्वारा आपत्ति दर्ज करने पर भी बैंक आसानी से भूल सुधार करने को राजी नहीं होते। यह बहुत संभव है कि जो ग्राहक ध्यान न देते हों अथवा ध्यान न दे सकते हों, उनके खाते में बैंक अधिक ब्याज वसूली कर लेते हों। इस आशय से ग्राहकों में वित्तीय साक्षरता के लिए प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

एफडीआर खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी द्वारा गलत बयानी

शिकायतकर्ता 60,000 रुपये की राशि लेकर 46 दिवसीय मीयादी खाते में जमा करने हेतु बैंक पहुंचा। बैंक अधिकारी ने उसे बचत फंड खाता खोलने की सलाह दी। उसने पैसे जमा किए और 55,000 रुपये और 5,000 रुपये की रसीद प्राप्त की। 46 दिनों के बाद शिकायतकर्ता एफडीआर की परिपक्वता राशि के आहरण के लिए बैंक शाखा में पहुंचा। बैंक के अधिकारी ने उसे बताया कि राशि निवेश फंड में जमा की गयी थी जिसमें एफडीआर से अधिक प्रतिफल है, परन्तु इसका आहरण छह महीने के बाद ही किया जा सकता है। शिकायतकर्ता ने बैंक के पास शिकायत दर्ज की, परन्तु उनसे कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। शिकायतकर्ता को विद्यालय की फीस भरने के लिए रुपयों की अत्यंत आवश्यकता थी। बैंक द्वारा शिकायत का जवाब न मिलने के कारण उसने बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करना तय किया। बैंक को इस मामले में टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, यह निश्चित था कि रुपये किसी बीमा योजना में जमा किए गए थे। तथापि, बैंक ने शिकायतकर्ता से सम्पर्क किया और उसके धन की वापसी करके

शिकायत का निवारण किया। शिकायतकर्ता ने भी बैंकिंग लोकपाल को समाधान पत्र प्रेषित किया।

विमर्श

बैंक एश्योरेंस विशेषज्ञ आगाह कर चुके हैं कि बीमा उत्पादों का बैंकों के माध्यम से विपणन होने पर खड़ी संख्या में शिकायतें प्रत्याशित हैं। उनके तर्क के पीछे मुख्य आधार है कि बीमा उत्पाद जटिल होते हैं। प्रकरण में बैंक अधिकारी का आचरण व्यावसायिक नैतिक मर्यादाओं के एकदम विरुद्ध है। बैंकिंग और बीमा उत्पाद परस्पर प्रतिस्पर्धी हैं। किन्तु, किसी को यह उम्मीद न रही होगी कि एक बैंक अधिकारी निवेशक की बिना सहमति लिए एफडीआर के बजाय बीमा प्लान बेच देगा। निवेश के सिद्धान्तों में, प्रधान सिद्धान्त है - 'तरलता'। बीमा ग्राहकों के समक्ष यह कठिनाई अक्सर उपस्थित होती है कि एडवाइजर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप तरलता घटक की उपेक्षा कर देते हैं। निवेश के सिलसिले में बैंक अपनी परामर्शदाता की भूमिका से इंकार नहीं कर सकता। श्रेष्ठ व्यावसायिक व्यवहार और मानदण्ड स्पष्ट रूप से बैंक की परामर्शदाता की भूमिका स्वीकार करते हैं और दायित्व निर्धारित करते हैं। पैंतालीस दिन की एफडीआर के बजाय ग्राहक को छह महीने 'लॉक-इन पीरियड' का बीमा प्लान दिया जाना बैंक की ओर से किया गया एक आर्थिक अपराध है। बैंकरों के मध्य इस प्रकरण के व्यापक प्रचार की जरूरत है, ताकि वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति न होने पाए। वस्तुतः बीमा उत्पादों का विपणन दुर्लभ और श्रमसाध्य होता है, किन्तु विपणनकर्ता को धोखा अथवा चालबाजी करने से बचना चाहिए। अन्यथा, यह सम्पूर्ण व्यवसाय के लिए संकटकारी कारण बनेगा। शिकायत मिलने पर बैंक को कोई समाधान तलाश कर लेना चाहिए था, चाहे उसमें बैंक को कुछ हानि ही वहन करनी पड़ती। लोकपाल तक मामला पहुंचने से यह स्थिति कुछ अच्छी होती, लोकपाल ने जिस प्रकार का समाधान दिया ऐसा ही कोई विकल्प दूँढ़ा या चुना जा सकता था।

'ट्रीटिंग कस्टमर फेअरली' अवधारणा कई देशों में वित्तीय क्षेत्र में आ चुकी है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम की फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने ग्राहक सम्बन्धी छह मुद्दे परिभाषित किये हैं जिन्हें 'टीसीएफ' के प्रतिमान कहा जा सकता

है। वे छह बिन्दु हैं - (1) उपभोक्ता आश्वस्त हो कि वह जिस फर्म के साथ व्यवहार कर रहा है, वहाँ ग्राहक को न्यायोचित व्यवहार अनिवार्य रूप से दिया जाता है, (2) खुदरा बाजार में विपणन किए जा रहे उत्पाद और सेवाएं वर्गीकृत ग्राहक वर्ग की जरूरतों के अनुरूप डिजाइन की गई हैं, (3) ग्राहकों को उचित परामर्श दिया जाता हो जो कि उनकी परिस्थितियों के अनुकूल हो, (4) ग्राहक को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और उसे सतत अवगत कराया जाता है - विक्रय के समय, विक्रय से पूर्व और विक्रय के बाद भी, (5) ग्राहक को जो उत्पाद दिये गये हैं, वे ऐसे हैं जैसा कि फर्म की ओर से उन्हें बताया गया और सेवा गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर की है, जिसका उन्हें आश्वासन दिया गया और जिसकी फर्म से अपेक्षा है, (6) दावा करने, शिकायत दर्ज करने, उत्पाद बदलने और सेवादाता बदलने के मार्ग में अनावश्यक रुकावटें न खड़ी की गई हों। प्रकरण में बैंक अधिकारी का आचरण टीसीएफ मान्यताओं के एकदम विपरीत है। यह सेवा में न्यूनता का गंभीर मामला है। उपभोक्ता कानून ग्राहक के लिए भी कुछ न्यूनतम दायित्व निर्धारित करता है, प्रत्येक खरीद के लिए रसीद अवश्य लें। यहां यह भी अनुशंसा की जा सकती है कि रसीद की थोड़ी जांच कर लें। प्रकरण में ग्राहक अपने इस दायित्व का निर्वहन न कर सका। अनुबन्ध अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत व्यापारिक संविदाओं में 'क्रेता सावधान नियम' क्रियाशील होता है। ग्राहक को प्राप्त प्रमाणक के आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका निवेश किस योजना में किया गया है। ग्राहक से अपेक्षित न्यूनतम सावधानी के बिना उपभोक्ता संरक्षण की संकल्पना साकार नहीं हो सकती।

एटीएम कार्ड के माध्यम से 25,000 रुपये का आहरण

शिकायतकर्ता ने यह बताया कि वह बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड के उपयोग से बैंक की सेवाओं का लाभ उठाता था। सितम्बर 2006 में शिकायतकर्ता ने शून्य देयताओं के साथ नये गोल्ड कार्ड के लिए आवेदन किया। उसे कार्ड प्राप्त नहीं हुआ और 9 अक्टूबर 2006 को उनके खाते से 25,000 रुपये नामे किए गए। बैंक द्वारा पूछताछ किये जाने पर पता चला कि पहचान ब्यौरों की जांच किए बिना कार्ड उनके कार्यालय भवन के सुरक्षा कर्मचारी को सुपुर्द किया गया था। पिन भी उनके कार्यालय के किसी अन्य कर्मचारी को सुपुर्द किया गया था। शिकायतकर्ता ने इस कारण से बैंक से राशि लौटाने का अनुरोध किया। बैंक ने सुपुर्दगी के सबूत (पीओडी)

प्रस्तुत किए, जिससे यह साबित होता है कि गोल्ड कार्ड तथा पिन कम्पनी के डाक पते पर प्राप्त की गई है जिस पर रबड़ की मुहर है। एक सुश्री सुमिता ने पिन प्राप्त किया तथा श्री नरेन्द्र ने कार्ड प्राप्त किया जिससे गोल्ड कार्ड तथा पिन की सुपुर्दगी साबित हुई। बैंक ने इस बात को भी दोहराया कि एटीएम में कार्ड का उपयोग यह दर्शाता है कि गोल्ड कार्ड तथा पिन के उपयोग से आहरण प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया है तथा उक्त लेन-देन वैध है। ऐसे में इस मामले में बैंक जिम्मेदार नहीं है। 5 दिसम्बर 2007 को आयोजित समझौता बैठक में बैंकिंग लोकपाल ने यह पाया कि बैंक अपनी जिम्मेदारी से यह कहकर छूट नहीं सकता कि कार्ड तथा पिन की सुपुर्दगी शिकायतकर्ता के डाक पते पर अनधिकृत व्यक्तियों को की गई थी जिससे उनके द्वारा दुरुपयोग का जोखिम बढ़ता है। कार्ड तथा पिन की सुपुर्दगी शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत रूप से ही की जानी चाहिए थी या उनके यथायोग्य परिचय के प्राधिकृत प्रतिनिधि को। इस प्रकार से बैंक को यह निर्देश दिया गया कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्ड के उपयोग से राशि का आहरण करने के कारण शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये की प्रतिपूर्ति करे। बैंक को यह भी सूचित किया गया कि वे शिकायतकर्ता को बचत बैंक दर से ब्याज अदा करे तथा शिकायत के सम्बन्ध में अनुवर्ती व्यय के लिए 1000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करे। उपर्युक्त अनधिकृत आहरण की वसूली की जिम्मेदारी तय करने के लिए बैंक उचित प्राधिकारी के पास पहुंच सकता था। अधिनिर्णय का अनुपालन किया गया।

विमर्श

बैंकों में एटीएम और पिन सुपुर्दगी के अलग-अलग कई तरीके चलन में हैं। निजी बैंक एक सप्ताह के अन्तराल पर एटीएम और पिन पृथक-पृथक सीधे ग्राहक को डाक पते पर भेजते हैं। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एचडीएफसी बैंक प्रत्येक डिस्पैच के बाद ग्राहक को एसएमएस करता है कि एक सप्ताह के भीतर प्राप्त होने या न होने की सूचना बैंक को दी जाए। केवल एक यही उपाय सन्दर्भगत विवाद में अपराध को रोकने के लिए पर्याप्त होता। एसबीआई में एटीएम डाक द्वारा ग्राहक को मिलता है, इसके साथ संलग्न पत्र में लिखा होता है कि अपना पिन नम्बर बैंक की शाखा से प्राप्त कर लें। प्रकरण में हुई धोखाधड़ी को इस रीत से भी रोका जा सकता है कि एटीएम डाक से प्रेषित करने के बाद पिन व्यक्तिगत

रूप से शाखा में आवेदक को सौंपा जाये। पीएनबी में एटीएम और पिन दोनों व्यक्तिगत रूप से ग्राहक को शाखा में ही दिए जाते हैं। बैंक पिन की सुपुर्दगी करने सम्बन्धी रिकार्ड रखते हैं और बैंक अधिकारी ग्राहक के हस्ताक्षर लेने के बाद पिन को सील्ड लिफाफों में सौंपते हैं। लेकिन, इस कार्य में ग्राहक की पहचान के विषय में बैंक को अधिकतम सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हुई जरा सी असावधानी आर्थिक अपराध को आमंत्रित कर सकती है। सर्वेक्षण में सम्मिलित ग्राहकों के अनुभव से संकेत मिला कि कतिपय उदाहरणों में पिन सुपुर्दगी के समय ग्राहक की पहचान करने के प्रति बैंक अधिकारी द्वारा पूरी सावधानी नहीं बरती गयी।

आर्थिक अपराधों के विशेषज्ञ सलाह देंगे कि ग्राहक की शिकायत मिलने पर बैंक को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। दूसरा विकल्प हो सकता था कि आरोपियों की पहचान हो जाने पर बैंक अधिकारी मध्यस्थता करके राशि की वसूली का प्रयास करते। लेकिन, ऐसी परिस्थितियों में प्रायः बैंक सुरक्षात्मक रवैया अपनाता है और समाधान की ओर बढ़ने के लिए सार्थक कदम नहीं उठाए जाते। फलतः विवाद जटिलतर होता जाता है और न्यायिक प्रक्रिया आदि का सामना करना पड़ता है।

आश्वासन भंग

शिकायतकर्ता का एक निजी क्षेत्र के बैंक में खाता था। यह खाता एक लाख रुपये औसतन तिमाही शेष के आधार पर खोला गया था और ग्राहक को अनेक सेवाओं का वचन दिया गया था जिन्हें पूरा न करने का आरोप है। इन सेवाओं में घर से चेक का संग्रहण, शाखा में सेवक द्वारा पार्किंग की व्यवस्था, व्यक्तिगत बैठकों के लिए दफ्तर का उपयोग, क्रेडिट कार्ड सुविधा, डीमैट सेवा, संविभाग सेवा और लेन-देन के सम्बन्ध में पूछताछ के लिए तुरन्त जवाब शामिल था। यह देखा गया कि उनकी शाखाएं सभी ग्राहकों को दिए गए वचनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हैं या नहीं, यह सुनिश्चित किये बिना ही बैंक ने बैंकिंग सेवा उत्पादों की शुरुआत की है। वादा की गई सेवाओं से जुड़ी विभिन्न शर्तों के सम्बन्ध में ग्राहक से सम्पर्क करने में भी बैंक में कमी पाई गई। वादा की गई सेवाओं को पूरा किये बिना एक लाख रुपये तिमाही औसत शेष जमा बनाये रखने को उचित नहीं ठहराया गया। इस प्रकार ग्राहक ने 5,000 रुपये तिमाही औसत पर सामान्य

बचत बैंक खाता बनाए रखा, उसे 95,000 रुपये अधिक ब्याज दर पर मीयादी खाते में निवेश के रूप में रखने का मौका मिलना चाहिए। बैंकिंग लोकपाल ने बैंक के विरुद्ध खाता खोलते वक्त लागू मीयादी जमा दर से अधिक (2% तिमाही चक्रवृद्धि से) खाता खोलने की तारीख से ब्याज का भुगतान करने का अधिनिर्णय पारित किया।

विमर्श

बैंकिंग सेवाओं में उत्पाद शृंखला विस्तृत होती जा रही है। बीमा सेवाओं के संविलयन के अलावा टेक्नॉलॉजी आधारित नए उत्पाद विकसित हो रहे हैं। साथ ही पुरानी पारम्परिक सेवाओं के नये-नये वैरिएंट बाजार में देखे जा सकते हैं। बचत खाते में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जोड़कर बैंक उन्हें विविध संज्ञाएं दे रहे हैं, जैसे - प्रिवलेज्ड, गोल्ड, स्मार्ट, डायमंड, सैलरी प्लस आदि। अधिमान श्रेणी के बचत खाते में बैंक ग्राहकों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देते हैं और न्यूनतम शेष आदि के लिए कुछ अतिरिक्त सीमा तय करते हैं। बैंक में खाता खोलना संविदा अधिनियम शासित एक अनुबन्ध है। एक विशेष खाते में प्रस्तावित सुविधाएं और निर्धारित अतिरिक्त न्यूनतम शेष राशि अनुबन्ध की शर्तें हैं। संविदा की शर्तों का पालन करना दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य है, अन्यथा पीड़ित पक्षकार को विधिसम्मत उपचार हासिल हो जाते हैं। प्रकरण में निहित तथ्यों पर ध्यान देने से निष्कर्ष निकलता है कि बैंक को विशिष्ट श्रेणी खाता कदापि नहीं खोलना चाहिए था, जब तक कि उनके पास प्रस्तावित सेवाओं की उपलब्धता न होती। ग्राहक की ओर से मांग किए जाने पर भी बैंक की ओर से स्पष्ट रूप से असमर्थता व्यक्त की जानी चाहिए थी कि विज्ञापित खाते की सेवा उनकी शाखा में उपलब्ध नहीं है। यहां बैंक की परामर्शदाता भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण में ऐसे उदाहरण मिले हैं कि ग्राहक ने बैंक की प्रेरणा से 'प्रिवलेज्ड एकाउंट' खोला, बाद में इसे अनुपयुक्त पाने पर साधारण खाते में तब्दील कराया। ये ऋषिकेश नगर के खातेदार हैं। इन्हें बैंक की प्रस्तावित कोई सुविधा अपने शहर में उपलब्ध नहीं है, जैसे- पैट्रोल पम्प, तनिष्क के शोरूम, सूचीबद्ध ख्यातिलब्ध कम्पनियों के एक्सक्लूसिव आउटलेट पर एटीएम की स्वीकार्यता। ऐसी स्थिति में बैंक को विशेष खाता खोलते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वह खाता ग्राहक के लिए उपादेय भी होगा या

नहीं। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में प्रासंगिक 'ट्रीट कस्टमर फेअरली' अवधारणा निर्धारित करती है कि ग्राहक के लिए उत्पाद की उपयुक्तता विषयक परामर्श विक्रेता की ओर से सावधानीपूर्वक और कन्सन्ड होकर दिया जाए। प्रसंगत प्रकरण ग्राहक जागरूकता स्तर की ओर भी संकेत करता है। अब ग्राहक इतना सजग है कि आश्वासन दी गई छोटी-छोटी सुविधाएं न मिलने पर विषय को लोकपाल अथवा कोर्ट तक ले जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में यह उल्लेखनीय शुभ संकेत है।

आवास ऋण बीमा में चूक

राष्ट्रीयकृत बैंक के ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज की गयी कि उसने वर्ष 2004 के दौरान अपने पति के साथ पाँच लाख रुपये का संयुक्त आवेदक के रूप में आवास ऋण लिया था। वर्ष 2005 में बैंक ने बंधक मोचन बीमा योजना की शुरुआत की और योजना के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को बीमा लेने के निर्देश दिए और उनके आवास ऋण खाते से 15,746 रुपये नामे डाले गए और तदनुसार समान मासिक किस्त समायोजित की। 2008 में उनके पति के निधन होने के पश्चात, वह बैंक के पास इस अनुरोध के साथ पहुंची कि लिए गए बीमा सुरक्षा के अन्तर्गत ऋण को समायोजित कर खाता बंद करें। बैंक ने जवाब दिया कि उनके खाते से नामे की गई किस्त गलती से भारतीय जीवन बीमा निगम को नहीं भेजी गई और इसलिए पॉलिसी जारी नहीं की गई। आगे, उन्होंने यह भी कहा कि उनके प्रधान कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार केवल पहला उधारकर्ता ही योजना के अन्तर्गत शामिल है, वह है स्वतः महिला। चूँकि, मामले पर समाधान नहीं हुआ, समझौता बैठक आयोजित की गई। बैंक ने दलील दी कि योजना को 2005 में लागू किया और शिकायतकर्ता के अनुसार वह अनिवार्य नहीं थी, परन्तु वैकल्पिक थी। बैंकिंग लोकपाल ने बैंक से पूछताछ की कि क्या इस तथ्य की जानकारी ग्राहक को दी गई थी, जिस पर बैंक ने जवाब दिया कि इस सम्बन्ध में बैंक के पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। बैंकिंग लोकपाल इस बात पर अडिग बने रहे कि योजना का ब्यौरा सभी पात्र घटकों की जानकारी में लाना चाहिए था और यह देखा कि बैंक के सम्प्रेषण में बड़ी कमी थी। आगे, बैंकिंग लोकपाल ने जानना चाहा कि उधारकर्ता से वसूली गयी प्रीमियम की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम को क्यों नहीं भेजी गई और वसूली की राशि का तीन वर्ष के दौरान क्या किया गया। बैंक ने

जवाब दिया कि प्रीमियम की राशि उनके उचंत खाते में रखी गई थी। बैंकिंग लोकपाल ने इस बात का आधार लिया कि शिकायतकर्ता से वसूली गई राशि को न भेजने में बैंक लापरवाह था। उन्हें अधिक तत्पर होकर शिकायतकर्ता के आवास ऋण खाते में उनके पति का निधन होने की तारीख से 15 दिन के भीतर राशि को जमा करना था और वसूली गई अधिक राशि वापस देकर खाता बन्द करना था। चूंकि बैंक ने समझौते पर सहमति नहीं दर्शायी, बैंकिंग लोकपाल ने इसके बाद अधिनिर्णय पारित किया।

विमर्श

ऋण बीमा और जीवन बीमा दोनों की अलग-अलग विशेषताएँ हैं। मृत्यु के पश्चात मृतकों के आश्रितों को जितनी सहायता जीवन बीमा से मिलती है उतनी ही समस्याओं का समाधान ऋण बीमा उत्पाद से भी होता है, जिसकी ग्राहक कल्पना भी नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात आश्रितों पर लेनदारी दायित्व उत्पन्न हो जाता है तथा जिसका सरल समाधान है - 'ऋण बीमा'। ग्राहक का जीवन बीमा प्रीमियम एलआईसी को न भेजकर उचंत खाते में जमा रखना बैंक की ओर से हुई भयंकर भूल है। ऐसी स्थिति में बैंक को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए थी और ग्राहक के प्रति अपने दायित्व का बखूबी निर्वाह करना चाहिए था। इसी राशि की वसूली के लिए बैंक को सभी संभव अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए जिससे ग्राहक हित किसी भी दशा में बाधित न होने पाये। ग्राहक से प्रीमियम राशि समय से यथाविधि वसूली जा रही थी। अतः ग्राहक को आश्वासन दी गई सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। स्पष्ट रूप से गलती प्रकट हो जाने पर बैंक को अनावश्यक बहाने नहीं ढूँढ़ने चाहिए। ग्राहक वर्ग के लिए सुझाव है कि बैंक के साथ ऋण संविदा और सम्बन्धित कागजात की अधिप्रमाणित फोटोकापी लेकर अपने पास अवश्य रखें, ताकि विवाद की दशा में अपना पक्ष दृढ़ता से रखा जा सके। इसी प्रकार बीमा सम्बन्धी संविदा की प्रतिलिपि भी लेकर अपने पास सुरक्षित रखें ताकि संकट की स्थिति में सुरक्षा की जा सके। बैंकिंग प्रतिबद्धता कोड निर्धारित करता है कि ग्राहक की ओर से मांगे जाने पर बैंक के साथ ऋण करार और सभी अनुलग्नकों की एक अधिप्रमाणित प्रति बैंक अपने खर्चे पर उपलब्ध कराएगा। आवास आदि के उद्देश्यों से लिये गए बड़ी राशि के ऋण के मामले में ग्राहक को थोड़ी सावधानी

एवं सतर्कता स्वयं ही बरतनी चाहिए। प्रकरण में ग्राहक की ओर से यदि बीमा प्रमाणक की बार-बार सख्ती से मांग की जाती, तब समय रहते बैंक की गलती में सुधार हो सकता था।

खोये हुए एटीएम कार्ड को ब्लॉक न करना

शिकायतकर्ता एक पाठशाला में शिक्षक था। उनका वेतन खाता एक बैंक की शाखा में था। बैंक ने शिकायतकर्ता को एक एटीएम कार्ड जारी किया। एक दिन उन्हें पता चला कि उनका एटीएम कार्ड पिन के साथ गुम हो गया है। तुरन्त, उन्होंने नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की। इसकी सूचना उन्होंने संबंधित बैंक की शाखा को दी और कार्ड को निष्क्रिय करने का अनुरोध किया। शाखा ने उन्हें सूचित किया कि गुम कार्ड निष्क्रिय किया गया है और उन्हें दूसरा एटीएम कार्ड जारी किया गया। दो महीने के बाद शाखा द्वारा उन्हें एक ऋण मंजूर किया गया और उनके खाते में राशि जमा की गयी। उन्हें पता चला कि गुम हुए कार्ड का उपयोग करके किसी ने उसके खाते से पूरी राशि निकाली थी। उन्होंने तुरन्त बैंक शाखा में शिकायत की और किसी कुकर्मी द्वारा गुम हुए कार्ड का उपयोग करके निकाली गयी राशि का दावा किया। बैंक शाखा ने उनके दावे को यह कहकर नकारा कि धोखा करने वाले को जानबूझकर पिन प्रकट करने के लिए वह जिम्मेदार है अथवा पिन की गोपनीयता के सम्बन्ध में अनुदेशों को टाला है, जो कि शिकायतकर्ता के स्तर पर लापरवाही है। बैंक के जवाब से असंतुष्ट होकर उन्होंने शाखा के विरुद्ध बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद बैंकिंग लोकपाल इस निर्णय पर पहुंचे कि कार्ड गुम हो जाने की जानकारी बैंक के ध्यान में लाने के तुरन्त बाद कार्ड निष्क्रिय करने में बैंक असफल रहा। इस घटना को टाला जा सकता था यदि बैंक ने तुरन्त कार्ड को निष्क्रिय किया होता। बैंकिंग लोकपाल ने शिकायतकर्ता के पक्ष में अधिनिर्णय पारित किया और शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में धोखे से निकाली गयी अनधिकृत राशि पर उस तारीख से अदायगी की तारीख तक की अवधि के लिए मीयादी जमा ब्याज दर सहित क्षतिपूर्ति देने का आदेश बैंक को दिया।

विमर्श

प्रकरण में बैंक की ओर से ग्राहक सेवा में की गई धोर लापरवाही का उदाहरण है। बैंक अपनी लापरवाही के प्रति दायित्व से किसी भी दशा में बच नहीं सकता। बैंकिंग प्रतिबद्धता कोड में

स्पष्ट उल्लेख है कि एटीएम कार्ड गुम हो जाने के मामले में बैंक को अधिसूचित किए जाने से पूर्व की जिम्मेदारी ग्राहक की है और अधिसूचित किए जाने के बाद की जिम्मेदारी बैंक की है (प्रतिबद्धता कोड, बिन्दु 9.4(छ))। प्रकरण में ग्राहक ने पूरी तत्परता से यथाविधि सूचित किया। ग्राहक ने एटीएम कार्ड गुम होने की एफआईआर भी दर्ज कराई। मामले में रोचक बात यह है कि शाखा ने ग्राहक को सूचित किया कि गुम हुए कार्ड को निष्क्रिय कर दिया गया है और उन्हें दूसरा एटीएम जारी हुआ। व्यवहार में अनुभव सिद्ध है कि डुप्लीकेट एटीएम जारी होने पर पुराना एटीएम ब्लॉक हो जाता है। प्रकरण में यदि ऐसा हुआ होता, तब हानि होने से रुक सकती थी। एटीएम आदि के उपयोग में होने वाली हानि के विषय में कोड में स्पष्ट उल्लेख है कि ग्राहक की ओर से कपटपूर्ण अथवा लापरवाहीपूर्ण आचरण की दशा में हानि का दायित्व ग्राहक का होगा तथा ग्राहक की ओर से कपट अथवा लापरवाही न होने पर हानि का दायित्व बैंक का होगा (प्रतिबद्धता कोड, बिन्दु 9.7(ख) एवं (ग))। प्रकरण में ग्राहक वर्ग के लिए कुछ सुझाव निहित हैं, यथा - एटीएम कार्ड और पिन कभी भी एक साथ न रखें। यदि यह सावधानी बरती गयी होती, हानि रोकी जा सकती थी। सामान्यतः ग्राहक को एटीएम कार्ड खोने अथवा गोपनीय पिन आदि किसी के समक्ष प्रकट हो जाने पर तुरन्त बैंक को सूचना देनी चाहिए। इसके लिए 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नम्बर का उपयोग किया जा सकता है, ई-मेल कर सकते हैं। फोन पर सूचना दर्ज करते समय शिकायत नम्बर/टोकन नम्बर/आईडी अवश्य प्राप्त करें और इसे अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि विवाद की दशा में अपना पक्ष दृढ़ता से रखा जा सके। फोन अथवा ईमेल पर दी गई सूचना की पुष्टि लिखित रूप में करना अनिवार्य है (प्रतिबद्धता कोड, बिन्दु 9.4 (च))। ग्राहक के लिए सुझाव है कि लिखित सूचना देते समय भी प्रेषण का प्रमाण अथवा सुपुर्दिगी का प्रमाण प्राप्त करके अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि जरूरत होने पर साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके। एहतियात के तौर पर ग्राहक यह भी कर सकता है कि एटीएम अथवा पिन गुम हो जाने पर अपने खाते से समुचित राशि निकाल ले। ग्राहक के लिए सलाह है कि एटीएम खोने की सूचना विधिवत दर्ज करने के बाद अपनी शाखा अथवा किसी भी उपयुक्त माध्यम से यह बात अच्छी तरह सुनिश्चित कर ले कि उसका एटीएम निष्क्रिय कर दिया गया है।

मौखिक निवेदन पर एटीएम जारी

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि मई 2006 में उनके खाते में 5.56 लाख रुपये थे और एक वर्ष बाद जब उन्होंने अपने खाते की जांच की तब उनके खाते से 5.5 लाख रुपये से अधिक राशि निकाली गई थी। उन्होंने दावा किया कि वह शहर से बाहर थी और खाते से राशि नहीं निकाली। बैंक ने दावा किया कि 25 अगस्त और 17 नवम्बर 2006 के बीच राशि एटीएम के माध्यम से नियमित किस्तों में निकाली है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने कभी कार्ड के लिए अनुरोध नहीं किया, न ही उसका उपयोग किया। बैंक ने कहा कि खातेदार के मौखिक अनुरोध पर उन्होंने एटीएम कार्ड जारी किया। एटीएम कार्ड का पिन उसी व्यक्ति को दिया गया जो एटीएम कार्ड लेकर बैंक के पास पहुंचा और उसने दावा किया कि वह खातेदार का पति है। चूँकि, बैंक ने एटीएम कार्ड और पिन अनुरोध/खातेदार द्वारा प्राधिकृत किये बिना जारी किया था, खातेदार को हुए नुकसान की भरपाई करने का निर्देश बैंक को दिया गया। बैंक ने आदेश का अनुपालन किया।

विमर्श

कार्डधारक और कार्ड जारीकर्ता बैंक के बीच सम्बन्ध संविदागत होता है। संविदा की शर्तों के अनुसार ग्राहक और बैंकर के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। कार्ड जारी करने वाला बैंक कार्ड जारी करने के लिए ग्राहक के समक्ष नियमों और शर्तों का प्रस्ताव रखता है, जिन्हें पढ़ व समझ लेने के बाद ग्राहक उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार संविदा के अन्तर्गत कार्डधारक और बैंकर के बीच सम्बन्ध स्थापित होता है और संविदा की शर्तों का पालन करने के लिए दोनों ही कानूनी रूप से बाध्य हो जाते हैं। ग्राहक अथवा बैंकर द्वारा इनका उल्लंघन करने पर उन्हें वे सभी कानूनी संरक्षण प्राप्त होते हैं जो किसी भी अन्य संविदा का उल्लंघन करने पर प्राप्त हैं। कार्ड लेने के लिए ग्राहक से आवेदन प्राप्त होने पर और उसे संबंधित कार्ड के लिए पात्र पाये जाने पर बैंक द्वारा ग्राहक को वे शर्तें और निबन्धन लिखित तौर पर भेजे जाते हैं, जिन पर उसे कार्ड जारी किया जाएगा। शर्तों की स्वीकृति के रूप में ग्राहक के हस्ताक्षर करते ही अथवा कार्ड का प्रयोग शुरू करते ही बैंक और उसके बीच संविदागत सम्बन्ध स्थापित हो जाता है।

प्रकरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक के पास ग्राहक की ओर से एटीएम के लिए लिखित आवेदन पत्र नहीं था, जो कि सामान्यतः होता है। नया खाता खोलने के फॉर्म में एटीएम मांगने सम्बन्धी कॉलम होता है और एटीएम के इच्छुक पुराने खातेदारों को निर्धारित एटीएम आवेदन पत्र दिया जाता है। टेक्नॉलॉजी आधारित व्यवसायों में ग्राहकों की बातचीत का ब्यौरा रखने के लिए वॉइस रिकार्डिंग का चलन है। बैंक के लिए परामर्श है कि यदि वे ग्राहक के मौखिक वचन के आधार पर कोई लेन-देन अथवा व्यवहार सम्पादित करते हों, तब उसका वॉइस रिकार्डिंग अवश्य सुरक्षित कर लें, ताकि विवाद की दशा में बैंक अपने पक्ष में प्रमाण जुटा सके। प्रकरण में यदि यह एहतियात बरती गई होती, तब बैंक को थोड़ी सुरक्षा अवश्य मिल सकती थी। बैंक के समक्ष एक विकल्प अवश्य है कि मामले की एफआईआर दर्ज की जाए ताकि राशि की वसूली हो सके। कुछ बैंक अपने ग्राहकों को प्रत्येक लेन-देन का विवरण एसएमएस करते हैं तथा कुछ दूसरे बैंक एक निश्चित राशि से ज्यादा के लेन-देन का एसएमएस ग्राहक को भेजते हैं। यदि ग्राहक ने इस सुविधा का उपयोग किया होता तो हानि को रोका जा सकता था। प्रतिबद्धता कोड निर्धारित करता है कि कार्ड के उपयोग में ग्राहक की लापरवाही अथवा कपट की दशा में हानि का दायित्व ग्राहक का है, अन्यथा हानि का दायित्व बैंक का है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंक के एक ग्राहक ने सर्वेक्षण के दौरान अपना अनुभव बांटा कि पति-पत्नी के संयुक्त खाते में पत्नी ने दूसरे एटीएम के लिए आवेदन किया। दो बार निर्धारित प्रपत्र भरकर देने और विविध अन्तरालों पर कई बार निवेदन करने के बाद एक दिन दम्पति की अनुपस्थिति में पोस्टमैन ने आकर घर पर मौजूद रिश्तेदार को एटीएम के लिफाफे की सुपुर्दगी कर दी। यह कार्ड पत्नी के नाम है जो अपने बेटे के साथ उसकी कोचिंग पढ़ाई के सिलसिले में महानगर में रह रही है। एटीएम ले जाकर पति ने बैंक से पिन हासिल कर लिया। प्रकरण में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है और संभावना भी नहीं है क्योंकि ‘ज्वाइंट बी - आइदर ऑर श्रेणी’ का खाता है। किन्तु, बैंक के लिए जरूरी परामर्श है कि पिन की सुपुर्दगी में व्यक्तिगत पहचान सम्बन्धी सावधानी अधिकतम बरती जाए क्योंकि दूसरी ओर एटीएम सुपुर्दगी में डाक संस्था की ओर से लापरवाही संभावित है।

अनधिकृत व्यक्ति को चेक भुगतान

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उनकी चेक बुक गुम हो गई और उसमें से एक चेक द्वारा 3 घंटे के भीतर उसी बैंक की शाखा से जो चेकबुक गुम होने की जगह से 100 किमी दूर है 1,00,000 रुपये की राशि निकाली गई। शिकायतकर्ता ने उसी दिन नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की। तदनुसार, उन्होंने मांग की कि चूंकि राशि धोखे से उनको जानकारी दिए बिना निकाली गई थी, वह उन्हें वापिस दी जाए। बैंक ने स्पष्टीकरण दिया कि बैंक द्वारा चेक का आदार करना वैध था क्योंकि गुम हुए चेक के हस्ताक्षर और बैंक के अभिलेख के हस्ताक्षर एक जैसे थे। गुम हो जाने के सम्बन्ध में जानकारी शिकायतकर्ता को 3 दिन के बाद प्राप्त हुई। बैंक ने शिकायतकर्ता को नकद लेने आये व्यक्तियों के सीसीटीवी के वीडियो क्लिप्स भी दिखाए, परन्तु उसे पहचानने में वह असफल रहा। दस्तावेज और बैंक द्वारा दिए गए निवेदन के आधार पर यह विचार किया गया कि मामले की अपराध की दृष्टि से जांच करने की आवश्यकता है और जीईक्यूडी को संदर्भित करने पर ही हस्ताक्षर की असलियत सिद्ध हो सकती है। चूंकि, अधिनिर्णय के लिए विस्तृत दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता है, शिकायत का निपटान बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के खंड 13 (ग) के अन्तर्गत किया गया।

‘चेक बुक सुविधा’ बैंक की प्रमुख लोकप्रिय सेवाओं में से एक है। भुगतान माध्यमों में चेक एक सुविधाजनक और सुरक्षित साधन है। कई प्रसंगों में, चेक से भुगतान करना बाध्यता है। चेक से भुगतान करना सुरक्षित भी है। वर्तमान समय में, मल्टीसिटी चेकबुक प्रचलन में है। यह ग्राहकों के लिए बहुत सुविधाजनक और बचतकारक है। यह ड्राफ्ट के विकल्प के रूप में काम करती है और इनका संग्रहण त्वरित हो जाता है। इसलिए ग्राहक इसका बहुधा उपयोग कर रहे हैं। लेकिन, वे इसके द्वारा होने वाली धोखाधड़ी से अनभिज्ञ हैं। भविष्य में, इस प्रकार से होने वाली समस्या के समाधान के लिए बैंक की ओर से ग्राहक को चेक बुक सावधानी सम्बन्धी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ग्राहक को यह बताया जाए कि इसमें असावधानी बरतने पर उन्हें किस प्रकार आर्थिक नुकसान हो सकता है। चेकबुक उपयोग सम्बन्धी सावधानियों को चेक बुक कवर के अन्तःपृष्ठ अथवा पीछे अंकित किया जाना

चाहिए। मल्टीसिटी चेकबुक सम्बन्धी आवश्यक सावधानियों पर विशेष पत्र क तैयार किया जा सकता है, जिसे चेकबुक जारी करते समय प्रत्येक बार ग्राहक को सौंप दिया जाए। बचत अथवा चालू खाते की नियम निर्देशिका में मल्टीसिटी चेकबुक सम्बन्धी सावधानियों का विशेष उल्लेख कर दिया जाए। प्रकरण में चेकबुक खोने के 3 घंटे बाद 100 किलोमीटर दूरी पर बैंक की एक ब्रांच में चेक का भुगतान हुआ। अतः ग्राहक वर्ग के लिए सुझाव है कि चेकबुक खोने की जानकारी होते ही जरा भी समय गंवाए बिना तुरन्त बैंक को सूचना दें, जिसके लिए 24 घंटे टोल फ्री नम्बर और ई-मेल साधन उपलब्ध हैं। फोन पर सूचना देते समय बैंक से शिकायत नम्बर अवश्य मांगें और इसे नोट करके अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि जरूरत होने पर इसका संदर्भ दिया जा सके।

फोन अथवा ई-मेल से दी सूचना की पुष्टि के लिए लिखित पत्र भी अवश्य प्रेषित करें (प्रतिबद्धता कोड बिन्दु 9.4 (च))। लिखित पत्र के प्रेषण अथवा प्राप्ति की रसीद लेकर अपने पास

सुरक्षित रखें क्योंकि बैंक की ओर से लापरवाही अथवा चूक की आशंका अवश्य रहती है। अतः अपने हित रक्षा क्रम में प्रेषण/प्राप्ति रसीद को प्रमाणक के रूप में काम में लाया जा सके। स्टेट बैंक में मल्टीसिटी चेक बुक तीन मूल्य वर्गों में जारी की जाती है – पच्चीस हजार, पचास हजार, एक लाख। साधारण बचत खाते में एक लाख रुपये से अधिक मूल्य वर्ग की चेकबुक नहीं दी जाती है। मल्टीसिटी चेकबुक में धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने की दिशा में स्टेट बैंक की मूल्यवर्ग की परिपाटी काफी प्रभावी है। मल्टीसिटी चेकबुक में विविध मूल्य वर्ग के प्रावधान को दूसरे बैंक भी सुरक्षात्मक उपाय के रूप में अपना सकते हैं। ग्राहकों के लिए सुझाव है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुरूप उचित मूल्यवर्ग की चेकबुक चुनें और अनावश्यक रूप से उच्च मूल्य-वर्ग की चेकबुक लेने से बचें, इससे जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

०००

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन के स्वामित्व और अन्य ब्योरों का विवरण

फॉर्म IV

1. प्रकाशन का स्थान	:	मुंबई
2. प्रकाशन की अवधि	:	तिमाही
3. सम्पादक, प्रकाशक का नाम राष्ट्रीयता	:	डॉ. रमाकांत गुप्ता भारतीय
पता	:	भारतीय रिजर्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई - 400 018
4. उन व्यक्तियों के नाम और पते जो इस पत्रिका के मालिक हैं	:	भारतीय रिजर्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई - 400 018

मैं, डॉ. रमाकांत गुप्ता, एतद्वारा यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक : 19 मार्च 2013

ह./-

डॉ. रमाकांत गुप्ता
प्रकाशक

“लोग लड़ते हैं और हारते हैं... फिर लड़ते हैं। और लड़ते-लड़ते एक दिन जीत जाते हैं। पर जब वे जीत जाते हैं तो वे पाते हैं कि यह तो वह है ही नहीं जिसके लिए वे लड़े थे। फिर उसी के लिए दूसरे लोग दूसरे नामों से लड़ते हैं।”

- अ ड्रीम ऑफ जॉन वॉल/विलियम मॉरिस

उक्त कथन के स्पष्ट तौर पर तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो कई दृष्टियों से न सिर्फ बेहद प्रासंगिक हैं बल्कि अपने आप में काफी गहरे भी हैं। ये हैं: भारतीय समाज, सामाजिक विकास की अवधारणा और इसमें वित्तीय समावेशन की भूमिका। सबसे पहले इन तीनों पक्षों पर एक न्यूनतम बुनियादी समझ बना लेना इस आलेख का एक ठोस प्रस्थान-बिन्दु होगा।

भारतीय समाज कई अर्थों में विशिष्ट है। संस्कृति, बोली, धर्म, पहनावा, नदियाँ, नगर-कस्बे और जाने किन-किन चीजों की यहाँ सैकड़ों-हजारों परतें हैं। फिर उन परतों की भी अपनी अलग परतें हैं। इस देश ने गौतम बुद्ध को भी देखा, बलबन को भी, अकबर को भी और गाँधी को भी। इतना बहुविध देश है हमारा। पर इन सशक्त पहलुओं के अलावा एक दूसरा पक्ष भी है। यह पक्ष है ऊँची अद्वालिकाओं और गगनचुम्बी इमारतों के ठीक नीचे करोड़ों बेघर, अभागे और तिनका-तिनका मुस्कान को तरसते दुखियारों का। गरीबों का, रोगियों का, मरते-खपते किसानों का, पसीने से तर-ब-तर थके हुए मजदूरों का। विधवाओं का, कोटियों का और अनाथों का। कभी स्कूल का मुँह न देख पाए बच्चों का, लाचार अपाहिजों का और बेचारी सतायी हुई माताओं का। कम में यही कि हमारे महान हिन्दुस्तान में कई सारे छोटे-बड़े अमीर-गरीब हिन्दुस्तानी एक साथ साँस लेते और पलते हैं।

जहाँ तक सामाजिक विकास की बात है तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि अपने देश में यह कोई नई अवधारणा नहीं है। सिंधु घाटी से लेकर सम्राट अशोक और फिरोजशाह तुगलक से लेकर राजा राममोहन राय जैसे अनेक उदाहरण हमें इतिहास के पन्नों में आसानी से दिखते हैं। पर सामाजिक विकास के जिस

भारतीय समाज के समग्र विकास में वित्तीय समावेशन की भूमिका

अभिनय कुमार झा

राजभाषा अधिकारी

केनरा बैंक, बंगलुरु

संस्थागत ढाँचे यानी सरकारी तंत्र के प्रधान सहयोग से सामाजिक विकास की बात की जाती है वह इस रूप में प्रायः नई है। हमारा देश संवैधानिक रूप से एक ‘लोककल्याणकारी राज्य’ अर्थात् ‘वेलफेर स्टेट’ है। इसके गहरे निहितार्थ हैं। यानि समाज के हर सदस्य के जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना राज्य का उत्तरदायित्व होगा। फिर चाहे कैलोरी आधारित भोजन की बात हो, 6-14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा की बात हो या फिर अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं की बात। गांधीजी के अंतिम आदमी वाले सिद्धांत को ही हम आज नए ‘लास्ट माइल डिलिवरी’ के रूप में देख सकते हैं। अपनी विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से सरकार इन दायित्वों को पूरा करने की कोशिश करती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक इन्हीं एजेंसियों में से एक महत्वपूर्ण एजेंसी है।

अब बात वित्तीय समावेशन की। 2008 में वित्तीय समावेशन पर गठित समिति के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगाजन ने वित्तीय समावेशन को परिभाषित करते हुए कहा था, “कम आय वाले व कमज़ोर वर्गों की ऋण व अन्य वित्तीय सेवाओं तक सही समय पर पहुँच ही वित्तीय समावेशन है”। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के. सी. चक्रवर्ती ने भी कमोबेश ऐसा ही कहा है। उनके मुताबिक “वित्तीय समावेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत मुख्यधारा की वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय उत्पादों व सेवाओं तक अशक्त तबकों और अल्प आय वाले लोगों की पहुँच पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित हो सके”। इस तरह से हम वित्तीय समावेशन के निम्न पहलू देखते हैं:

- बैंक खाते
- बचत
- बीमा

- वेतन व भत्ता
- पेशन
- आसान ऋण
- वित्तीय सलाह व शिक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक के नेतृत्व में वित्तीय समावेशन की भूमिका में आजादी के बाद से ही समय-समय पर विस्तार होता रहा है। इस दिशा में मील के पत्थर हैं:

- स्टेट बैंक की स्थापना (1955)
- वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969 और 1980)
- लीड बैंक योजना (1970)
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना (1975)
- स्वयं सहायता समूह और बैंक लिंकेज कार्यक्रम (1992)
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना (2001)
- बैंकों को सादे खाते यानि 'नो फ्रिल अकाउंट' खोलने की सलाह (2005)
- केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयास
- गैर-सरकारी संस्थाओं व स्वयं सहायता समूहों को मध्यस्थ बनाने की छूट ताकि वाणिज्यिक बैंकों को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जा सके (2006)
- वित्तीय समावेशन पर रंगराजन समिति का गठन (जून 2006)
- वित्तीय शिक्षण (2012)।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2004 में वित्तीय समावेशन और इसकी कार्यप्रणाली पर अध्ययन करने के लिए खान आयोग का गठन किया था। वर्ष 2005-06 में भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में इस आयोग की प्रधान संस्तुतियों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट में केन्द्रीय बैंक ने व्यापक स्तर पर वित्तीय समावेशन हेतु कार्यप्रणाली बनाई थी जिसमें 'नो फ्रिल अकाउंट' यानि सादे खातों पर जोर देते हुए बैंकिंग सुविधा के दायरे को बढ़ाने पर बल दिया गया। लक्ष्य था बैंकिंग सुविधा से वंचित देश की वे सभी बस्तियाँ जिनकी आबादी 2,000 से अधिक थी। 'स्वाभिमान अभियान' के तहत उत्तर-पूर्व व पहाड़ी इलाकों में यह संख्या 1,000 से अधिक तय की गई। बैंक कारोबार प्रतिनिधि (बिज़नेस करेस्पोंडेंट) के माध्यम से इसे कार्यान्वित

करने की पूरी रणनीति बनाई गई। जैसा कि ऊपर अंकित है, जनवरी 2006 में रिज़र्व बैंक ने गैर-सरकारी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं व नागरिक समाज की सहायता ले सकने के लिए भी हामी भर दी। राष्ट्रीयकृत बैंक व अन्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड के रूप में एक विशेषीकृत बैंक, लीड बैंक योजना, सेवा क्षेत्र योजना आदि इसी व्यापक लक्ष्य के विभिन्न उपकरण बने। कुल मिलाकर वित्तीय समावेशन भारत सरकार और उसके विभिन्न तंत्रों की एक ऐसी अभूतपूर्व पहल थी जिसका लक्ष्य था वंचितों व सदियों से हाशिए पर रहे विशाल जनसमूह को देश की मुख्यधारा की बैंकिंग प्रणाली में शामिल करना। आम घरों की बचत या चालू खाते, ऋण, बीमा, पेंशन आदि तक पहुँच बनाना।

इसी तरह सरकार के स्तर पर भी सामाजिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण भूमिका को भली-भाँति स्वीकारा गया और यथासमय इस आशय के कदम उठाये गए:

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (2006 से लागू)
- 100 दिन का रोज़गार सुनिश्चित करते हुए आय सूजन के माध्यम से वित्तीय समावेशन
- मज़दूरी का भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस से करने को प्रोत्साहन
- जनश्री बीमा योजना के तहत जीवन बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहन।

इन तथ्यों की दृष्टि से समाज के चतुर्दिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन की भूमिका एकदम केन्द्रीय हो जाती है। मसलन अगर हम सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अर्थात् कृषि व ग्रामीण ऋण समस्या की बात करें तो कुछ चीजें बहुत ही स्पष्टता से दिखती हैं। यह एक सर्वसुलभ तथ्य है कि भारत की जनसंख्या की आधी से अधिक आबादी का संकेन्द्रण ग्रामीण इलाकों में है, जहाँ आजीविका का मुख्य साधन कृषि और पशुपालन है। हमारी आबादी का 80% भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है और यह भी उतना ही साफ है कि इसके अस्तित्व को बनाए रख सकना आज समाज व अर्थव्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। खासकर यह चुनौती छोटे व सीमांत किसानों के लिए ज्यादा है क्योंकि देश के कुल कृषि क्षेत्र का 78 प्रतिशत भाग मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून साथ न दे (और जैसा कि आम तौर पर होता आया है - इस वर्ष भी) तो हमारे किसानों की सार्वभौम समस्या वित्त की आ

जाती है। महंगे कृषि उपकरण, खाद, बीज, सिंचाई की व्यवस्था आदि का भार किसानों के लिए असह्य हो जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 40 प्रतिशत किसान खेती छोड़कर कोई वैकल्पिक व्यवसाय करना चाहते हैं। इस दबाव का एक दुःखद परिणाम यह है कि 1997 से 2009 के बीच लगभग सवा दो लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली।

इस स्थिति में अगर इन इलाकों में वित्तीय समावेशन को सही तरीके से लागू किया जाए तो किसानों को खून चूसने वाले महाजनों व साहूकारों के अत्यंत ऊँचे ऋण के अंतहीन दुष्क्र से मुक्ति मिलेगी। आँकड़ों पर अगर नज़र डालें तो यह बात प्रमाणित भी होती है। किसानों को अल्पकालीन सुविधापूर्ण ऋण प्रदान करने के लिए 1998 में किसान क्रेडिट योजना का शुभारम्भ किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार 2009-10 तक साढ़े तीन करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। सरकारी बजट में भी वर्ष 2011-12 में कृषि के लिए ऋण राशि को 4,75,000 करोड़ रुपये किया गया, जिसे यथासमय भुगतान करने पर केवल 4 प्रतिशत की दर से व्याज देना होगा। जोखिम के विकल्प के रूप में फसल बीमा योजना को लागू किया गया। ज़ाहिर है कि बैंकों की इनमें केन्द्रीय भूमिका थी और वित्तीय समावेशन की इस गतिविधि के सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से उभर रहे हैं।

अन्य क्षेत्रों में भी वित्तीय समावेशन की भूमिका कई स्तरों पर बेहद रचनात्मक रही है। सरकार ने अपनी बहुत सी योजनाओं को वित्तीय समावेशन से सम्बद्ध किया है। सरकारी सहायता या सब्सिडी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक (इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर) तरीके से किया जाना ऐसी ही एक खास पहल है। एमएसएमई के क्षेत्र में भी वित्तीय समावेशन के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं।

परंतु, इन सबके बाद भी यह समझ लेना गलत होगा कि वित्तीय समावेशन अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल रहा या फिर इसकी कार्यप्रणाली पूरी तरह से दोषमुक्त थी। वित्तीय समावेशन की भूमिका का जब मूल्यांकन किया जाता है तो एक मिश्रित किस्म की तस्वीर उभरती है। वित्तीय समावेशन पर अपने तरह के पहले सूचक में जब 100 देशों का विभिन्न पैमानों पर परीक्षण किया गया तो भारत का स्थान 50वाँ आया। भारतीय रिज़र्व बैंक के ही आँकड़े बताते हैं

कि केवल 34 प्रतिशत भारतीयों के पास बुनियादी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। राज्य स्तर पर समावेशन के आँकड़े चिंताजनक हैं। उदाहरण के लिए अगर एक तरफ केरल लगभग शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन के साथ जहाँ शीर्ष स्थान पर है, वहाँ बिहार में यह आँकड़ा सिर्फ 33 प्रतिशत है। पूर्वोत्तर के सन्दर्भ में स्थिति और भी खराब है जहाँ मणिपुर में यह 27 प्रतिशत और नागालैंड में सिर्फ 21 प्रतिशत है।

इससे भी बढ़कर जो समस्या सामने आई है वह है वित्तीय समावेशन के साथ सूक्ष्म वित्त या माइक्रोफाइनेंस के कुप्रबंधन की। माइक्रोफाइनेंस की परिकल्पना वित्तीय समावेशन के साथ गरीबी को दूर करने के लिए की गई थी। इस रणनीति के तहत अल्प आय वर्ग के लोगों को एक समूह में जोड़कर उन्हें छोटे ऋण दिये जाते हैं। ऋणधारक को कोई ज़मीन या अन्य संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होती थी। ज़रूरतमंदों को आवश्यकतानुसार जैसे घेरलू काम, सूखे या फिर पशु खरीदने के लिए ऋण दिया जाता था। परंतु माइक्रोफाइनेंस से जुड़ी कुछ कम्पनियों ने विकास कार्य को आगे बढ़ाने की आड़ में मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति आगे बढ़ाई और उनके जाल में फँसकर कई गरीब परिवार तनावग्रस्त हुए व इस तरह आत्महत्या को बाध्य हुए। हमारे आज के समाचार-पत्र इस तरह की खबरों से भरे पड़े हैं।

इसके साथ ही माइक्रोफाइनेंस कम्पनियों के आईपीओ बाज़ार में उतारने की चिंताएँ भी सामने आई हैं। यह डर बढ़ा है कि आर्थिक रूप से अशक्त व वित्तीय रूप से वंचित लोगों के सशक्तीकरण के जिस कल्याणकारी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये योजनाएँ बनाई गई थीं, कहीं ऐसा न हो कि बाजार की मुनाफाखोर शक्तियाँ उसे विफल कर दें। इसलिए इसके अधिक बेहतर नियमन व कुशल प्रबंधन के लिए कानून बनाने का मुद्दा अधिक गम्भीरता से उठाये जाने की आवश्यकता है।

साथ ही इस बात को समझने की भी खासी ज़रूरत है कि वंचित समूहों को बैंक का खाता खुलवाकर या फिर बैंक की दहलीज तक पहुँचा देना ही वित्तीय समावेशन की लक्ष्य प्राप्ति नहीं है। यह तो मात्र शुरुआत भर है क्योंकि अगर इतना भर ही कर देने से लक्ष्य का इतिश्री हो जाता तो वित्तीय सेवा मुहैया कराने के

आशय से खोले गए सभी खाते चालू रहते। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समेकित विभिन्न बैंकों के आँकड़े बतलाते हैं कि समग्र वित्तीय सेवा प्रदान कराने के आशय से खुलवाए गए 8 करोड़ से अधिक खातों में साढ़े 6 करोड़ निष्क्रिय हो चुके हैं। इतना ही नहीं जो बचे हुए खाते हैं, उनमें भी संव्यवहार नाममात्र का है और वह भी अधिकतर सरकारी सब्सिडी का। बैंकों को आँकड़ा पूरा करने की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर एक गुणवत्तापूर्ण और वस्तुतः सर्वसमावेशी दृष्टिकोण का विकास करना होगा ताकि बैंकिंग सेवा से वंचित लोग न सिर्फ बैंकिंग प्रक्रिया में शामिल हो पाएं बल्कि उसमें सक्रिय योगदान भी दे सकें।

अगर इस व्यापक दृष्टिकोण के साथ वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्धता से काम किया जाए तो उसके दूरगामी लाभ होंगे और हमारी आर्थिक गतिविधियाँ सामाजिक विकास के इंजन का काम करेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि रणनीतियों को और भी रचनात्मक व जनकेन्द्रित बनाया जाए। उदाहरण के लिए अगर कृषि का ही सन्दर्भ लिया जाए तो वित्तीय समावेशन के अंतर्गत किसानों को बैंक से जोड़कर कृषि खाता खोला जा सकता है, जिसमें बैंकों को भारतीय खाद्य निगम व किसान के बीच कड़ी बनाया जा सकता है। उपज खाद्य निगम खरीदे और लाभ सीधा किसान तक पहुँचे। यह अपने आप में अत्यंत पारदर्शी व भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था सिद्ध हो सकती है।

इसी तरह वित्तीय समावेशन हेतु वित्तीय साक्षरता व वित्तीय शिक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआती दिनों से ही यानि स्कूल के दिनों से ही हल्के-फुल्के तरीकों से वित्तीय जागरूकता के प्रयास शुरू किए जा सकते हैं। पाठ्यक्रमों में इससे जुड़े अध्याय जोड़े जा सकते हैं। यह एक आम-फहम घटना है कि केवल जागरूकता के अभाव में लोग अपने वित्तीय अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस तरह से अगर वित्तीय समावेशन को उसके परिकल्पित लक्ष्यों के अनुरूप हासिल कर लिया जाए तो इसके प्रत्यक्ष लाभ देश को हर तरह से सशक्त बनाएंगे, जिनमें मुख्य हैं:

- समता के साथ विकास
- गरीबी से छुटकारा

- आर्थिक लेनदेन पारदर्शी व सुविधाजनक
- बचत करने के लिए प्रोत्साहन
- बचत का सुरक्षित व लाभदायक होना
- निवेश पर आधारित तीव्र राष्ट्रीय आय।

आज हम समय के उस पड़ाव पर हैं जब दुनिया की आर्थिक व राजनीतिक एकधुवीयता को अभूतपूर्व चुनौती मिली है। विभिन्न ऊँच-नीच, मंदियों और 'डबल-डिपों' के बीच बहुधुवीय विश्व की कल्पना साकार होती दिख रही है। अपने आप में यह तथ्य निर्विवाद है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना सामाजिक समता और अवसर की समता का कोई महत्व नहीं। वास्तव में अब वह समय आ चुका है जब 'क्लास बैंकिंग' की जगह 'मास बैंकिंग' को सर्वोपरि मान लिया जाए। यह सच है कि हर परियोजना में कुछ-न-कुछ खामियाँ होती हैं। इन खामियों का होना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण यह होता कि उन खामियों को किस प्रकार विकेपूर्वक दूर किया गया और बेहतर लक्ष्य के लिए कितनी अधिक निष्ठा से काम किया गया। वित्तीय समावेशन और उसके तमाम विमर्श इस आधारभूत बात के अपवाद नहीं हैं। इसी सन्दर्भ में आलेख की शुरुआत विलियम मॉरिस की उस सुप्रसिद्ध उक्ति से की गई।

जैसा कि पहले भी स्पष्ट हुआ, वित्तीय समावेशन इस अर्थ में कर्तई अद्भुत नहीं है कि इसने हमारे देश को सिरे से बदलकर रख दिया। पर यह इस अर्थ में वाकई अनोखा है कि यह उन संवेदनाओं व आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देता है जो एक सशक्त भेदभावहित और खुशहाल भारत की उम्मीद जगाती हैं। एक कार्यक्रम और एक अभियान के रूप में वित्तीय समावेशन अनेकों सकारात्मक बदलावों के प्रतिनिधि-कार्यक्रम के रूप में उभरता है। इस पृष्ठभूमि में अगर भारत जैसे विकासशील देश में कोई सामूहिक स्वप्न बुना जा सकता है तो वह है एक समरस समाज के सृजन का जहाँ 'भारत और इंडिया' का भेद बताने वाला थका हुआ और बेजान मुहावरा सिर्फ मुहावरों में ही ज़िन्दा रहे न कि हमारे वास्तविक सपनों के भारत में।

संदेहास्पद लेनदेन प्रतिवेदन वह
 प्रतिवेदन है जो किसी बैंक अथवा
 वित्तीय संस्था के ‘प्रिंसिपल
 ऑफिसर’ के द्वारा वित्तीय
 आसूचना इकाई-भारत (FIU-
 IND) को प्रेषित किया जाता है।
 कोई बैंक या वित्तीय संस्था यदि
 ऐसा समझती है कि उसकी
 शाखा अथवा कार्यालय में मौजूद किसी खाते में कोई लेनदेन
 धनशोधन अथवा आतंकवादी गतिविधियों के वित्तीयन के लिए
 किया गया है तो इसकी रिपोर्टिंग की जाती है।

संदेहास्पद लेनदेन की आवश्यकता क्या है?

ऐसा देखा गया है कि कई बार आपराधिक गतिविधियों से
 प्राप्त अवैध निधि को वैध दर्शाने के लिए बैंक अथवा अन्य वित्तीय
 संस्थाओं को साधन बनाया जाता है। इसके लिए अपराधी कई
 प्रकार के कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए वे आपराधिक
 गतिविधि से प्राप्त कोष को बैंक में एकमुश्त या छोटी-छोटी रकमों
 में जमा करते हैं। बाद में इसे एक खाते से दूसरे खाते में, एक बैंक
 से दूसरे बैंक में या अन्य वित्तीय संस्था में अंतरित कर ऐसी स्थिति
 बना देते हैं कि धन के उद्गम को जान पाना दुष्कर हो जाता है।
 अंत में ये लेनदेन स्वच्छ तरीके से अर्जित और वैध प्रतीत होने
 लगते हैं। इस प्रकार आपराधिक गतिविधियों से अर्जित किया गया
 काला धन सफेद धन के रूप में परिवर्तित हो जाता है।

काले धन की समस्या अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है।
 इससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था दुष्प्रभावित होती है। इसे रोकने के लिए
 आवश्यक है कि बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं स्वयं को अपराधियों के
 द्वारा इस कार्य हेतु प्रयुक्त होने से बचाएं और यदि ऐसी आशंका
 है कि उनके माध्यम से धनशोधन के उद्देश्य से लेनदेन किया जा
 रहा है तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आसूचना इकाई को सूचित करें
 ताकि उनके स्तर पर इस संबंध में आवश्यक कारबाई की जा सके।
 इस प्रकार हम देखते हैं कि आपराधिक तत्वों के द्वारा काले धन
 को वैध बनाने से रोकने के लिए अथवा आतंकवादी गतिविधियों
 के वित्तपोषण को रोकने के लिए संदेहास्पद लेनदेन प्रतिवेदन बनाने
 की आवश्यकता है।

संदेहास्पद लेनदेन प्रतिवेदन

विनय कुमार पाठक

मुख्य प्रबंधक
 भारतीय स्टेट बैंक
 जयपुर - 302015

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत बैंक संदेहास्पद लेनदेन प्रतिवेदन वित्तीय आसूचना इकाई को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। लेनदेन के संदेहास्पद होने के निष्कर्ष पर पहुँचने के सात दिनों के भीतर इसे प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

कौन बनाता है संदेहास्पद लेनदेन प्रतिवेदन और कैसे?

इस प्रतिवेदन को बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं बनाती हैं। सर्वप्रथम बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं ‘अपने ग्राहक को जानिए’ मानदंड को अपनाकर प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार के बेनामी या छद्म नाम में अथवा अपराधी-आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के खाते न खुलें। यद्यपि इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि किसी व्यक्ति को इस मानदंड के कारण वैध बैंकिंग सुविधाओं से वंचित न किया जाए। इसके लिए कुछ विशेष श्रेणी के ग्राहकों को ‘अपने ग्राहक को जानिए’ मानदंड में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार छूट भी दी गई है।

खाता खुलने के बाद ‘अपने ग्राहक को जानिए’ प्रक्रिया समाप्त नहीं होती बल्कि यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें होने वाले लेनदेनों पर सर्वदा निगरानी रखी जाती है। यदि किसी खाते में कोई लेनदेन संदेहास्पद प्रतीत हो तो उस खाते पर संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट बनाई जाती है। यह रिपोर्ट किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा नामित प्रिंसिपल ऑफिसर द्वारा बनायी जाती है जो वरिष्ठ स्तर का अधिकारी होता है और जिसे धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा मनोनीत किया जाता है। अर्थात् किसी शाखा/कार्यालय द्वारा रिपोर्ट अपने ‘प्रिंसिपल अधिकारी’ को प्रस्तुत की जाती है जो उसका विशद अध्ययन करने पर यदि संदेहास्पद पाता है तो वित्तीय आसूचना इकाई को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वित्तीय आसूचना इकाई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन होती है और उसे

यह अधिकार होता है कि वह बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से सूचना प्राप्त करे और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे।

संदेहास्पद लेनदेन क्या है?

यह एकदम से निश्चित करना कि कौन सा लेनदेन संदेहास्पद है कौन सा नहीं बहुत ही मुश्किल है। लेनदेन की रकम के आधार पर भी इसे एकदम से निर्धारित नहीं किया जा सकता। उच्च आय वर्ग के व्यक्ति/संस्था के उच्च रकम के लेनदेन भी संदेहास्पद नहीं हो सकते क्योंकि यह उनकी आर्थिक क्षमता और आवश्यकता के अनुसार हो सकता है। दूसरी ओर निम्न आय वर्ग के व्यक्ति द्वारा किए गए छोटी रकमों के लेनदेन भी संदेहास्पद हो सकते हैं यदि वे ग्राहक के प्रोफाइल से मेल न खाते हों। फिर भी कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनके आधार पर लेनदेन को इस दृष्टि से देखा जा सकता है कि क्या ये संदेहास्पद हैं।

यदि किसी नकद या गैर-नकद लेनदेन से यह प्रतीत हो कि वह आपराधिक गतिविधि से प्राप्त राशि से संबद्ध है तो उसे संदेहास्पद माना जा सकता है। इसी प्रकार यदि किसी लेनदेन को अनावश्यक रूप से जटिल बनाया गया हो तो यह संदेह को जन्म देता है। किसी लेनदेन का आर्थिक औचित्य नजर न आए तो उसे भी संदेहास्पद माना जा सकता है।

उदाहरण के लिए हम ऐसे लेनदेनों को लें जो ग्राहक के सामान्य व्यवसाय से मेल न खाते हों। यदि किसी कॉरपोरेट खाते में अत्यधिक रोकड़ लेनदेन हो तो इसे संदेहास्पद माना जा सकता है क्योंकि कुछ फुटकर खर्चों के अलावा इनके भुगतान चेक अंतरण द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी गैस एंजेंसी के खाते से लाखों रुपयों की नकद निकासी हो तो यह संदेहास्पद प्रतीत होता है क्योंकि एक गैस एंजेंसी सामान्यतः गैस कंपनी को ड्राफ्ट, टीटी, आरटीजीएस, ईएफटी आदि से भुगतान करेगी। इसी प्रकार यदि इस तरह के खातों में असंबद्ध स्रोत से या असंबद्ध स्रोत को धनप्रेषण हो तो यह संदेहास्पद है। उदाहरण के लिए शराब के व्यवसाय में कार्यरत कंपनी यदि अपने खाते में नकद जमा करती है तो बात समझ में आती है परंतु यदि इस रकम को भूमि एवं भवन व्यवसाय से संबंधित कंपनी को लगातार अंतरित करती रहे तो यह संदेहास्पद है। इसके अलावा यदि कॉरपोरेट खाताधारियों द्वारा धनप्रेषण के लिए नकदी का प्रयोग किया जाए तो यह संदेहास्पद हो सकता है।

इसी प्रकार यदि किसी खाते में लगातार सिर्फ राशि जमा होती रहे और दैनिक गतिविधियों के लिए भी निकासी न हो तो यह संदेहास्पद स्थिति है। कई मामलों में देखा गया है कि आम जनता को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर उनसे देश के प्रत्येक हिस्से से रकम जमा करवाकर रकम बड़ी हो जाने पर उसे लेकर कंपनियाँ रफू चक्कर हो जाती हैं। किसी नियम के तहत निर्धारित सीमा से नीचे रकम जमा कर नियामक की आँखों में धूल झोंकना भी इसी श्रेणी में आता है।

यदि कोई ग्राहक अपने व्यवसाय के बारे में, आय के स्रोत के बारे में जानकारी देने में झिल्लिक दिखाता है तो यह भी संदेह को जन्म देता है। यदि किसी ग्राहक के पेशे से असंगत आकार अथवा आवृत्ति के लेनदेन होते हैं तो ये संदेहजनक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी वेतनभोगी के खाते में वेतन, भत्तों के अलावा यदि बड़ी रकम नकद या गैर नकद जमा हो तो स्रोत संदेहास्पद हो जाता है। इसी प्रकार यदि अनावश्यक रूप से खातों के मध्य अंतरण का जाल बिछाया जाए तो यह भी संदेहास्पद है। उदाहरण के लिए कोई ग्राहक एक ही रकम को अपने या अपने परिवार के सदस्यों या मित्रों के खातों के मध्य एक खाते से दूसरे फिर तीसरे खाते में अंतरित करता जाए तो यह या तो स्रोत छिपाने के लिए किया गया कार्य हो सकता है या फिर कुछ और। इसी प्रकार यदि कोई ग्राहक अपने पेशे के विपरीत लगातार रोकड़ जमा करता है और नोट के पैकेट विभिन्न बैंकों के हों तो हो सकता है वह धनशोधन के कार्य में लिप्स हो। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हो सकते हैं जिनमें लेनदेन संदेहास्पद हो सकते हैं। इसे प्रकरण विशेष के अध्ययन के अधार पर ही विश्लेषित किया जा सकता है।

संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट का प्रारूप कैसा होता है?

संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट आठ खंडों में विभक्त होती है। इसमें लेनदेन एवं लेनदेन में प्रयुक्त होने वाली संस्था का पूरा विवरण होता है। प्रत्येक खंडों का खंडवार व्योरा निम्नवत् है:-

प्रथम खंड - इसमें प्रतिवेदन तैयार करने की तिथि, प्रतिवेदन मूल है या पहले के प्रतिवेदन का प्रतिस्थापन है, यदि प्रतिस्थापन है तो मूल प्रतिवेदन प्रेषित करने की तिथि आदि विवरण दिया जाता है।

द्वितीय खंड - इसमें प्रिंसिपल ऑफिसर के बारे में पूर्ण विवरण दिया जाता है। जैसे-बैंक का नाम, बीएसआर कोड, भारतीय आसूचना इकाई द्वारा आबंटित आई डी, बैंक की श्रेणी,

प्रिंसिपल अधिकारी का नाम, पदनाम और संपूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, फैक्स, ई-मेल पता आदि के साथ। बैंक की श्रेणी निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है।

श्रेणी	बैंक
ए	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
बी	निजी क्षेत्र के बैंक
सी	विदेशी बैंक
डी	सहकारी बैंक
ई	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
एफ	लोकल एरिया बैंक
जेड	अन्य

तृतीय खंड - इसमें उस शाखा/कार्यालय का विवरण दिया जाता है जिसमें वह खाता है जिसके लेनदेन पर संदेहास्पद लेनदेन प्रतिवेदन बनाया जा रहा हो। इसके अंतर्गत शाखा का नाम, बीएसआर कोड, वित्तीय आसूचना इकाई द्वारा आबंटित आईडी एवं शाखा के टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल पता आदि के साथ संपूर्ण पता दिया जाता है।

चतुर्थ खंड - इसमें लेनदेन से जुड़े व्यक्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है। इनसे संबंधित विस्तृत जानकारी संलग्नक में दी जाती है। इसी भाग में यह भी दर्शाया जाता है कि कितने अतिरिक्त संलग्नक इसके साथ लगाये गये हैं। संलग्नक में उस बैंक एवं शाखा का नाम, बीएसआर कोड, व्यक्ति का नाम, ग्राहक की पहचान, राष्ट्रीयता, खाते के संबंध में उसकी हैसियत अर्थात् खाताधारी, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, निदेशक/भागीदार, परिचयकर्ता, गारंटीकर्ता आदि, पहचान प्रपत्र यथा - पासपोर्ट, चुनाव पहचान पत्र, पैन कार्ड, पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, परिचयकर्ता आदि, पहचान क्रमांक, पहचान प्रपत्र जारी करने वाले अधिकारी, निर्गम स्थान, पत्राचार का पता एवं स्थायी पता आदि का वर्णन रहता है।

पंचम खंड - इसमें लेनदेन से संबद्ध विधिक व्यक्तियों की जानकारी दी जाती है। इनसे संबंधित विस्तृत जानकारी संलग्नक में दी जाती है। इसी भाग में यह भी दर्शाया जाता है कि कितने अतिरिक्त संलग्नक इसके साथ लगाए गए हैं। वस्तुतः चतुर्थ खंड व्यक्तिगत खातों के लिए होता है और पंचम खंड विधिक व्यक्तियों

के खाते के लिए होता है। शेष बारें दोनों में समुचित परिवर्तन के साथ सामान्य होती हैं। उदाहरण के लिए इसमें व्यवसाय की प्रकृति, निगमन तिथि, पंजीकरण क्रमांक, पंजीकर्ता अधिकारी, पंजीकरण का स्थान आदि का समावेश होता है।

षष्ठम खंड - इसमें लेनदेन से संबंधित व्यक्तियों के खाता क्रमांक एवं संयुक्त खाते की स्थिति में प्रथम खाताधारी का नाम दिया जाता है। सभी खाते के विवरण संलग्नक में दिये जाते हैं। इसी भाग में यह भी दर्शाया जाता है कि कितने अतिरिक्त संलग्नक इसके साथ लगाये गये हैं। इसमें बैंक एवं शाखा का नाम, ग्राहक का नाम, बीएसआर कोड, खाता क्रमांक, खाते का प्रकार यथा - बचत खाता, चालू खाता, कैश क्रेडिट खाता आदि, खाताधारी का प्रकार यथा - व्यक्ति, विधिक, केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली संस्था आदि, खाता खोलने की तिथि, जोखिम संवर्ग यथा - निम्न, मध्यम एवं उच्च जोखिम की जानकारी दी जाती है।

सप्तम खंड - इसके दो भाग होते हैं। प्रथम भाग में यह दर्शाया जाता है कि लेनदेन को संदिग्ध मानने का क्या कारण या आधार है। ये कारण इस प्रकार हो सकते हैं:- ग्राहक की पहचान, ग्राहक की पृष्ठभूमि, ग्राहक के अनेक खाते का होना, खाते के क्रियाकलाप, लेनदेन की प्रवृत्ति, प्रविष्टि की रकम, अन्य कारण। अन्य कारण की स्थिति में कारण को विशेष रूप से उल्लिखित करना चाहिए। दूसरे भाग में संदेह के आधार का विस्तृत विवरण दिया जाता है। वस्तुतः इस भाग को संदेहास्पद लेनदेन प्रतिवेदन की आत्मा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि यह संदेहास्पद लेनदेन प्रतिवेदन के बनाए जाने के कारण को स्पष्ट करता है। इसे पूरी सावधानी के साथ एवं पूर्णतः स्पष्टता के साथ तैयार करना चाहिए ताकि वित्तीय आसूचना इकाई इसे अच्छी तरह से समझ सके।

अष्टम खंड - इसमें इस बात का उल्लेख होता है कि क्या इस मामले को किसी जाँच अधिकरण को संदर्भित किया गया है। किसी जाँच एजेंसी को मामला सौंपे जाने की स्थिति में उस जाँच एजेंसी का नाम, पता आदि का उल्लेख इसमें किया जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संदेहास्पद लेनदेन प्रतिवेदन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा धनशोधन और आतंकवादी वित्तीयन के मामलों को इसके द्वारा उजागर किया जाता है।



इतिहास के पन्नों से

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

हर दिन हर कदम आपके साथ



बैंक का प्रधान कार्यालय

आइए इस बार आपको रू-ब-रू करवाते हैं आजादी से पहले के भारत की एक छोटी सी रियासत पटियाला में पनपे बैंक से, जिसकी स्थापना और किसी ने नहीं बल्कि उस रियासत के राजा ने स्वयं की थी। जी हाँ, इस अंक में हम आपको ले चल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के बीते दिनों की यादों में, जहां आप पाएंगे अपनी रियासत के आम जनों की आर्थिक प्रगति की तमन्ना रखनेवाले शासक की इच्छा, उसे पूरा करने की जिद और अंततः अपनी मनोकामना को साकार रूप प्रदान करने की संतुष्टि। प्रजा हितकारी सोच रखनेवाले महाराजा भूपिंदर सिंह की सकारात्मक सोच और पहल का नतीजा है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, जो आज भी उसी लगन एवं सेवाभाव से आर्थिक विकास में अपना योगदान देता आ रहा है। आइए सुनते हैं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की कहानी उसी की जुबानी...

पाठको, सबसे पहले तो मैं आपको उन स्थितियों के बारे में बताना चाहूँगा जिनकी वजह से मेरे गठन के बारे में सोचा गया। आजादी से पहले के अपने इतिहास में यदि झांकें तो हम पाएंगे कि किस तरह से ब्रिटिश शासनकाल में सोने की चिड़िया कहे जानेवाले हमारे देश को लूटा-खोटा गया था। हमारे सभी प्रांत एवं रियासतें उपजाऊ संसाधनों के मालिक होने के बावजूद उनका लाभ उठाने से वंचित थीं। ऐसे में पंजाब प्रांत की एक छोटी सी रियासत पटियाला की हालत भला इन सबसे अलग कैसे हो सकती थी। वहां किसी भी तरह के नए उद्योगों का आगमन नहीं हो रहा था। मेरी जन्मभूमि से जुड़े पारम्परिक दस्तकार और शिल्पकार वस्त्रों के अलावा उपभोक्ता सामान की आपूर्ति में लगे हुए थे। बैंकिंग की

सुविधा के नाम पर पंजाब नैशनल बैंक की एकमात्र शाखा काम कर रही थी। रियासत का शेष व्यापार खासकर खेती के लिए धन उपलब्ध कराने का काम पारम्परिक साहूकारों और आढ़तियों द्वारा ही किया जाता था।

फिर आया 1913 का वह साल जब पटियाला रियासत की किस्मत ने करवट बदली। तत्कालीन महाराजा भूपिंदर सिंह जी ने लाहौर में बसे कश्मीरी पंडितों के परिवार के एक अत्यन्त ही कुशाग्र बुद्धिवाले और कुशल प्रशासक श्री दया कृष्ण कौल को अपना विदेश तथा वित्त सचिव नियुक्त किया जो आगे चलकर पटियाला रियासत के प्रधान मंत्री बनाए गये। श्री कौल की दूरगामी सोच ने यह पलक झपकते ही भांप लिया कि यदि पटियाला रियासत में कारोबार की उन्नति करनी है तो उसके लिए रियासत का अपना एक बैंक होना बहुत जरूरी है। उन्होंने तुरंत ही बैंक की स्थापना करने के लिए महाराजा को अपनी सिफारिश भेज दी जिसे महाराजा साहिब ने बिना देरी किए मान लिया।

लेकिन इसी बीच आया सन् 1914 जब पंजाब के पीपुल्स बैंक समेत 17-18 बैंक फेल हो गए और कुछ समय बाद ही



बैंक के संस्थापक
महाराजा भूपिंदर सिंह

भारत इंश्योरेंस कम्पनी भी फेल हो गई। बैंकों में घटित इस घटनाक्रम को देखते हुए मेरे गठन के बारे में काफी विचार-विमर्श किया गया। लोगों के ज़ेहन में बड़ी संख्या में बैंकों के फेल होने की याद ताजा थी, इसलिए मेरी स्थापना के संबंध में तीन विकल्पों पर चर्चा की गई। पहला विकल्प था ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना करना, दूसरा था राज्य सरकार के एक नए विभाग का गठन करना और तीसरा था राज्य के पूर्ण स्वामित्व वाली एक स्वशासित संस्था की स्थापना करना जिसके अध्यक्ष का कार्यभार प्रधान मंत्री या वित्त सचिव को सौंपा जाए।

इन सभी विकल्पों के बारे में महाराजा साहिब के साथ विचार-विमर्श किया गया और अंत में महाराजा साहिब ने तीसरे विकल्प पर अपनी सहमति देते हुए मेरी स्थापना के लिए राज्य से 5 लाख रुपए की पूँजी का अंशदान भी किया और इस तरह से 1917 में मेरा जन्म हुआ व मेरी पहचान पटियाला स्टेट बैंक के रूप में की गई। दीपावली पर्व के शुभ दिन मौजूदा किला चौक शाखा से मैंने काम करना शुरू कर दिया। मेरे पहले प्रबन्धक के रूप में चुने गए श्री सालिगराम हून को उनके अथक परिश्रम का फल कुछ यूं मिलता गया कि जैसे-जैसे मैं उन्नति की सीढ़ियां चलता गया मेरे साथ ही साथ उनकी भी पदोन्नति होती गई और वे महाप्रबन्धक तथा अंत में प्रबंध निदेशक के पद पर विराजमान हुए। मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को उनकी सेवाओं के लिए उचित मानधन आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी स्वयं मुझे ही सौंपी गई।

तत्कालीन पटियाला रियासत के सभी जिला मुख्यालयों तथा बठिंडा जैसे अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों में मैंने अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए और धीरे-धीरे सभी मंडियों तथा दूसरे व्यापारिक केन्द्रों तक अपनी पहुंच बना ली। मेरे संस्थापकों का पूरा संरक्षण मुझे हासिल था क्योंकि किसी दूसरे बैंक को पटियाला राज्य में अपनी शाखा खोलने की अनुमति नहीं थी। एकमात्र अपवाद के रूप में पंजाब नैशनल बैंक की वह शाखा थी जो मेरे जन्म के बहुत समय पहले से वहां काम कर रही थी।

मेरी अपनी आंतरिक व्यवस्था में सबसे पहले सितम्बर 1926 में राज्य सरकार द्वारा बदलाव किए गए और पहली बार निदेशक मंडल के गठन के साथ ही बैंक के मुख्य कार्यपालक को प्रबन्ध निदेशक बनाया गया। मेरे प्रबंधकों ने आम जनता की मदद करने के लिहाज से 1930 में सहकारिता विभाग की स्थापना के साथ ही

प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटियों की स्थापना की जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई, जो साहूकारों से बहुत ज्यादा ब्याज दर पर कर्ज लेकर अपना कारोबार करते थे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सहकारिता आन्दोलन का सृजन करने में मैंने युगप्रवर्तक की भूमिका निभाई है।

इसके कुछ समय पश्चात ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भी काम करना शुरू किया था और अपने यहां कृषि ऋण विकास विभाग की स्थापना की। सहकारिता आन्दोलन की शुरुआत हम दोनों ने साथ-साथ ही की अन्तर केवल यह था कि रिजर्व बैंक ने सहकारिता आन्दोलन को फेडरल संरचना के माध्यम से धन उपलब्ध कराया जबकि मैंने सीधे ही इन सोसाइटियों को कर्ज दिया था।

मेरी जीवनयात्रा में 1938 का साल कई दुखद मोड़ लेकर आया जब मेरे पहले प्रबंध निदेशक श्री सालिगराम हून का निधन हो गया। इसी साल मुझे एक और बिछोह की पीड़ी से गुजरना पड़ा जब महाराजा भूपिन्दर सिंह भी इस दुनिया को अलविदा कह गए और उनके निधन के साथ ही मेरी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया।



**बैंक के प्रथम प्रबंध निदेशक
श्री सालिगराम हून**

1943 में सरदार मोहन सिंह

जी ने प्रबंध निदेशक के रूप में मेरी बागडोर संभाली और बैंकिंग सेवाओं के तीव्र विकास पर जोर दिया। चूंकि वे इम्पीरियल बैंक में कार्य कर चुके थे अतः वहां की कतिपय बेस्ट प्रैक्टिसेस को उन्होंने मेरे यहां भी आरंभ किया और पटियाला राज्य के बाहर बैंक का कारोबार इम्पीरियल बैंक की अम्बाला शाखा के माध्यम से किया जाने लगा। मैंने इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया से बेहतर तालमेल कायम रखते हुए सम्मानजनक नाम अर्जित किया।

मैंने अपनी सेवाओं को नया आकार देते हुए वर्ष 1946 में पटियाला इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नामक एक जनरल इंश्योरेंस कम्पनी आरंभ की जो भारत की आजादी के बाद तक काम करती रही। मेरे कर्ता-धर्ता अर्थात मेरे प्रबंध निदेशक ही इस कॉरपोरेशन के पदेन

अध्यक्ष भी हुआ करते थे। आगे चलकर इसका न्यू इंडिया इंश्योरेंस में विलय कर दिया गया।

फिर आया 1948 का वह साल जब मैंने पुनः एक छलांग लगाई और साथ लगती रियासतों अर्थात् फरीदकोट और जींद के छोटे-छोटे बैंकों तथा जींद को-ऑपरेटिव बैंक का मुझमें विलय कर दिया गया और मेरा पुनर्गठन कर मुझे भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में लाया गया। मेरा नाम भी पटियाला स्टेट बैंक से बदल कर बैंक ऑफ पटियाला कर दिया गया। उसी वर्ष मैंने अपना प्रधान कार्यालय भी बदल दिया और मैं किला चौक से हटकर माल रोड स्थित नए भवन से अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचाने लगा। रिजर्व बैंक से मिले आदेशों पर अमल करते हुए मैंने को-ऑपरेटिव बैंकिंग का काम करना भी बंद कर दिया।

आज भी मेरे ज़ेहन में भारत पाकिस्तान के बंटवारे की यादें ताजा हैं और जब भी मैं लोगों के उन दिनों के हालात को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश के विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से पटियाला राज्य में आनेवाले शरणार्थियों की दुर्दशा, परेशानियों तथा कठिनाइयों को मैंने काफी नजदीक से महसूस किया है। मैंने उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार की वित्तीय और परामर्श सहायता उपलब्ध करवाई और बेसहारा विधवाओं, अनाथों, वृद्धों तथा गुजर-बसर का कोई साधन न रखनेवाले असहाय व्यक्तियों के बचत खातों पर ब्याज की ऊँची दर प्रदान करने की एक योजना भी आरंभ की।

मैंने समय की चाल के साथ हमेशा कदमताल करने की कोशिश की है और विपणन की नई-नई तरकीबों को अपनाने में सदैव आगे रहा हूं। मैंने गांवों में रहनेवाली बड़ी आबादी की आवश्यकता को समझा और 1950 में ही ‘मोबाइल वैन बैंकिंग’ नामक एक अनूठी बैंकिंग सेवा शुरू कर दी। इसके द्वारा मैं ग्रामीण अंचलों से धन जमा करवाना और अब तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना चाहता था। इसकी विशेषता के अनुरूप इसे नाम दिया गया लक्ष्मी। इस सेवा को लोगों से मिले समर्थन से उत्साहित होकर मैंने दुर्गा नामक दूसरी सेवा भी शुरू कर दी। इन सेवाओं का ग्रामीण जनता ने खुले दिल से स्वागत किया।

मैंने अपनी स्थापना से लेकर आज तक सदैव ही अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखा है और उनके लिए कल्याणकारी कामों

में लगा रहा हूं। मेरे यहां अंशदायी भविष्य निधि की योजना 1931 में ही शुरू हो गई थी और इससे पहले पेंशन की योजना प्रचलित थी। भविष्य निधि में किए जानेवाले अंशदान के एवज में ऋण लेने तथा गेहूँ खरीदने के लिए ब्याजमुक्त ऋण लेने की सुविधा भी मौजूद थी। इन सुविधाओं के अलावा कर्मचारियों को अर्जित अवकाश, बीमारी का अवकाश तथा राज्य के बाहर यात्रा पर जाने के लिए यात्रा रियायत की सुविधा भी उपलब्ध थी।

वर्ष 1960 मेरे जीवनकाल में आमूल-चूल परिवर्तन लेकर आया जिससे मेरी स्थिति ही बदल गई। वह 1 अप्रैल 1960 का दिन था जब भारतीय स्टेट बैंक ने सब्सिडियरी बैंक्स एक्ट, 1959 के तहत एक अनुषंगी बैंक के रूप में मेरा अधिग्रहण कर लिया और मुझे मेरी मौजूदा पहचान स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के रूप में अभिहित किया। इसके साथ ही मेरे पूँजी आधार में भी इज़ाफा किया गया जिससे मेरी पेड़-अप कैपिटल बढ़कर 35 लाख रुपए हो गई। मेरे कारोबार का विस्तार हुआ जिससे मेरी महत्ता भी बढ़ गई। अपनी स्थिति को मजबूत बनाते हुए मैंने आगे चलकर 1966 और 1968 में बारी-बारी से दो बैंकों अर्थात् हिमालय बैंक लि. और अमृत बैंक लि. को अपनी छत्रछाया में ले लिया। इसके बाद तो साठ, सत्तर, अस्सी तथा नब्बे के दशक में बैंकिंग गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में मैंने तेजी से वृद्धि की और निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ता चला गया।

मैं यदि थोड़े में आपको अपने विकास की कहानी बताऊं तो मेरे पास लोगों की जो धनराशि जमा है वह अपने आप ही सारी कहानी कह जाएगी। वर्ष 1950 में मेरी संरक्षा में लोगों के 10.70 करोड़ रुपए जमा थे जो 1970 में 59.44 करोड़, 1980 में 356.10 करोड़, 1990 में 2082.50 करोड़, 1991 में 2448.58 करोड़ तथा मार्च 1992 में 2776.92 करोड़ तक पहुंच गए। 31 जनवरी 2013 की स्थिति के मुताबिक मेरी कुल जमाराशियां 83,754 करोड़ रुपए तक पहुंच गई हैं। मैंने उद्योग, व्यापार, कृषि को ऋण देकर देश के आर्थिक विकास में भरपूर योगदान किया है। वर्ष 1969 को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के वर्ष के रूप में जो पहचान मिली उसने मेरे सभी सहयोगियों को समाज के कल्याणार्थ सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को पाने की दिशा में सघन प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जिसकी वजह से हम सभी बैंकों के कर्ज पोर्टफोलियो में तेजी से वृद्धि देखने को मिली।

साठ के दशक में मैंने कुल 3.55 करोड़ रुपए अग्रिम के रूप में दिए थे जो आगे बढ़कर 1970 के दशक में 41.68 करोड़, 1980 में 233.73 करोड़ तथा 1990 के दशक में 1,759 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। नवीनतम स्थिति ऐसी है कि 31 जनवरी 2013 को मेरे द्वारा दिए गए कुल अग्रिम की राशि 69,878 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मैंने अपनी स्थापना से लेकर अब तक चली आ रही परंपरा के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए जानेवाले कर्जों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। समाज के गरीब से गरीब तबके के आदमी को कर्ज देने के लिए मैंने 1972 में विभेदक ब्याज दर योजना आरंभ की। आज मेरे ग्राहकों में कृषि, उद्योग, व्यापार जगत के साथ-साथ छोटी-छोटी इकाइयों (एसएमई) का भी समावेश है। किसानों के लिए मैंने किसान कार्ड, पटियाला बैंक किसान गोल्ड कार्ड योजनाएं चला रखी हैं। अर्थजगत के क्षेत्र को वित्त उपलब्ध करवाने के लिए एमसीजी शाखाएं, उद्योगों के लिए कर्मशियल शाखाएं, कृषि के लिए कृषि विकास शाखाएं, एसएमई के लिए एसएमई विशेषीकृत शाखाएं स्थापित की गई हैं। ऋण प्रस्तावों के प्रसंस्करण आदि के लिए ऋण प्रसंस्करण केन्द्र और ऋणों की वसूली के लिए एसएम शाखाएं काम कर रही हैं।

गांधी जी की विचारधारा के अनुसार मैं भी ग्राहक को अपना भगवान मानता हूं और यही वजह है कि मैंने ग्राहक सेवा पर गोइपोरिया समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उन पर पूरी तरह से अमल करने की सदैव कोशिश की है। कारोबारी पहल के रूप में मेरे यहाँ ग्राहक मित्र, ग्राहक सेवा समितियां, ऋणों के लिए विभिन्न प्रकोष्ठ आदि कार्यरत हैं। अपने कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए मैंने दि बैंकिंग कोइस एण्ड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआई) की आचरण संहिता को अपनाया है। मैं अपने ग्राहकों की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हूं।

वर्ष 2011-12 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का कार्यनिष्पादन

- कुल कारोबार - रु. 1,43,500 करोड़
- परिचालन लाभ - रु. 1762.90 करोड़ (वृद्धि 0.21 प्रतिशत)
- बासेल-II के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.30 प्रतिशत
- निवल ब्याज मार्जिन 3.13 प्रतिशत
- प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात 67.90 प्रतिशत
- बैंक का ऋण जमा अनुपात 81.03 प्रतिशत
- बैंक के शेयर का बही मूल्य रु. 1389 से बढ़कर रु. 1622 हुआ
- जमा लागत 7.26 प्रतिशत

आज की तारीख में मैं अपनी 1107 शाखाओं के माध्यम से देश के 20 राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के आर्थिक उत्थान में योगदान कर रहा हूं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुझे विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए एक अधिकृत डीलर का दर्जा भी दे रखा है। मेरे सभी कार्यालय और शाखाएं सीबीएस प्लेटफार्म पर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अब मेरे ग्राहक किसी विशेष शाखा के नहीं बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के ग्राहक हैं। मुझे अपने गृहराज्य पंजाब का एकमात्र बैंक होने का गौरव हासिल है। मेरे नौ आंचलिक कार्यालय एवं 31 क्षेत्रीय कार्यालय देश के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। मैंने देशवासियों की सेवा के 95 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आगे भी उनकी सेवा में पूरी तरह से समर्पित रहना चाहता हूं-

“उड़ते हुए पंछी हैं हम आसमां को चले छूने,
रोको न हमें लंबा है सफर न जाने कब शाम ढले ।”

शेष फिर..

आपका



स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

प्रस्तुतीकरण - सावित्री सिंह

उप महाप्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

०००

भारतीय खुदरा कारोबार का एक अनूठा ढांचा है जिसका सफर राशनिंग के साथ शुरू होकर कपड़ा और फुटवियर रिटेल से होकर गुजरा है। उदारीकरण के बाद के दशकों में इसने तेजी पकड़ी और कई देशी कम्पनियां बहु-ब्रैंड खुदरा

कारोबार में उतरीं, मसलन बिंग बाजार, स्पेन्सर्स, रिलायंस फ्रेश, विशाल मेगा मार्ट इत्यादि। बावजूद इसके आज भी भारत छोटे और मझोले किराना दुकानदारों का देश है जिनकी संख्या 5 करोड़ के लगभग है। भारत में खुदरा कारोबार का 600 अरब डॉलर से भी बड़ा बाजार है जिसकी वृद्धि दर 20 प्रतिशत प्रति वर्ष है। वर्ष 2015 तक भारतीय खुदरा बाजार के तीन गुना तक बढ़ने की संभावना है। भारतीय खुदरा बाजार में असंगठित क्षेत्र का बोलबाला है और कुल बिक्री का 85 फीसदी कारोबार इनके जरिये ही होता है। दिल्ली का सरोजिनी नगर हो या कोलकाता का बड़ा बाजार, चेन्नै का साहूकारपेट हो या मुम्बई की फैशन स्ट्रीट, आज भी खुदरा वस्तुओं की खरीदारी में ग्राहकों की तोलभोल करने की प्रवृत्ति ने खुदरा कारोबार में असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व बनाए रखा है।

जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी, खुदरा कारोबार का आकार भी बढ़ेगा। लोगों की क्रयशक्ति बढ़ने पर बेहतर सेवाओं व उत्पादों के लिए उनकी मांग भी बढ़ेगी; जिसके लिए विनिर्माण, रिटेल स्पेस, तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, बैंक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादि में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी। इसीलिए भारत सरकार ने नवम्बर 2011 में बहु-ब्रैंड खुदरा कारोबार (सरल शब्दों में किराना कारोबार) में 51 फीसदी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी है। गौरतलब है कि भारत में एकल ब्रैंड में 51 प्रतिशत तथा थोक क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति पहले से ही है तथा भारतीय कंपनियों के साथ साझे उपक्रम (Joint Venture) के बतौर वालमार्ट और टेस्को जैसी कंपनियां भी मौजूद हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में इस विषय पर बहस हुई, जिसमें सरकार का अस्तित्व तक दांव पर लगा। ऐसे में बहु-ब्रैंड खुदरा कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विरोध में संसद से लेकर सङ्क तक हो रहे प्रदर्शन और इसके समर्थन में भारतीय स्टॉक बाजार में आई तेजी दोनों ही इस विषय की गंभीर

बहु-ब्रैंड खुदरा कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश - मुद्दे एवं विवेचना

निधि चौधरी

भारतीय प्रशासनिक सेवा

समीक्षा को अनिवार्य बनाती हैं। क्या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आज के समय में भारतीय खुदरा कारोबार की मांग है अथवा जल्दबाजी में अपनाई गई एक घातक नीति।

किराना कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से जुड़े मुद्दे और उनकी विवेचना

सरकार एवं उद्योग जगत का मत है कि बहु-ब्रैंड खुदरा कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से देश में महांगाई पर नियंत्रण करने एवं आर्थिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में मदद मिलेगी और यह फैसला देश के लिए हितकर है जो कि भारतीय स्टॉक बाजार की सकारात्मक प्रतिक्रिया से भी स्पष्ट होता है, वहीं विपक्ष आलोचना कर रहा है कि इससे देश के करोड़ों छोटे दुकानदार, किसान, और कारोबारियों को नुकसान होगा। नीचे दिए गए बिंदुओं में किराना कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से जुड़े सभी मुद्दों की समग्र विवेचना की गई है-

● किराना कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और प्रतिस्पर्धा-

भारत के किराना कारोबार में छोटे किराना दुकानदारों का वर्चस्व है और बिंग बाजार, विशाल मेगामार्ट, रिलायंस फ्रेश, स्पेन्सर्स, नीलगिरि, सुभिक्षा इत्यादि कम्पनियों का हिस्सा केवल 15 फीसदी ही है। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार विदेशी खुदरा कारोबारी कंपनियों को किसी एक प्रोजेक्ट में कम से कम 500 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा जिससे छोटे दुकानदारों के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इतना बड़ा निवेश केवल बड़े अंतरराष्ट्रीय उद्यम जैसे वालमार्ट, टेस्को इत्यादि ही कर पाएंगे जिनकी स्पर्धा दुकानदारों से न होकर भारत के संगठित खुदरा क्षेत्र से होगी जो कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम है (सारणी-1)। परिणामतः

किराना कारोबार में ग्राहकों को सस्ती दरों पर बेहतर गुणवत्ता मिल सकेगी।

सारणी 1 – भारतीय खुदरा कंपनियों की वित्तीय स्थिति

होल्डिंग कंपनी	कंपनियां	राजस्व (करोड़ रुपए में)
फ्यूचर ग्रुप	बिग बाजार पेटालून सेंट्रल	12,220
रिलायंस रिटेल	रिलायंस फ्रेश	5,834
शॉपर्स स्टॉप	शॉपर्स स्टॉप हाइपर सिटी क्रॉसवर्ड	1,716
ट्रेट (टाटा ग्रुप)	वेस्टसाइड स्टार बाजार	1,628
आदित्य बिड़ला ग्रुप	मोर	1,750
स्पेंसर्स रिटेल	स्पेंसर्स	1,056

- किसानों की आय में वृद्धि या गिरावट –** विदेशी निवेश के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसके मुताबिक कृषि उत्पादों पर कोई कैप नहीं लगाया गया है, अर्थात् विदेशी कंपनियां इस बात को लेकर स्वतंत्र होंगी कि वे उत्पाद कहां से खरीदें। परिणामतः ये कंपनियां भारतीय कृषकों से सीधे खाद्यान्न खरीदेंगी और प्रसंस्करण उद्यमों के जरिए खाद्य उत्पादन तैयार करेंगी। इस प्रक्रिया में किसान और बाजार के बीच अवस्थित मध्यस्थों की संख्या में कटौती होगी। वस्तुतः खुदरा कारोबार के मौजूदा ढांचे में मध्यस्थों का दबदबा है और ग्राहक जो कीमत अदा करता है उसका केवल एक तिहाई ही किसान को मिलता है और बाकी लाभ मध्यस्थों को मिलता है। विदेशी निवेश के पक्षकारों का यहां तक कहना है कि इससे भारतीय किसानों की आय में 30 फीसदी तक बढ़ोतरी होगी।

- महांगाई में कमी या वृद्धि –** रिटेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बहु-ब्रैंड खुदरा व्यवसाय में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आने से आपूर्ति शृंखला (Supply Chain) सुधरेगी

और इससे महांगाई में कमी आएगी क्योंकि खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योगों के विकास से खाद्यान्नों की बरबादी कम होगी। सरकार का कहना है कि रिटेल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आने से महांगाई कम होगी लेकिन छोटे किराना स्टोर इससे सहमत नहीं हैं। छोटे किराना दुकानदारों का कहना है कि शुरुआत में विदेशी कंपनियां सस्ते में या घाटा उठाकर सामान बेचेंगी और बाजार पर कब्जा करने की कोशिश करेंगी। लेकिन जब छोटे किराना स्टोरों का वजूद पूरी तरह से तहस-नहस हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आम आदमी को खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन बाजार में यदि मांग और आपूर्ति की प्रक्रिया सही बनी रहे तो अनेक खुदरा कंपनियों की उपस्थिति से यह सुनिश्चित होगा कि उपभोक्ताओं को कम दामों पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिल सकें। जहां तक छोटे किराना व्यापारियों के अस्तित्व का सवाल है देश की 69 फीसदी जनता आज भी गांवों में रहती है और विदेशी निवेश केवल 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों (2011 की जनगणना के अनुसार 53 शहरों) में ही होगा। इसके अतिरिक्त देश के महानगरों की मुख्य सीमा के भीतर इन विदेशी किराना स्टोर के आने की संभावना अतिन्यून है क्योंकि भारतीय महानगरों के अधिकांश हिस्सों में कोई जमीन नहीं बची है तथा किराया बहुत ही महंगा है। ऐसे में, ये विदेशी किराना स्टोर बाहरी क्षेत्रों जैसे दिल्ली के बाहर गुडगांव, नोएडा या गाजियाबाद में स्थापित होंगे जिससे चांदनी चौक, लक्ष्मी नगर और चावड़ी बाजार की किराना दुकानों पर कोई असर नहीं होगा।

- मूलभूत संरचना का विकास –** विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से जहां उपभोक्ताओं को तो फायदा होता ही है, वहीं बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है जैसा कि दूरसंचार, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नतीजे से स्पष्ट है। खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार विदेशी कंपनियों को निवेश का 50 फीसदी हिस्सा आधारभूत संरचना जैसे कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इत्यादि के विकास पर खर्च करना होगा जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में मूलभूत संरचना विकास में

एक खरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता बताई गई है जो कि निजी एवं विदेशी निवेश के बिना संभव नहीं है।

- **छोटे दुकानदारों को फायदा या नुकसान -** चीन में 1992 में बहु-ब्रैंड रिटेल 49 फीसदी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ शुरू हुआ और 1992 से 2000 के बीच छोटे कारोबारियों को तीस फीसदी का फायदा हुआ। रूस, इंडोनेशिया और चिली में भी विदेशी निवेश के अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। भारतीयों में तोल-मोल करने की प्रवृत्ति जिस स्तर पर पाई जाती है उससे छोटे किराना दुकानदारों का अस्तित्व बना रहेगा वहीं प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप छोटे किराना दुकानदार भी समझने लगेंगे कि उनका व्यवसाय तभी चलेगा जब वह सही दाम पर उच्च गुणवत्ता का माल ग्राहकों को पहुंचाएंगे। रिटेल कारोबार में पिछले साल 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जिसमें आधुनिक स्टोरों का योगदान मात्र पांच प्रतिशत है। इसका मतलब यह हुआ कि रिटेल कारोबार की बढ़ोतरी में छोटे किराना स्टोरों की प्रमुख हिस्सेदारी है।
- **रोजगार या बेरोजगार -** अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ (कैट) के अनुसार, देश में करीब पांच करोड़ छोटे-मझोले किराना दुकानदार हैं जिनके साथ 20 करोड़ अन्य लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है, अर्थात् बहु-ब्रैंड खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश से कुल मिलाकर 25 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित होगी। किन्तु सर्वे एंड रिसर्च कंपनी नीलसन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, भारत में छोटी किराना दुकानों का अस्तित्व बना रहेगा। बेशक मॉल कल्चर कितना ही बड़ा आकार ले ले, भारत में छोटे किराना दुकानदारों का काम यूं ही चलता रहेगा। विदेशी निवेशक देश में अपने दुकानदार, व्यवसायी या कर्मचारी नहीं लाते हैं बल्कि देश में अब तक विविध क्षेत्रों में आए विदेशी निवेश के अनुभव से स्पष्ट है कि इससे व्यवस्थित एवं संगठित रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। वैसे भी बहु-ब्रैंड खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश की अनुमति केवल 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में होगी जिससे गांवों और छोटे कस्बों के किराना दुकानदारों पर इस

निर्णय का असर नहीं होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 53 ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। साथ ही, राज्यों को इस बात की छूट दी गई है कि वे केन्द्र सरकार के प्रस्ताव को लागू करने या न लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में केवल 28 शहरों में ही विदेशी खुदरा स्टोर खोले जा सकेंगे (सारणी-2)।

सारणी-2 - खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति

समर्थक राज्य	विरोधी राज्य
दिल्ली	पश्चिम बंगाल
असम	बिहार
महाराष्ट्र	कर्नाटक
आंध्र प्रदेश	केरल*
राजस्थान	मध्य प्रदेश
उत्तराखण्ड	त्रिपुरा
हरियाणा	ओडिशा
मणिपुर	उत्तर प्रदेश
जम्मू कश्मीर†	
पंजाब‡	

*कांग्रेस शासित

† जम्मू कश्मीर खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीति का समर्थन करता है लेकिन अभी तक उसने लिखित में इस नीति को लागू नहीं किया गया है।

‡ पंजाब सरकार ने भी किसानों के हित में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का समर्थन करने की मंशा जताई है।

- **पूंजी निवेश या बाजार पर एकाधिकार -** वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में किसी भी क्षेत्र में पूंजी निवेश अच्छा ही होता है और फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का यह एकमात्र मामला नहीं है। इससे पहले भी कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश हुए हैं और ये देश के लिए हितकर रहे हैं और भारतीय बाजार में विविधता के कारण किसी एक कंपनी या समूह का एकाधिकार होना संभव नहीं लगता है। यहां

यह बात भी विचारणीय है कि विदेशी खुदरा कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ साझा व्यापार करके देश के कई हिस्सों में पहले से ही मौजूद हैं (सारणी-3) और उनके द्वारा बाजार पर एकाधिकार के मामले सामने नहीं आए हैं।

सारणी-3 – विदेशी खुदरा कंपनियों की भारत में उपस्थिति

कंपनी	स्वरूप	प्रवेश का वर्ष	स्टोरों की संख्या
मेट्रो	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	2002	8
भारती बालमार्ट	भारती के साथ 50:50 की साझेदारी में संयुक्त उपक्रम	2006	14
टेस्को	टाटा ग्रुप के साथ 50:50 की साझेदारी में संयुक्त उपक्रम	2008	1
कारफुर	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	2010	2

- गुणवत्ता पर असर –** विदेशी निवेश से देश में खाद्य प्रसंस्करण व पैकेजिंग की नई प्रौद्योगिकी आएगी जिससे शहरी उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होंगे जैसाकि बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश इत्यादि के मामले में देखा गया है। इनके द्वारा पैकेजिंग, प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि के कारण सब्जी, फल व अन्य खाद्य वस्तुएं लंबी अवधि तक ताजा रखी जा सकती हैं लेकिन इसका असर ठेले पर सब्जी बेचने वालों पर नहीं होगा। क्योंकि आज भी ठेले वाले घर के निकट नई, ताजा सब्जियां उपलब्ध कराने के कारण बरकरार हैं। स्पष्ट है कि किसानों से ताजा सब्जी लेकर बेचने के कारण उपभोक्ता ठेले वाले के उत्पाद की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं और हर दिन बिग बाजार इत्यादि नहीं जा सकते हैं।

- एमएसएमई (Micro Small and Medium Enterprise) पर असर –** यह भी प्रस्ताव है कि विदेशी बहु-बैंड खुदरा रिटेल अपने कुल विनिर्मित उत्पादों का

30 फीसदी हिस्सा छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) से लेंगे। ऐसी स्थिति में विदेशी निवेश से एमएसएमई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहाँ विदेशी निवेश का विरोध करने वालों का मत है कि यह फैसला न केवल एमएसएमई कारोबारियों को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि किसानों, ट्रांसपोर्टरों, कामगारों और खुदरा कारोबार से जुड़े अन्य पक्षों के लिए भी घातक होगा। सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, इन खुदरा कंपनियों को ब्रैंडेड के अलावा गैर ब्रैंडेड चीजों की भी बिक्री करनी होगी जिससे कि किसानों और मज़ाले कामगारों को कोई नुकसान न हो।

सारांश

देश के बहु-बैंड खुदरा कारोबार में 51 फीसदी विदेशी निवेश का सरकारी फैसला काफी लाभदायक हो सकता है बशर्ते इसे व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए। इससे ग्राहकों को किफायती कीमत पर बेहतरीन गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं मिल सकेंगी। बहरहाल खुदरा कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को लेकर चल रही बहस सकारात्मक पहलुओं को न लेकर नकारात्मक बिंदुओं के इर्द-गिर्द हो रही है क्योंकि इसने राजनीतिक रंग ले लिया है।

कहा जा रहा है कि इससे छोटे कारोबारियों को नुकसान होगा और उनकी आजीविका संकट में पड़ जाएगी किन्तु शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स इत्यादि केवल बड़े शहरों के कुछेक हिस्सों विशेषकर बाहरी हिस्सों में स्थित होते हैं जिसके कारण किराना दुकानदार सदैव अपना अस्तित्व बनाए रख सकेंगे। विदेशी निवेश से सर्वाधिक लाभ यह हो सकता है कि भारत दुनिया के शॉपिंग हब के रूप में विकसित हो सकता है जिससे अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। विदेशी निवेशकों के आने से देश के खुदरा कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तथा उनके द्वारा लाई गई नई तकनीक, प्रौद्योगिकी, आउटसोर्सिंग क्षमताओं, संसाधनों इत्यादि से भारतीय खुदरा बाजार का सही मायनों में समग्र विकास होगा। सरकार को चाहिए कि बहु-बैंड खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि खुदरा कारोबार के ढांचे की आधारशिला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास पर रखी जाए।

०००

भारत विकासशील देश है।

यदि हम भारत के आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश पर निगाह डालें तो पाएंगे कि यहां विकास की असीम संभावनाएं हैं, प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी के साथ भारत की यह विडम्बना है कि यहां गरीबी बहुतायत में है। इसके कारण यदि हम खोजें, तो पाएंगे कि यहां पूँजी पर्याप्तता का अभाव है। इसके विकल्प के रूप में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) को देखा जा रहा है।

एफडीआई का मतलब

“अगर किसी एक देश की कंपनी दूसरे देश में पूँजी निवेश करती है तो इसे एफडीआई यानी फौरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अथवा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। इस तरह के पूँजी निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ हिस्सा या फिर पूरा हिस्सा मिल जाता है।”

दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि “किसी देश में वहां के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कम्पनी अपनी पूँजी लगाकर व्यापार करती है। इसमें वह उस देश की किसी कम्पनी के साथ सहभागिता भी कर सकती है अथवा अपना स्वयं का भी व्यवसाय कर सकती है।”

राजकोषीय घाटा एवं एफडीआई का संबंध

हाल ही में राजकोषीय घाटे के संबंध में प्रधान मंत्री ने कहा है कि “सरकार को धन की जरूरत है और विनिवेश एक ऐसा जरिया है जिसका सरकार को फायदा उठाना चाहिए, इसे मूल्यवान संपत्ति बेचने की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।”

इसी संदर्भ में वित्त मंत्री का भी कहना है कि “एफडीआई कोई विकल्प नहीं है, यह अर्थव्यवस्था की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एफडीआई से आपूर्ति शृंखला सुधरेगी और मंहगाई पर काबू भी पाया जा सकता है।”

वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि “वास्तव में भारत में एफडीआई, आर्थिक सुधारों की एक शुरुआत है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।”

भारत की वर्तमान परिस्थितियों में एफडीआई का महत्व

संतोष श्रीवास्तव

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल

भारत में एफडीआई की स्थिति

सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 49 प्रतिशत व पॉवर एक्सचेंज में भी 49 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इसी के साथ ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी है। सिंगल बैंड रिटेल में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश के मामले में स्थानीय फर्मों से सामान खरीदने के नियम में भी सरकार ने परिवर्तन किया है। रिटेल सेक्टर में निवेश के लिए विदेशी खुदरा कम्पनी को कम से कम 10 करोड़ डॉलर का निवेश करना होगा जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत निवेश ग्रामीण क्षेत्र में करना होगा। सरकार के इस फैसले से वालमार्ट, कार्फूर व टेस्को जैसी कम्पनियाँ भारत में अपने आउटलेट स्थापित कर सकेंगी। सरकार ने रिटेल सेक्टर में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

इसके अलावा 14 सितंबर 2012 को आयोजित आर्थिक मामलों पर प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय मंत्रिमंडल की समिति की बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की चार कम्पनियों में विनिवेश करने के संबंध में निर्णय लिया गया। ऑइल इंडिया लिमिटेड में 10 प्रतिशत, हिन्दुस्तान कॉपर में 9.59 प्रतिशत, नाल्को में 12.15 प्रतिशत विनिवेश (ऑफर फॉर सेल) रूट से तथा रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकोनॉमिकल सर्विसेज में आईपीओ के जरिए 10 प्रतिशत शेयरों की बिक्री कर कुल मिलाकर ₹ 15,000 करोड़ जुटाने का फैसला लिया गया। इससे 2012-13 में विनिवेश के जरिए ₹ 40,000/- करोड़ का राजस्व अर्जित करने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

भारत में एफडीआई और राजनैतिक परिस्थितियां

भारत में पिछले काफी समय से आर्थिक सुधार की बात उठ रही है, जिससे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके एवं उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं प्रतिस्पर्द्धा के दौर में बराबरी से टक्कर ले सके।

लेकिन भारतीय राजनीति में हर दल की अपनी अपनी सोच है एवं आर्थिक सुधारों को देखने का उनका अपना नजरिया है। इसी कारण खुदरा बाजार के संबंध में नवम्बर 2011 में तृणमूल कांग्रेस के विरोध के कारण सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर पाई थी जो अब सितम्बर 2012 में जारी कर दी गई है। इसके अंतर्गत कतिपय शर्तों के अधीन खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है और राज्यों को इसे अपने यहां लागू करने से छूट दी गई है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल सहित विपक्ष शासित राज्यों ने इसे अपने यहां लागू नहीं करने का विचार बनाया है।

भारत में एफडीआई के लाभ

→ अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी

आर्थिक सुधार के परिप्रेक्ष्य में भारत के उदारीकरण एवं प्रतिस्पर्द्धा के दौर में शामिल होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की साख बढ़ेगी तथा व्यापार के लिए नये रास्ते खुलेंगे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत होंगे।

→ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

भारत में एफडीआई से नये-नये क्षेत्र में निवेश से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे क्योंकि विदेशी कम्पनियां मानव संसाधन भारत से ही लेंगी।

→ भारतीय पूँजी पर निर्भरता कम होगी एवं पूँजी पर्याप्तता बढ़ेगी

जैसा कि सर्वविदित है, भारत में संसाधन तो बहुत हैं परन्तु पूँजी पर्याप्तता की कमी है, एफडीआई से भविष्य में पूँजी की कमी नहीं रहेगी और विकास तीव्र गति से होगा।

→ राजस्व में वृद्धि

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने से सरकार को टैक्स आदि के रूप में राजस्व प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त इन कम्पनियों को अपने संयंत्र लगाने, आउटलेट खोलने आदि के लिए स्थान की जरूरत होगी, इससे स्थानीय स्तर पर भी राज्यों को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

→ भारत में वालमार्ट, कार्फूर व टेस्को जैसी कम्पनियां अपने आउटलेट स्थापित कर सकेंगी, जिससे ब्रैंडेड सामान की उपलब्धता बढ़ेगी

भारत में वालमार्ट, कार्फूर व टेस्को जैसी कम्पनियों के आउटलेट स्थापित होने से भारतीयों को सस्ते दामों पर ब्रैंडेड वस्तुएं प्राप्त होंगी जो कि आम आदमी के लिए अभी तक दूर का सपना है।

→ अंतरराष्ट्रीय स्तर की सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध होंगी

परिवहन, पर्यटन, चिकित्सा, बिजली, कृषि आदि क्षेत्रों में एफडीआई होने से भारत में इन क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीक, सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।

→ बिजली के क्षेत्र में निर्भरता बढ़ेगी

भारत में विदेशी सहयोग से परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा रही है जिससे भारत में बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तथा ऐसे अत्यधिक लागत वाले संयंत्रों का भारत में प्रादुर्भाव होगा, जो विदेशी निवेश से ही संभव है।

→ भारत में खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के माध्यम से प्रतिष्ठित विदेशी कंपनियों के आउटलेट स्थापित होने से खुले बाजार के धूल मिट्टी में रखे सामान की जगह आउटलेट में साफ-स्वच्छ, पर्याप्त मात्रा एवं उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को सामान उपलब्ध होगा।

→ किसानों को अपने सामान को बेचने के लिए दलालों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी एवं उन्हें उनके सामान की कीमत

तुरंत प्राप्त हो जाएगी। हाल ही में वित्त मंत्री ने भी इस ओर इशारा करते हुए कहा कि “केरल और तमिलनाडु में उत्पादकों से दलाल नारियल तीन से चार रुपये में लेते हैं, लेकिन वही नारियल बाजार में बीस रुपये का मिलता है। यही बात पश्चिम बंगाल में आलू के बारे में है। एफडीआई में इन किसानों को उनका उचित मूल्य मिल सकेगा और वे दलालों के चंगुल से मुक्त हो सकेंगे।”

एक शोध में यह बात सामने आई है कि भारतीय किसानों को अंतिम उत्पाद की कीमत का महज एक तिहाई हिस्सा ही मिलता है जबकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उन्हें दो तिहाई तक आय प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि भारत में उपज की बरबादी तथा उसके वितरण का स्तर बहुत खराब है, जबकि एफडीआई में ऐसा नहीं होगा।

भारत में एफडीआई से हानि

- विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाएगी। अप्रत्यक्ष रूप से यह आर्थिक परतंत्रता है।

एफडीआई से भारत में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ेगा, जिससे भारत की आर्थिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात होगा और भारत धीरे-धीरे आर्थिक परतंत्रता से होते हुए गुलामी के चंगुल में फंस सकता है। यदि हम भारत के पूर्व इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि पहले भी ब्रिटिश कम्पनी एक व्यापारी के रूप में ही भारत में आई थी और धीरे-धीरे उसने भारत को गुलाम बना लिया था।

- भारतीय उद्योग-धंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

एफडीआई के अंतर्गत विदेशी कंपनियां अपने फायदे के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का कार्य भी स्वयं ही करेंगी क्योंकि वे अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर कार्य करेंगी, इससे भारतीय उद्योग धंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और बड़ी मात्रा में बेरोजगारी बढ़ेगी।

- विदेशी कंपनियां भारत से कच्चा माल कम दामों पर खरीद कर उनका पुनर्निर्माण कर इसे भारत में मंहगी कीमतों पर बेचेंगी, इससे मंहगाई बढ़ेगी।

- विदेशी कंपनियों के रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन आदि ज्यादा होने से उनकी उत्पादन लागत ज्यादा आएगी, जिसका बोझ भारत की आम जनता पर पड़ेगा और उन्हें मंहगी चीजें मिलेंगी, जैसा कि बिजली के क्षेत्र में विवाद चल रहा है।
- भारत में निवेश के लिए विदेशी कंपनियां अनुमति के लिए राजनैतिक लाभ उठाने के लिए नेताओं को लुभावने आफर देंगी, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा।
- गांधी जी के स्वराज के सपने पर कुठाराघात होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस स्वदेशी का सपना देखा था वह चूर-चूर हो जाएगा। एक समय था जब उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, आज उन्हीं विदेशी ब्रैंड का लालच भारतीयों के मन-मस्तिष्क में समाया हुआ है, इस कारण खादी एवं अन्य छोटे उद्योग बंद ही हो जाएंगे।
- प्राकृतिक संसाधनों का निर्ममतापूर्वक दोहन होगा। एफडीआई के अंतर्गत विदेशी कंपनियां येन-केन-प्रकारेण अपने अधिकतम लाभ के लिए भारत के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन करेंगी, जिससे भविष्य में पर्यावरण, प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी। जमीन की अनुपलब्धता, जल स्रोतों के सूखने, वनों की अंधाधुंध कटाई जैसी बातें सामने आएंगी जो पर्यावरणविदों के अनुसार कदापि उचित नहीं हैं।

जरूरत इस बात की है कि एफडीआई के मामले में सरकार, आर्थिक विशेषज्ञों की सलाह पर, उन तमाम शर्तों-निबंधों पर एफडीआई को अनुमति दे जिससे कि भारत के हित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभावित नहीं हों।

यह तो सर्वविदित है कि आज के वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं प्रतिस्पर्धा के दौर में विश्व समुदाय के साथ चलने में ही भारत का हित है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

प्रगतिशील वित्तीय संस्थाओं के लिए मोबाइल बैंकिंग एक महत्वपूर्ण डिलिवरी चैनल के रूप में उभरी है। अधिकांश बैंकिंग संस्थाओं ने कम से कम एक मोबाइल बैंकिंग समाधान तो अवश्य प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन संस्थाओं ने अभी तक मोबाइल बैंकिंग समाधान प्रस्तुत नहीं किया है वे या तो इस हेतु कार्यनीति तैयार करने में जुटी हैं अथवा इस दिशा में सोच-विचार अवश्य कर रही हैं।

हम रिटेल बैंकिंग में मोबाइल बैंकिंग समाधानों की बहुतायत देख रहे हैं। यह समझा जा सकता है कि मोबाइल बैंकिंग में निहित सुविधा और गहरी पकड़ के कारण वित्तीय संस्थाओं के सभी घटकों को लाभ होता है।

बैंकों में ग्राहक सेवा पर गठित समिति की 03 अगस्त 2011 की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न यूटिलिटी धारकों एवं बैंक प्लैटफॉर्म के माध्यम से सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई ऑनलाइन भुगतान सुविधाओं के प्रति ग्राहकों ने संतोष व्यक्त किया है। समिति का मानना है कि मोबाइल बैंकिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड की उपलब्धता से बहुसंख्य लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जा सकता है। मोबाइल बैंकिंग को नो फ्रिल्स खातों/माइक्रो फाइनेंस/सरकारी अनुदान और भुगतान से संबद्ध कर वित्तीय रूप से कमजोर वर्ग को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

माइक्रो फाइनेंस में मोबाइल बैंकिंग की सफलता के कारक बड़ी संख्या में ग्राहक वर्ग को जोड़ने, नकदी लेन-देन के लिए मोबाइल सेवा के प्रयोग, बैंकों/माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं/मोबाइल नेटवर्क आपरेटरों एवं उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले मोबाइल एप्लीकेशन प्रदाताओं की इंटर-ऑपरेटेबिलिटी पर निर्भर करते हैं।

¹ प्रबंधक (शोध), स्टेट बैंक अकादमी, भारतीय स्टेट बैंक, गुडगांव

² प्रबंधक (राजभाषा), भारतीय स्टेट बैंक, शिमला

मोबाइल कंपनियों का जाल : बैंकिंग व्यवसाय के पार

संदीप भारद्वाज¹ एवं
योगराज²

I. भारतीय बाजार की झलक

भारत में लगभग 930 मिलियन से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता, बैंक खातेदार मात्र 240 मिलियन व्यक्ति, 308 मिलियन से ज्यादा डेबिट एवं क्रेडिट कार्डधारक, 97,000 से अधिक बैंक शाखाएं और 99,000 से अधिक एटीएम हैं। जिन घरों में किसी का भी बैंक खाता नहीं है उनमें 42 प्रतिशत के पास कम से कम एक मोबाइल फोन अवश्य है।

भारत में मोबाइल बैंकिंग खेल को बदलने वाली हो सकती है और ऐसा कई दिनों से हम सुन भी रहे हैं, ऐसे में यह भी उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में मोबाइल वॉलेट कार्ड के लिए लेनदेन सीमा 50,000 रुपए की गई है और बीसीजी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी 5 वर्षों में भारत में मोबाइल बैंकिंग से फीस-आधारित आय 20,250 करोड़ रुपए होने की संभावना है जिसके आधारभूत मुख्य कारण कम लेनदेन लागत, हितकारी विनियामक परिवेश तथा यूआईडी परियोजना हैं।

आज के लगभग 235 बिलियन डॉलर के क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन की तुलना में सन् 2015 तक 350 बिलियन डॉलर के भुगतान और बैंकिंग लेनदेन मोबाइल फोन के माध्यम से हो सकते हैं। यह भविष्यवाणी द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के हाल ही के विश्लेषण पर आधारित है और यह संभव होगा बैंकों, टेलिकॉम ऑपरेटरों की इच्छा एवं उपभोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से लेनदेन की इस सुविधा को अपनाने से।

II. भारत में बैंकों के समक्ष चुनौतियां

क. वित्तीय समावेशन

सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस (सीएमएफ) के अभी हाल ही के अध्ययन के अनुसार हमारे देश में लगभग 100-120 मिलियन प्रवासी श्रमिक हैं जिनमें से केवल 22 प्रतिशत के ही बैंकों में खाते हैं। इसका मुख्य कारण उनमें से अधिकांश के पास पहचान या आवास का प्राधिकृत प्रलेख का न होना है। इससे धन की बचत करना मुश्किल कार्य हो जाता है और केवल 1/3 प्रवासी श्रमिकों के पास ही बैंकों के माध्यम से अपने गांव में धन अंतरण जैसी अन्य बैंकिंग सुविधाएं हैं। अधिकांश लोग इस हेतु अपने मित्रों, परिजनों, हवाला कुरियर या बस चालकों पर निर्भर करते हैं जो न केवल जोखिम भरा कार्य है अपितु खर्चोला तथा अधिक समय लेने वाला भी है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अनुसार प्रवासी श्रमिकों का भारत की जीडीपी में 10 प्रतिशत का योगदान है। इसका तात्पर्य है 1,02,000 करोड़ रुपए के देशीय विप्रेषण (रेमिटेंस)। दि सेंटर फॉर माइक्रोफाइनेंस ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उनका कहना है कि आज की तारीख में जो धनराशि अनौपचारिक कुरियरों द्वारा भेजी जाती है उस समस्त धनराशि को यदि सामान्य 3 प्रतिशत की मानक प्रभार-दर से बैंक अंतरण के माध्यम से भेजा जाए तो प्रवासी श्रमिकों को लगभग 1000 करोड़ की चपत से बचत होगी।

बैंकिंग-सुविधारहित गांवों में वित्तीय समावेशन से छूट रहे वर्ग को शाखाओं/मोबाइल बैंकिंग वैन/अन्य माध्यमों, बीसी-आईसीटी के जरिए खोले जाने वाले नो फ्रिल खातों, केसीसी और जेसीसी तथा अन्य विशिष्ट उत्पादों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु रिज़र्व बैंक विभिन्न अवसरों पर बैंकों को निर्देश देता रहा है।

समय और पूँजी संबंधी समस्याओं के मद्देनजर बैंकिंग सुविधाओं से छूटे क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं देने

हेतु बैंकों के लिए पहले से वर्तमान मोबाइल नेटवर्क का सहारा लेना आसान प्रतीत हो रहा है।

ख. नवोन्मेषिता की दुविधा

विगत में भी और अब भी बैंकों का प्रमुख कार्य बैंकिंग परिचालन संबंधी सहायता प्रदान करना रहा है। इसके लिए समय-समय पर बैंक ग्रामीण मेलों, मोबाइल बैंकिंग वैन, स्वयं सहायता समूहों और ग्राम सभाओं आदि विभिन्न डिलिवरी चैनलों का सहारा लेते रहे हैं।

बैंकिंग में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रवेश के कारण, पिछले दशक में बैंकिंग क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। अब बैंकों को नवोन्मेषिता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है और नए उत्पादों तथा नवोन्मेषिता के लिए वे ज्यादातर इस उद्योग पर निर्भर हैं। अतः नवोन्मेषक की भूमिका अब बैंकों से मोबाइल और नेटवर्क कंपनियों सहित सूचना प्रौद्योगिकी पर शिफ्ट हो गई है।

नवोन्मेषक दुविधा में वर्तमान खिलाड़ी सुस्त हो जाता है तथा उसका ध्यान उत्पादों के बदलाव में न होकर उसके लक्षणों और कार्यपरक बढ़ोतरी पर होता है। नया खिलाड़ी ऐसे ऑफर के साथ आता है जिसके बारे में वर्तमान खिलाड़ी सोचता है कि उसका कोई खतरा नहीं है तथा उसकी उपेक्षा की जा सकती है। उसकी उपेक्षा की जाती है क्योंकि वर्तमान खिलाड़ी की दृष्टि का फोकस गलत चीज पर है और नया खिलाड़ी लक्षणों और कार्य-आधारित वर्तमान प्रणाली के विकास पर ध्यान केन्द्रित न कर पूर्णतः कुछ नया करने का प्रयास कर रहा होता है। कुछ मामलों में तो वे कुछ ऐसा प्रस्तुत करते हैं जो अविश्वसनीय तरीके से सस्ता और साधारण हो।

यही सब तो है जो मोबाइल प्रदाता और हैंडसेट विनिर्माता अंततः बैंकिंग क्षेत्र में भुगतान व विप्रेषण के लिए कर रहे हैं।

III. हाल ही के गठबंधन

भारत और विदेशों की मोबाइल उद्योग की लगभग सभी बड़ी कंपनियां प्रमुख वित्त क्षेत्र में उत्तरने के लिए उतावली हो

रही हैं जिसके लिए वे किसी भी वित्तीय संस्था या बैंक के साथ गठबंधन कर रही हैं। हाल ही में कई रोचक गठबंधनों की घोषणा हुई है:

- क.** भुगतान और मोबाइल के बीच लिंक के लिए माइक्रोसॉफ्ट, नीयर फ़िल्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज (एनएफसी), स्काइप और नोकिया के गठबंधन बहुत चर्चा में हैं। गूगल भुगतान सेवा के लिए लोगों की भर्ती कर रहा है और आई-ट्यून्ज पर एप्पल के 200 मिलियन कार्डधारक इस उद्योग-जगत में संभावित खेल की दिशा बदलने वाले हैं।
- ख.** भारत में मोबाइल मनी सेवाओं में आरबीआई द्वारा अनुमोदित नोकिया मनी प्रोजेक्ट की बहुत चर्चा होती है। आधिकारिक तौर पर येस बैंक द्वारा लांच की गई नोकिया तथा ओबोपे द्वारा संचालित यह सेवा मोबाइल बैंकिंग की संपूर्ण सेवा प्रदान करती है। उपयोग के आधार पर वे दो प्रकार के खाते उपलब्ध करवाएंगे। पहला खाता “ईजी पे” कहलाता है जो फोन खाते की रीचार्जिंग और यूटिलिटी बिलों के भुगतान जैसी आधारभूत सेवाओं के लिए होता है। दूसरे खाते को “ईजी सेंड” कहते हैं जिसके माध्यम से धन भेजा जा सकता है। धन प्राप्त करने वाले के पास भी ऐसा खाता होता है।
- ग.** आइडिया, टाटा, एचएसबीसी और एतिसलात का संयुक्त उद्यम यूएई से केरल (भारत) त्वरित गति व आसानी से धन विप्रेषण के लिए प्रस्ताव कर रहा है। मोबाइल सेवा प्रदाता आइडिया सेल्यूलर ने भारतीय दूरभाष कंपनी टाटा कम्युनिकेशन्स के साथ मिलकर एक पायलट लांच किया है। मोबाइल ऑपरेटर एतिसलात और एचएसबीसी इंडिया ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल फोन आधारित धन विप्रेषण सुविधा आरंभ की है। यूएई में रह रहे भारतीय एतिसलात की मोबाइल विप्रेषण सेवा के माध्यम से अपने परिजनों को धन अंतरित कर सकते हैं। इसमें टाटा कम्युनिकेशन्स केन्द्रीय धुरी है। एचएसबीसी इंडिया धन अंतरण एवं संवितरण (ट्रांसफर एंड डिसबर्समेंट) के लिए भारत में बैंकिंग

चैनल होगा जबकि यूएई में मशरिक बैंकिंग सहभागी होगा। भारत-यूएई कॉरीडोर पर धन अंतरण सेवा चालू की जाएगी जो यूएई में रह रहे भारतीय एनआरआई समुदाय को कवर करेगी।

- घ.** कार्पोरेशन बैंक, टाटा टेलिसर्विसेस और पेमेट ने मिलकर टाटा पीसीओ के माध्यम से ग्रीन मनी ट्रांसफर लांच किया है। पेमेट का कहना है कि किसी व्यक्ति का किसी स्थान पर बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है अपितु उसे एक ढांचा चाहिए जिसके माध्यम से वह माल और सेवाओं के लिए भुगतान कर सके।
- ड.** मुंबई अवस्थित एफआईएनओ (वित्तीय सूचना नेटवर्क और परिचालन) इस बात पर बल देता है कि शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से धन अंतरण एक ऐसा व्यवसाय है जो आगे चलकर बहुत फले-फूलेगा। 26 राज्यों के 427 जिलों में अपने 50 मिलियन ग्राहकों और 31,000 लेनदेन केन्द्रों के साथ बैंकिंग सहभागियों के रूप में 22 बैंकों और 14 सरकारी सहभागियों के माध्यम से धन विप्रेषित कर रहा एफआईएनओ एक बड़ा मार्केट शेयर हासिल करने का प्रयास कर रहा है।
- च.** मोबाइल धन अंतरण सेवा आरंभ करने हेतु बीएसएनएल ने इंडिया पोस्ट के साथ गठबंधन किया है। इस सेवा में जिस स्थान पर धन प्राप्त किया जाएगा वहाँ के डाकघर में संदेश भेजने हेतु मोबाइल का प्रयोग किया जाएगा, संदेश प्राप्त होते ही वह डाकघर तुरंत संबंधित हिताधिकारी को धन सौंप देगा। यह सेवा केरल, नई दिल्ली और पंजाब की कुछ चुनिंदा जगहों पर आरंभ की जाएगी।
- छ.** उत्तम नगर, नई दिल्ली में स्थित इको के मोबाइल बैंकिंग प्रोजेक्ट में नवंबर 2008 में बिल गेट्स आए थे जिन्होंने विश्व बैंक के गरीबों के सहायतार्थ परामर्शदाता समूह से 1.79 मिलियन डॉलर का दान दिया था। यह निधि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा जुटाई जाती है। अब इको लेनदेन करने के लिए मल्टी मॉडेल

- (यूएसएसडी, एसएमएस, आईवीआर और एप्लीकेशन) एप्रोच उपलब्ध करवाती है, जिसके फलस्वरूप यह सेवा सामान्य से अति उन्नत प्रकार के सभी हैंडसेट पर कार्य करती है। इसके लेनदेन प्लैटफॉर्म का नाम सिंप्लीबैंक है। अपने लांच होने से अब तक इसमें 750 करोड़ रुपए के लेनदेन हुए हैं, दैनिक आधार पर इसका औसत लेनदेन 10 करोड़ रुपए है जिसमें से 3 लाख रुपए का लेनदेन लगभग 1,30,000 ग्राहकों के माध्यम से होता है। भारतीय स्टेट बैंक बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में ईको की सेवाएं ले रहा है तथा यह आईसीआईसीआई बैंक का भी बैंकिंग प्रतिनिधि है।
- ज.** एसबीआई मिनी सेविंग्स बैंक एकाउंट के साथ भारतीय स्टेट बैंक ने अपने खातेदारों को जमा और धन आहरण के वित्तीय लेनदेन विभिन्न एसबीआई ईको ग्राहक सेवा केन्द्रों (जैसे स्थानीय किराने, स्टेशनरी के स्टोर, पेट्रोल पंप, पीसीओ और दर्वाइ की दूकानों) पर अपने मोबाइल फोन से करने की सुविधा प्रदान की है। ये केन्द्र बिहार, झारखण्ड तथा दिल्ली के दूर-दराज के इलाकों में स्थित हैं जहाँ निम्न आय वर्ग के लिए नियमित बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होना बहुत ही मुश्किल है।
- झ.** ऐसी ही सेवा प्रदान करने के लिए एयरटेल ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ संयुक्त उद्यम हेतु गठबंधन किया था। एसबीआई ने कहा था कि दोनों कंपनियां इस व्यवसाय में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी और बैंक के साथ यह एकमात्र गठबंधन होगा। किन्तु दिसंबर 2011 में यह कार्य रुक गया क्योंकि आरबीआई को यह आशंका थी कि इक्विटी सहभागिता से एक टेलिकॉम ऑपरेटर बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश पा जाएगा। इसके बाद एयरटेल ने एक्सिस बैंक के साथ सहभागिता की और एक्सिस बैंक द्वारा समर्थित एयरटेल मनी सुपर एकाउंट लांच किया। इसके माध्यम से एयरटेल मोबाइल प्लैटफॉर्म पर बैंक की नो-फ्रिल एकाउंट सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें इन्फोसिस टेक्नॉलॉजी सहभागी है जिसने इसमें

अपने WalletEdge और Finacle Digital Commerce समाधान प्रस्तुत किए हैं।

ञ. वर्तमान में एयरटेल के पास प्रीपेड भुगतान प्रणाली है जिसमें उपयोगकर्ता को एयरटेल मनी में नकदी जमा करने की सुविधा है जिसका उपयोग वे बाद में भुगतान के लिए कर सकते हैं। चूंकि प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रमेंट्स क्लोज्ड लूप सिस्टम हैं, किसी बैंक से गठबंधन के बिना वे नकदी निकाल नहीं सकते हैं।

बैंकों के लिए विचारणीय तथ्य

कुछ समय पहले ओ2 (O2) नामक टेलिकम्यूनिकेशन कंपनी ने यूके में बड़े जोर-शोर से अपना विज्ञापन अभियान चलाया कि वह रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की सहयोगी संस्था नैटवेस्ट के साथ सहभागिता में अपनी कार्ड सेवाएं लांच करने जा रही है। दो वर्ष बाद O2 ने घोषणा की कि वह यूके में पूर्ण रूप से वायरलेस भुगतान सेवा आरंभ करने जा रही है जिसके लिए विनियामक प्राधिकारी से लाइसेंस मिल चुका है और इसका प्रबंधन बैंकरों द्वारा किया जाएगा।

हमारा विचार है कि बैंकों को इन गतिविधियों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जैसे ही मोबाइल कैरियर और मोबाइल हैंडसेट विनिर्माता बैंकिंग व्यवसाय सीख लेंगे तो क्या वे बैंकिंग व्यवसाय बैंकों के पास रहने देंगे?

निष्कर्ष

अब लगभग सभी बैंकिंग और भुगतान संबंधी कार्यशालाओं/सम्मेलनों में मोबाइल बैंकिंग पर विस्तार से चर्चा होती है। बैंकों का अभिमत है कि मोबाइल भुगतान प्रणाली बहुत सस्ती है और इसके माध्यम से उन क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं जहाँ बैंक की शाखाएं नहीं हैं। मोबाइल कैरियर्स, हैंडसेट विनिर्माताओं, रिटेलरों, मर्चेंटों और भुगतान समूहों के साथ त्वरित गति से चर्चाएं और कार्य हो रहे हैं।

तथापि, अधिकांश बैंकों को इन सभी से कोई खतरा महसूस नहीं होता है। खतरा विशेषकर मोबाइल सेवा-प्रदाताओं से है जो इस अवसर को अपने बाजार के लिए बहुत बड़ा आकर्षण मानती हैं और इसमें अपने व्यवसाय के विकास की अनंत संभावनाएं

देखती हैं। कई मोबाइल सेवा-प्रदाताओं ने व्यवसाय के अवसर को भुनाने के लिए या तो प्रमुख बैंकों से गठबंधन कर लिए हैं या वे इस प्रक्रिया में हैं।

इस समय बैंकों और मोबाइल कंपनियों के गठबंधन सुविधा के फलस्वरूप हैं। जैसे ही मोबाइल कंपनियां वित्तीय लेनदेन करने में महारत हासिल कर लेंगी तो कई क्षेत्रों में इन गठबंधनों के टूटने में देर नहीं लगेगी और इनके टूटने की पहल भी मोबाइल कंपनियों की ओर से ही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि संयुक्त उद्यम में जब एक सहभागी को अपने हित में यह व्यवसाय अधिक आकर्षक लगेगा तो वह दूसरे का साथ छोड़ने में भी संकोच न करे।

इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर M-PESA (वोडाफोन की मोबाइल फोन आधारित धन अंतरण सेवा) और कीनिया के मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर सफारीकॉम का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह सभी जानते हैं कि कीनिया में M-PESA को इतनी सफलता मिली कि वह स्वयं एक बैंक के रूप में उभरकर सामने आया जिसने कीनिया में समस्त बैंकिंग समुदाय के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत की है।

कीनिया में प्रतिष्ठित भारतीय बैंक के एक आईटी प्रमुख ने टिप्पणी की है कि अब वह समय आ चुका है जब बैंकों को विचार करना है और यह निर्णय लेना है कि क्या वे मोबाइल कंपनियों से

मोबाइल बैंकिंग सेवा लेंगे अथवा अपना स्वयं का सुपुर्दगी चैनल/प्लैटफॉर्म विकसित करेंगे।

यह ध्यान में रखने की बात है कि एसबीआई ने मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए भारती एयरटेल लि. तथा भारत में पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल तैयार करने के लिए यूएस की 'वीजा इन्क' और 'एलावॉन इन्क' के साथ संयुक्त उद्यम की अपनी दो प्रमुख पहलों पर कार्य बंद कर दिया है। इसका उद्देश्य बैंक का अपना नेटवर्क तैयार करना है। पॉइंट ऑफ सेल वे साधन हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वाइप किए जाते हैं। अब एसबीआई ने अपने स्तर पर समूचे देश में 5 वर्ष में ऐसे 6,00,000 टर्मिनल तैयार करने की योजना बनाई है।

हम इस उद्धरण से यहाँ विराम लेंगे कि बैंकिंग आवश्यकताएं तो हमेशा रहेंगी जिनके लिए मार्केट में बैंक हो भी सकते हैं और नहीं भी।

अब यह बैंकों को निर्णय लेना है कि वे अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर मोबाइल कंपनियों से गठबंधन करते हैं या स्वयं की समेकित और विश्वस्त मोबाइल सुपुर्दगी प्रणाली विकसित करना चाहते हैं।

○○○

आर्थिक परिवेश

आर्थिक परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2012 भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। इस वर्ष लगभग 5 प्रतिशत की संवृद्धि दर दर्ज की गई जो कि एक दशक की अवधि में दर्ज हुई सबसे कम संवृद्धि दर है। एक ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति में धीमी गति से सुधार होने की वजह से संवृद्धि दर कुछ हद तक प्रभावित हुई तो दूसरी ओर 2012 में रूपये के मूल्यहास के चलते निविष्ट लागत को नियंत्रित करने में, विशेष रूप से उच्च मात्रा में आयात करने वाली कंपनियों को, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विनिर्माण क्षेत्र में भारी गिरावट आई और उसमें महज 1.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जबकि पिछले चौदह वर्षों में इतनी कम दर पर कभी वृद्धि नहीं हुई थी। निजी क्षेत्र के उपभोग में भी 4.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज हुई, जो कि पिछले दशक में सबसे कम है। उपभोक्ता

उद्योग, जो हमारे उद्योग क्षेत्र के विकास का प्रमुख चालक है, का निष्पादन काफी निराशाजनक रहा। दिसंबर 2012 में उपभोक्ता सामग्री में वर्षानुवर्ष आधार पर 4.5 प्रतिशत की गिरावट आई। यह 2009 के बाद आई सबसे अधिक गिरावट है।

तथापि, कुछ क्षेत्रों का निष्पादन उत्साहवर्धक भी रहा। वर्ष 2012 में वार्षिक एफडीआई का स्तर सर्वोच्च रहा। वार्षिक खाद्य उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज हुई। दिनांक 18 दिसंबर 2012 तक की स्थिति के अनुसार एफआईआई से ₹1181 बिलियन राशि का अंतर्वाह हुआ जो कि अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे बड़ा अंतर्वाह है। नीतिगत सुधारोपायों और निवेशक अनुकूल निर्णय लिए जाने पर दीर्घावधिक जीडीपी लक्ष्यों को अब भी हासिल किया जा सकता है।

हाल के वर्षों में तेज़ी से हुए औद्योगिक विकास तथा शहरीकरण के चलते आवासीय, व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए सम्पत्तियों की मांग में आशातीत वृद्धि हुई है फलस्वरूप इनके मूल्य आसमान छूने लगे हैं। सम्पत्तियों

की मांग में वृद्धि, खरीद फरोखत में बिचौलियों का अत्यधिक हस्तक्षेप तथा विक्रेताओं द्वारा सम्पत्तियों के स्वत्व से संबंधित भ्रामक जानकारी देने के कारण इन सौदों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगने लगे हैं। साथ ही, भारी कमीशन के चलते बिचौलिये किसी भी विवादित या झगड़े वाली सम्पत्ति का सौदा क्रेता को करवा देते हैं। बाद में जब क्रेता को यह पता चलता है कि सम्पत्ति का मालिक कोई और है या वह सम्पत्ति विवादित है, तो क्रेता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्रेता न केवल ऐसे सौदों से ठगा जाता है बल्कि वह अपनी गाढ़ी कमाई से भी हाथ धो लेता है।

प्रस्तुत लेख में किसी सम्पत्ति को खरीदने से पहले उसके स्वत्व की जांच तथा लेन-देन आदि में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में चर्चा की गयी है।

सम्पत्ति का स्वत्व : स्वत्व या टाइटल एक विधिक शब्द है जिसका अर्थ है अचल सम्पत्ति पर मालिकाना हक अथवा स्वामित्व। स्वत्व वह अधिकार है जिसके अंतर्गत मालिक अपनी अचल सम्पत्ति का निस्तारण/अन्तरण किसी भी प्रकार से करने का अधिकारी होता है। सम्पत्ति के स्वत्व की जांच/खोजबीन सम्पत्ति से संबंधित सबसे पुराने दस्तावेजों, जो सम्पत्ति के सबसे पहले मालिक के पास मौजूद थे, से शुरू होती है और यह उन दस्तावेजों (chain of title) पर आकर रुकती है जो कि सम्पत्ति के वर्तमान मालिक के पक्ष में निष्पादित हैं। सिंडिकेट बैंक बनाम स्टेट अधिकारी, ए.आई.आर 2007 एस.सी. 3169 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि ऐसा व्यक्ति, जिसके पक्ष में उस सम्पत्ति का स्वत्व या टाइटल नहीं है, उस सम्पत्ति के स्वत्व का हस्तान्तरण नहीं कर सकता।

स्वत्व की जांच

परवेज अख्तर

सहायक महाप्रबंधक (विधि), सिडबी
प्रधान कार्यालय, लखनऊ

सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55 के अनुसार सम्पत्ति के स्वत्व में यदि कोई कमी होती है और विक्रेता द्वारा उसका उल्लेख सम्पत्ति विक्रय के समय नहीं किया जाता है तो ऐसा अंतरण कपटपूर्वक तथा दोषपूर्ण अंतरण कहलाता है। परन्तु, ऐसे अंतरण को कपटपूर्वक/दोषपूर्ण ठहराने से पूर्व यह देखना आवश्यक होता है कि क्या क्रेता द्वारा वे कमियाँ आसानी से पता लगाई जा सकती थीं। यदि हां, तो ऐसा अंतरण कपटपूर्वक तथा दोषपूर्ण नहीं कहलाता है।

सम्पत्ति का मालिकाना हक किसी भी व्यक्ति को मुख्यतः निम्न प्रकार से प्राप्त होता है:

1. उत्तराधिकार (Inheritance and Succession) और
2. अन्तरण (Transfer)

यहां पर इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अनुसार किसी अचल सम्पत्ति का अंतरण लीज़ यानि पट्टा, विक्रय, विनियम, गिफ्ट तथा वसीयत के माध्यम से हो सकता है।

सम्पत्ति के स्वत्व की जांच

किसी सम्पत्ति के स्वत्व की जांच उसके मालिकाना हक का पता लगाने के लिए की जाती है। सम्पत्ति के स्वत्व की जांच किसी सिविल अधिवक्ता, जो कि इन मामलों का विशेषज्ञ हो, के माध्यम से ही कराई जानी चाहिए। क्रेता को चाहिए कि वह सम्पत्ति से जुड़े सारे दस्तावेजों की प्रतियाँ विक्रेता से प्राप्त कर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उनका प्रारंभिक परीक्षण करवा ले। प्रारंभिक परीक्षण में अधिवक्ता दस्तावेजों की जांचकर यह पता लगाता है कि सम्पत्ति से संबंधित सारे दस्तावेज़ उपलब्ध हैं तथा उनमें कोई कमी आदि तो नहीं है। यदि अधिवक्ता उन दस्तावेजों में कोई कमी पाता है तो

वह विक्रेता को कमी की पूर्ति करने को कहता है। स्वत्व की जांच से पहले अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसने सम्पत्ति से जुड़े सारे दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त कर ली हैं और वे सामान्यतः सही/पूर्ण हैं।

सम्पत्ति का विपणनयोग्य स्वत्व (Marketable title to the property)

सम्पत्ति के विपणनयोग्य स्वत्व का तात्पर्य किसी भी सम्पत्ति का स्वत्व संदेह से परे होने से है। यदि किसी सम्पत्ति के मालिकाना हक के संबंध में कोई वाद न्यायालय में चल रहा होता है तो यह कहा जा सकता है कि उस सम्पत्ति का स्वत्व संदेह के घेरे में है। सम्पत्ति के विपणनयोग्य होने के लिए उसके मालिकाना हक पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए।

स्वत्व की जांच कितने वर्षों के लिए की जाए यह इस बात पर निर्भर करता है कि सम्पत्ति कब और किससे अर्जित की गयी है और वह किस प्रकार (Types of property) की है। सामान्यतः सम्पत्ति के स्वत्व की जांच 30 वर्ष पूर्व की अवधि के लिए की जाती है परन्तु कुछ सम्पत्तियों के मामलों में यह जांच 13 वर्ष पूर्व की अवधि के लिए भी की जा सकती है। अधिवक्ता द्वारा जांच में स्वत्व की विगत 30 वर्षों/13 वर्षों के पंजीकृत सौदों/अन्तरण से संबंधित कड़ियों को मिलाकर यह पता लगाया जाता है कि सम्पत्ति के मालिकाना हक का अन्तरण विधि के अनुसार हुआ है और सम्पत्ति का विक्रेता ही उस सम्पत्ति का वास्तविक मालिक है।

1. सम्पत्ति के स्वत्व की जांच – पहला चरण

उप-पंजीयक कार्यालय में दस्तावेजों की जांच :
उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) के कार्यालय में सम्पत्ति तथा अन्य संबंधित मामलों के पंजीयन के सारे रिकार्ड रखे जाते हैं। सम्पत्ति के स्वत्व की जांच के पहले चरण में अधिवक्ता उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) द्वारा निर्धारित शुल्क अदा कर सम्पत्ति के पंजीयन से संबंधित रिकार्ड की जांच करता है।

अधिवक्ता उप-पंजीयक, जिसके क्षेत्राधिकार में सम्पत्ति स्थित है, के कार्यालय से यह पता करता है कि पिछले 30 वर्षों/ 13 वर्षों के मालिकाना हक से संबंधित अन्तरण के सारे रिकार्ड उपलब्ध हैं, समुचित स्टांप शुल्क,

पंजीयन शुल्क आदि अदा किया गया है तथा सम्पत्ति के अन्तरण, जिसमें कि विक्रेता के पक्ष में अन्तरण भी शामिल है, से संबंधित सारे अन्तरण विधिवत रूप से पंजीकृत हैं। साथ ही अधिवक्ता विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराए गये दस्तावेजों का मिलान भी उप-पंजीयक के अभिलेखों से करता है। कुछ मामलों में यह देखा गया है कि यदि स्टांप शुल्क तथा पंजीयन शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण/पुनरीक्षण होना होता है या इससे संबंधित कोई वाद प्रलम्बित होता है तो ऐसी परिस्थिति में उप-पंजीयक सम्पत्ति का पंजीयन तो कर देता है परन्तु साथ में यह टिप्पणी भी लगा देता है कि यदि इन दरों में पुनर्निर्धारण अथवा वाद के समापन पर कोई बढ़ोतरी होती है तो उसका भुगतान क्रेता/विक्रेता को नियमानुसार करना होगा।

उपर्युक्त तथ्यों की जांच के साथ-साथ अधिवक्ता पंजीयन से संबंधित रिकार्ड की जांच में सम्पत्ति पर किसी बैंक/संस्था के पक्ष में पंजीकृत बंधक, भार आदि के बारे में भी पता करता है। उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीयन से संबंधित रिकार्ड की जांच में अधिवक्ता यह सुनिश्चित करता है कि सम्पत्ति विक्रेता के पक्ष में विधिवत पंजीकृत है और सभी बंधक, भार आदि से मुक्त है।

2. सम्पत्ति के स्वत्व की जांच – द्वितीय चरण

झगड़ों-टंटों, अन्य दावेदारों, देनदारियों व अन्य भारों आदि की जांच : सम्पत्ति के स्वत्व की जांच के द्वितीय चरण में अधिवक्ता यह पता लगाता है कि क्या सम्पत्ति समस्त झगड़ों-टंटों, अन्य दावेदारों, देनदारियों व अन्य भारों आदि से मुक्त है?

जैसा कि ऊपर कहा गया है, सम्पत्ति का मालिकाना हक किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार [Inheritance and Succession] के माध्यम से भी प्राप्त होता है। चूंकि उत्तराधिकार के माध्यम से हुए अंतरण के लिए किसी डीड या विलेख का निष्पादन तथा पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है अतः ऐसे मामलों का रिकार्ड संबंधित उप-पंजीयक के कार्यालय में नहीं रखा जाता

है। तथापि, उत्तराधिकारी को संबंधित म्युनिसिपल रिकार्ड में सम्पत्ति पर अपने मालिकाना हक (सम्पत्ति का वह हिस्सा जो उसे उत्तराधिकार में मिला है) का नामान्तरकरण [Mutation] करवाना आवश्यक होता है। सामान्यतः यह पाया गया है कि उत्तराधिकार के अधिकतर मामलों में जटिल प्रक्रिया के चलते उत्तराधिकारी अपने पक्ष में नामान्तरकरण नहीं करवाते हैं फलस्वरूप सम्पत्ति पूर्व मालिकों के नाम पर ही बनी रहती है अतः ऐसी सम्पत्ति से संबंधित झगड़ों-टंटों, अन्य दावेदारों आदि का पता नहीं चल पाता है। उत्तराधिकार से संबंधित झगड़ों के बारे में जानने तथा सम्पत्ति से संबंधित विभिन्न दावों, भार, बंधक आदि का पता लगाने के लिए अधिवक्ता अखबारों में सम्पत्ति के क्रय/विक्रय से संबंधित विज्ञापन/नोटिस देता है। स्थानीय अखबार में ऐसे विज्ञापन/नोटिस देने का लाभ यह होता है कि अधिकतर मामलों में अधिवक्ता को उस सम्पत्ति से संबंधित झगड़े-टंटों, बंधक, ग्रहणाधिकार, भार आदि के बारे में पता चल जाता है।

इसके अतिरिक्त यदि सम्पत्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित है या सम्पत्ति के दावेदारों/साझेदारों में आपस का कोई झगड़ा किसी न्यायालय में चल रहा है तो ऐसे झगड़ों का पता लगाने के लिए अधिवक्ता संबंधित न्यायालयों, जो कि ऐसे वादों का मिस्तारण करते हैं, का दौरा कर संबंधित रजिस्ट्रार/अधिकारी से चर्चा कर किसी वाद के लंबित होने के बारे में जानकारी हासिल करता है। साथ ही, अधिवक्ता संबंधित न्यायालयों द्वारा प्रतिदिन जारी वाद सूची का भी अध्ययन करता है। इंटरनेट के युग में आज अधिकतर न्यायालय आन-लाइन हो गये हैं तथा वादों से संबंधित अधिकतम जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने लगे हैं। अधिवक्ता संबंधित न्यायालयों की वेबसाइट पर सर्च आप्शन में जाकर किसी भी केस या वाद के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है।

यदि सम्पत्ति का मालिक कोई कम्पनी (कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत) है और वह

कम्पनी सम्पत्ति को बेच रही है तो अधिवक्ता रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज़ के कार्यालय का दौरा कर उस कम्पनी के रिकार्ड का अवलोकन करता है तथा यह पता लगाता है कि क्या कम्पनी ने उस सम्पत्ति पर कोई भार सृजित किया था या है। यदि रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज़ के रिकार्ड में सम्पत्ति पर कोई भार दर्ज है तो अधिवक्ता उसको खारिज करने के लिए विक्रेता को कहता है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत राज्य/केन्द्र सरकार को जनहित में भूमि के अर्जन का अधिकार होता है। इसके लिए राज्य/केन्द्र सरकार समाचार पत्रों में इस आशय का गजट नोटिफिकेशन जारी करते हैं। गजट नोटिफिकेशन में इस बात का उल्लेख होता है कि किस स्थान की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। चूंकि भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्यवाही महीनों/वर्षों तक चल सकती है अतः क्रय की जाने वाली सम्पत्ति के बारे में राज्य/केन्द्र सरकार के संबंधित विभाग में यह पता लगाना आवश्यक होता है कि नोटिफिकेशन में क्रय की जाने वाली सम्पत्ति शामिल नहीं है। सामान्यतः यह जानकारी उप-पंजीयक के कार्यालय में भी उपलब्ध होती है फिर भी अधिवक्ता संबंधित विभाग का दौरा कर यह जानकारी हासिल कर सकता है।

3. सम्पत्ति के स्वत्व की जांच - तृतीय चरण

राज्य/स्थानीय सरकार के कर/देयताओं आदि से संबंधित जांच : सम्पत्ति के स्वत्व की जांच के तृतीय चरण में अधिवक्ता यह पता लगाता है कि क्या विक्रेता पर राज्य/स्थानीय सरकार का कोई देय/कर/शुल्क आदि तो नहीं बकाया है?

र्तमान कानून में इस तरह का प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार के कोई देय जैसे कि बिक्री कर, सम्पत्ति कर आदि विक्रेता पर बकाया हैं तो वे समस्त देय सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार माने जाते हैं। इन देयों की वसूली के लिए राज्य सरकार सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर उन्हें बेच भी सकती है। अतः राज्य/स्थानीय सरकार के ऐसे बकाया देयों का भी पता लगाया जाना आवश्यक होता है। राज्य/

स्थानीय सरकार के देयों का पता लगाने के लिए अधिवक्ता संबंधित विभागों के कार्यालय का दौरा कर उस सम्पत्ति के संबंध में वस्तु स्थिति/बकाया देयों आदि के बारे में पता लगा सकता है।

4. सम्पत्ति के स्वत्व की जांच - चतुर्थ चरण

सम्पत्ति का दौरा कर स्थिति, कब्ज़ा आदि की जांच : सम्पत्ति के स्वत्व की जांच के चतुर्थ चरण में अधिवक्ता सम्पत्ति का दौरा कर यह पता लगाता है कि क्या सम्पत्ति विक्रेता के वास्तविक कब्ज़े में है?

कानून की दृष्टि में सम्पत्ति पर मालिकाना हक के अतिरिक्त कब्ज़े का बहुत महत्व है। विधि में अक्सर कहा जाता है कि "**Possession is nine points of law**" जिसका तात्पर्य यह है कि कब्ज़े के मामले में उन हर दस बिन्दुओं में से नौ बिन्दु कब्ज़े के होते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सम्पत्ति पर मालिकाना हक होने के बावजूद सम्पत्ति पर कब्ज़ा किसी दूसरे व्यक्ति का होता है। यद्यपि ऐसे कई मामले हो सकते हैं जिनमें मालिकाना हक किसी अन्य के पास और कब्ज़ा किसी और के पास। उदाहरण के लिए किराएदारी का मामला। परन्तु यदि सम्पत्ति बिना किसी इकरारनामे/दस्तावेज़ के और बिना मालिक की सहमति के किसी दूसरे के कब्ज़े में होती है तो ऐसी सम्पत्ति का स्वत्व संदेह में होता है। स्वत्व की जांच में सम्पत्ति का कब्ज़े में होना अति महत्वपूर्ण है। अतः अधिवक्ता सम्पत्ति का दौरा कर यह सुनिश्चित करता है कि सम्पत्ति का कब्ज़ा विक्रेता के पास है और वह उसके उपभोग/उपयोग में है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता उस सम्पत्ति की चौहदी (Boundaries) का सत्यापन कर वहां आस-पास रह रहे लोगों से भी सम्पत्ति के मालिकाना हक तथा कब्ज़े के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। सम्पत्ति तक पहुंचने के लिए यथोचित सड़क/रास्ते का होना भी आवश्यक है। बिना यथोचित सड़क/रास्ते के सम्पत्ति के उपभोग/उपयोग का प्रश्न नहीं उठता। अतः अधिवक्ता सम्पत्ति का दौरा कर यह भी सुनिश्चित करता है कि क्रय की जाने वाली सम्पत्ति की

चौहदी यथोचित प्रकार से की गयी है और विक्रेता का उस पर अविवादित कब्ज़ा है।

5. सम्पत्ति के स्वत्व की जांच – पंचम चरण

उपर्युक्त चरणों के माध्यम से विभिन्न बिन्दुओं पर जांच करने के पश्चात अधिवक्ता स्वत्व से संबंधित निम्न बिन्दुओं का भी परीक्षण करता है;

- i. क्या सम्पत्ति किसी अविभाजित हिन्दू परिवार की है?
- ii. क्या सम्पत्ति में किसी अवयस्क का हित शामिल है?
- iii. क्या सम्पत्ति के विक्रय पर किसी भी प्रकार का अवरोध है?
- iv. क्या सम्पत्ति किसी जनहित उद्देश्य के लिए तो आरक्षित नहीं है?
- v. क्या सम्पत्ति कृषियोग्य है अथवा आवासीय है?
- vi. क्या सम्पत्ति (बिल्डिंग/घर) का नक्शा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित है?

अधिवक्ता से सम्पत्ति का स्पष्ट तथा विपणनयोग्य स्वत्व संबंधी प्रमाण पत्र/रिपोर्ट मिलने के बाद तथा यह सुनिश्चित करने के बाद कि विक्रेता द्वारा सम्पत्ति का उचित मूल्य लगाया गया है, सम्पत्ति को क्रय करने के लिए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कोई अग्रिम भुगतान विक्रेता को करना है तो उसके लिए इकरारनामा करना चाहिए। बेहतर यह होगा कि सम्पत्ति की खरीद के लिए इकरारनामा कर उसका पंजीकरण करवाया जाए। जहां तक संभव हो सम्पत्ति के मूल्य का भुगतान किस्तों में चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से ही किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के लेनदेन का रिकार्ड रहता है। सामान्यतः 40-50% भुगतान पेशागी व शेष विक्रय विलेख (सेल डीड) निष्पादित करते समय किया जाता है परन्तु क्रेता परिस्थिति के अनुसार भुगतान की अवधि व शर्तें निश्चित कर सकता है। आवश्यक यह होता है कि विक्रय विलेख (सेल डीड) का निष्पादन भुगतान करते ही कर लेना

चाहिए और यह सब विक्रेता पर नहीं छोड़ना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि विक्रय विलेख (सेल डीड) करते समय विक्रेता से सम्पत्ति से संबंधित मूल दस्तावेज़ (Parent documents) ले लेने चाहिए ताकि उनका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न किया जा सके। विक्रय विलेख (सेल डीड) का पंजीकरण होने के पश्चात म्युनिसिपल/सम्पत्ति अभिलेखों में क्रेता के नाम का नामान्तरकरण करवाना बिलकुल भी नहीं भूलना चाहिए।

अंत में, यद्यपि स्वत्व की जांच से संबंधित प्रक्रिया/चरण अत्यन्त दुरुह और समय खपाने वाली है फिर भी

यदि स्वत्व की जांच विधिवत तरीके से की जाए तो धोखाधड़ी और पैसों की बरबादी से काफी हद तक बचा जा सकता है।

(यद्यपि इस लेख में स्वत्व की जांच से संबंधित सभी मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की गयी है परन्तु फिर भी यह राज्य/स्थानीय सरकार के नियम/कानून और सम्पत्ति के प्रकार पर निर्भर करता है कि स्थानीय अधिवक्ता द्वारा स्वत्व की जांच में अन्य किन बिन्दुओं को शामिल किया जाए)

०००

मोबाइल बैंकिंग सेक्यूरिटी लैब (एमबीएसएल) की स्थापना

मोबाइल बैंकिंग सेक्यूरिटी लैब (एमबीएसएल) की स्थापना मोबाइल बैंकिंग और इससे जुड़ी सुरक्षा के क्षेत्र में सामने आ रही चुनौतियों का समाधान दृढ़ने में सहायता करने तथा बैंकों एवं अनुसंधान व विकासपरक गतिविधियों के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

मोबाइल बैंकिंग सेक्यूरिटी लैब का उद्घाटन डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक और कुलाध्यक्ष, आईडीआरबीटी ने 3 अगस्त 2012 को किया; इस अवसर पर श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक और अध्यक्ष, आईडीआरबीटी; श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक और श्री जी. पद्मानाभन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक भी उपस्थित थे।

एमबीएसएल के उद्देश्य

- मोबाइल संचार, मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल सेक्यूरिटी जैसे क्षेत्रों पर प्रायोगिक अंतर्दृष्टि रखते हुए आईडीआरबीटी की अनुसंधान व विकास संबंधी गतिविधियों में सहयोग देना,
- शोधकर्ताओं, छात्रों तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के सहभागियों को मौजूदा एमबीएस मॉडलों,

फ्रेमवर्कों, उत्तम कार्यपद्धतियों और सामने आ रही चुनौतियों से रू-ब-रू कराने हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना,

- एमबीएस अनुप्रयोगों हेतु एक परीक्षण माहौल तैयार करना तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को उनकी एमबीएस अपेक्षाओं के संबंध में समाधान प्रदान करना,
- मोबाइल बैंकिंग एवं उसकी सेक्यूरिटी के संबंध में ग्राहक शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना,
- बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को नीतिगत ढांचे, तकनीकी मार्गदर्शन, परीक्षण, मूल्यांकन आदि के संबंध में परामर्श देना,
- मोबाइल फोनों पर किए जाने वाले छलकपटपूर्ण हमलों और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से की जाने वाली धोखाधड़ियों का विश्लेषण कर समाधान प्रदान करना।

स्रोत : आईडीआरबीटी का न्यूज़ लेटर ‘फास्ट फार्वर्ड’, दिसंबर 2012 अंक।

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह ‘अनिश्चितता से भरी मानसिकता’ ही मानी जाएगी कि एक ओर जहाँ देश की लाखों की संख्या में कार्यशील जनसंख्या ‘बेरोजगारी’ अथवा ‘अर्द्ध बेरोजगारी की स्थितियों’ का सामना कर रही है, वहीं वर्ष 2012-13 के आम बजट में

“महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम/योजना (मनरेगा)” के तहत आबंटित धनराशि में पिछले वर्ष की तुलना में 17.5 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। बजट 2012-13 में यह शायद सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रांतर्गत अकेला कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें आबंटन में कमी की गई हो। क्या यह प्रदर्शित करता है कि ‘मनरेगा’ की क्षमता या सामर्थ्य के साथ समझौता कर लिया गया है? इसमें कोई संदेह नहीं कि विभिन्न राज्यों में ‘मनरेगा’ के तहत संचालित कार्यों में क्रियान्वयन एजेंसियों (विशेषकर ग्राम-पंचायतों) की अदूरदर्शिता, लाभार्थियों तथा सामान्य ग्रामीणों की ‘मनरेगा के सभी प्रावधानों के विषय में अज्ञानता, 60:40 की अनिवार्य रूप से अनुपालनीय बाध्यता’, ‘ग्राम-सभाओं की बैठकों में पूर्ण अनुमोदनों के पश्चात् भी ‘स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन’ हेतु प्राक्कलित धनराशियों के काफी विलम्ब से उपलब्ध कराए जाने की प्रवृत्तियों आदि के परिणामस्वरूप ‘लोकापेक्षा के अनुरूप’ समय पर स्तरीय एवं सराहनीय ‘मूलभूत संरचनात्मक निर्माण कार्यों’ का अभाव रहा है। ग्राम-सभा की बैठकों में किसी वित्तीय वर्ष विशेष के लिए ‘स्वीकृत कार्यों की सूची’ में से भी पंचायत स्तर पर कार्य कराने के लिए सूचीबद्ध कुछ ‘क्रियान्वयन एजेंसियाँ’ कुछ ऐसे मूलभूत संरचनात्मक कार्यों को अंजाम नहीं देना चाहतीं, जिनमें प्रयुक्त होने वाली कुछ सामग्रियों (यथा - ईट, बालू, सीमेंट, मिट्टी या ढुलाई व्यय आदि) की पूर्वपिक्षा बढ़ चुकी हो। योजनाओं के ‘ग्राम-सभाओं की बैठकों’ में कार्य-सूची में सम्मिलित किए जाने के उपरांत ‘स्वीकृत अनुमानित व्यय’ से सामग्रियों की दरों में वृद्धि हो जाने पर ‘क्रियान्वयन एजेंसियाँ’ तब तक उन कार्यों को आरंभ नहीं करतीं, जब तक संबंधित क्षेत्रों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले लोगों द्वारा ‘अनुमानित घाटे

मनरेगा : राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय प्रदर्शन का अभाव

डॉ. राजीव कुमार सिन्हा

रिसर्च एसोसिएट, ‘एग्रो-इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर फॉर बिहार एण्ड झारखण्ड’, ति. मा० भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

की राशि’ उन्हें अदा नहीं कर दी जाती। ‘मनरेगा’ की क्रियान्वयन पद्धति में व्याप्त यह तकनीकी कमजोरी इसके मूलभूत संरचनात्मक विकास पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को कम करता है।

श्रमिक उदासीनता

विभिन्न राज्यों (विशेषकर बिहार) में अलग-अलग सरकारी निर्देशों ने ‘मनरेगा कार्यों’ को बाधित किया है। काम समय पर न होने से मजदूरों को रोजगार या तो ‘माँगानुसार’ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या जब उपलब्ध होते भी हैं, तो उन दिनों कृषि क्षेत्र अथवा अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में मजदूरी दर अपेक्षाकृत अधिक होने के परिणामस्वरूप ‘मनरेगा जॉब कार्डधारी’ श्रमिक ‘मनरेगा कार्यों’ में सेवा देने को प्राथमिकता प्रदान नहीं करते। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिकों के चिंताजनक ढंग से ‘नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन’ को नियंत्रित या कम कर पाने में ‘मनरेगा’ की अपेक्षित भूमिका एवं योगदान स्वतः सीमित हो जाते हैं।

उल्लेखनीय कार्याभाव : राष्ट्रीय परिदृश्य

‘मनरेगा’ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ‘स्वीकृत कार्यों की सूची’ से विकास तथा मूलभूत संरचनात्मक कार्यों (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) को मूर्त रूप दिए जाने में होने वाले परिव्ययों की बढ़ी राशि के बावजूद ‘राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार योग्य कोई कार्य परिलक्षित नहीं होना ‘कार्य स्तर के प्रति क्रियान्वयन एजेंसियों’ की उदासीनता को दर्शाता है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2010-11 के दौरान ‘मनरेगा’ के अंतर्गत 5,631 करोड़ रुपये व्यय किए गए, परंतु राज्य में इस योजना के तहत कोई सराहनीय कार्य परिलक्षित नहीं हुआ। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, वर्ष 2010-11 की अवधि में भारत के

आधे राज्यों में से किसी भी राज्य से ‘मनरेगा’ के तहत अच्छे कार्यनिष्पादन हेतु पंचायतों को दिए जाने वाले पुरस्कार हेतु कोई भी ‘ग्राम-पंचायत’ नामित नहीं हो सकी। बिहार राज्य से भी अच्छे कार्य के लिए कोई नामांकन नहीं हो सका जहाँ राज्य सरकार क्रियान्वयन में सुधार करने की दिशा में प्रयासरत है तथा 2,664 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2006 में ‘केंद्र सरकार’ द्वारा लागू किए गए “‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (नरेगा)’” के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने हेतु ‘वार्षिक बजट आबंटन’ 40,000 करोड़ रुपयों का था। इसके तहत ‘बेहतर कार्य-प्रदर्शन करने वाले पंचायत’ को यूपीए अध्यक्षा (श्रीमती सोनिया गांधी) एवं माननीय प्रधान मंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) द्वारा 2 फरवरी 2012 को पुरस्कार दिया जाना था। परंतु इस संबंध में हतोत्साहित करने वाली बात यह है कि अंतिम तिथि के बढ़ाए जाने तथा उसकी भी अवधि समाप्त हो जाने के बाद केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पुरस्कार हेतु 72 नामांकन प्राप्त किए गए। अब मंत्रालय इन नामांकनों की वितरित जॉब कार्ड्स, उपलब्ध करवाए गए कार्य-दिवस, संपन्न कार्य, पारिश्रमिक-भुगतान, सामाजिक अंकेक्षण तथा कार्य-स्थलीय सुविधाओं का परीक्षण जैसे मानदंडों पर जाँच करके अपनी अनुशंसाओं सहित प्रतिवेदन ‘केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय’ को भेजेगा।

उपर्युक्त संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि ‘नरेगा कार्यक्रम’ को सफल बनाते हुए ‘ग्राम स्तरीय संस्थाओं (पी.आर.आई.)’ द्वारा किए जाने वाले स्तरीय नरेगा संबंधित कार्यों को विशेष पहचान दिलाकर उत्साहवर्धन के उद्देश्य से ‘ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार’ द्वारा यह ‘पुरस्कार’ वर्ष 2009-10 के लिए आरंभ किया गया। हालाँकि वर्ष 2010-11 में ‘अल्पावधि सूचना’ के कारण राज्यों द्वारा इस दिशा में कोई विशेष काम नहीं किया जा सका, परंतु, इस बार संबंधित अधिकारियों द्वारा पुरस्कार हेतु अच्छी संख्या में नामांकन प्राप्ति की उम्मीद है। सरकार द्वारा ‘मनरेगा’ के अंतर्गत उत्तम कार्यों को पुरस्कार प्रदान करने हेतु मांगे गए नामांकनों के प्रेषण के विषय में कई ‘स्मरण-पत्र’ दिए जाने के बावजूद राज्यों द्वारा जवाब निराशाजनक ही रहा। तमिलनाडु द्वारा कुछ प्रस्ताव अवश्य भेजे गए थे। एक ओर जहाँ हरियाणा तथा राजस्थान द्वारा 9 ग्राम पंचायतों को नामांकित किया गया, वहीं झारखण्ड राज्य द्वारा एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका। आंध्रप्रदेश द्वारा पाँच नामांकन

प्रेषित किए गए, जो अस्वीकृत कर दिए गए। असम तथा उत्तराखण्ड राज्यों की भी यही स्थिति है। हजारों करोड़ रुपये ‘नरेगा’ हेतु आबंटित किए जाने के बावजूद यदि स्तरीय कार्यों की इतनी कमी रहेगी, तो देश के विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र में ‘जन-सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले ‘मूलभूत संरचनात्मक विकास’ की क्या अवस्था एवं दिशा होगी? आवश्यकता इस बात की है कि ‘मनरेगा’ को सिर्फ 100 दिनों के रोजगार गारंटी अधिनियम’ के रूप में नहीं देखा जाए, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन को और अधिक आरामदायक तथा आसान बनाने के उद्देश्य से ‘संबंधित क्षेत्रों में माँग एवं आवश्यकतानुरूप’ स्तरीय तथा टिकाऊ ‘मूलभूत संरचनात्मक कार्यों’ को ईमानदारी से अंजाम दिया जाए।

व्याप्र अनियमितताएं

बिहार जैसे राज्य में ‘मनरेगा’ के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों तथा ‘भुगतान प्रक्रिया’ में व्याप्र कुछ कमजोरियों की बात करें, तो यहाँ के ‘बाँका’ जिले में अधिकांश पंचायतों में मजदूरों के जॉब कार्ड पर ‘मुखिया’ तथा ‘पंचायत रोजगार सेवक (पीआरएस)’ कुंडली जमाए हुए हैं। वे स्थानीय डाकघरों के कर्मचारियों की ‘कार्य के प्रति उदासीनता’ या मिलीभगत से जॉब कार्ड पर कार्य दिखाकर राशि उठा लेते हैं। इस तरह के मामलों का खुलासा तब होता है, जब पिछले किसी माह में कुछ दिन किए गए कार्य के एवज में ‘जॉब कार्डधारियों’ को अपने पारिश्रमिक के पैसे की जरूरत होती है। इस जिले में प्रतिवेदित कुछ संदर्भों में जॉब कार्ड में इच्छानुसार ‘मजदूरी का दिन’ व राशि भर दी जाती है। तत्पश्चात उक्त राशि उठा ली जाती है। जॉब कार्ड से कितनी राशि कब उठा ली जाती है, इसका पता मजदूरों को भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उन तिथियों में ‘मनरेगा’ के तहत काम ही नहीं किया था। ऐसे मजदूरों को जॉब कार्ड रखने के एवज में कुछ राशि थमा दी जाती है। ‘मनरेगा’ की इन खामियों को हर कीमत पर दूर किए जाने की जरूरत है।

बेहतर कार्य-परिणाम के उपाय

मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक अगले वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले कार्यों की ‘ग्राम-सभा’ की आम-सभा की बैठकों में बहुमत से स्वीकृति के उपरान्त ‘ग्राम-पंचायत’, ‘प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समितियों’ तथा ‘जिला-परिषद स्तर पर बनने वाली त्रि-स्तरीय कार्यसूचियों’ में सम्मिलित सभी मूलभूत संरचनात्मक

कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों तथा अन्य व्ययों का अनुमान (आकलन) अगले एक वर्ष के बाजार-मूल्यों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इस प्रकार ‘आकलित राशियों’ को तकनीकी रूप से अनुमोदित सभी कार्यों के लिए पूर्ण रूप से अग्रिम रूप में ‘मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी’ तथा ‘ग्राम-पंचायतों’ को उपलब्ध करवा दिया जाना चाहिए। साथ-ही-साथ, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए तीनों स्तरों की स्वीकृत कार्य-सूची में अंकित सभी निर्माण कार्यों की ‘आरंभ करने की तिथियाँ’ तथा ‘उनके पूर्ण किए जाने की संभावित अवधियाँ’ भी लिखित रूप में घोषित कर दी जानी चाहिए। घोषित कैलेंडर के अनुसार कोई भी कार्य नहीं होने पर अथवा निर्धारित मानदंड से कम स्तरीय काम होने पर ग्राम पंचायत के सभी जिम्मेदार प्रतिनिधियों तथा क्रियान्वयन एजेंसियों को भारी आर्थिक जुर्माना लगाकर तथा अन्य प्रकार से दंडित किए जाने की नीति बनानी होगी। जॉब कार्डधारियों के पलायन को रोकने तथा उन्हें मनरेगा कार्यों के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से उनके पारिश्रमिक की दरों को बढ़ाकर अन्य क्रियाकलापों में दी जाने वाली पारिश्रमिक की वर्तमान दरों के लगभग या उससे थोड़ा ही कम रखना होगा।

‘मनरेगा’ को अधिक कारगर ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनों की आजीविका में वास्तविक रूप में वृद्धि करने वाला कार्यक्रम बनाने के लिए जॉब कार्ड्स को अनिवार्य रूप से धारकों के पास रहने देने की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए समय-समय पर

‘सक्षम पदाधिकारियों’ द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करवाना होगा। ‘जॉब कार्डधारियों का खाता’ डाकघरों के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की निकटतम शाखाओं में खुलवाए जाने को प्राथमिकता दी जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सभी बैंकों के लिए इस आशय का सख्त निर्देश जारी किया जाए कि ‘मनरेगा’ या अन्य सरकारी कार्यक्रमों के तहत खोले गए लाभार्थियों के बैंक खातों में संबंधित विभागों द्वारा जमा की गई राशियों का भुगतान ‘खातेदारों’ द्वारा चेक अथवा विद्वाअल द्वारा माँगे जाने पर उनके हस्ताक्षरों अथवा अँगूठे के निशानों का डिजिटल/कम्प्यूटरीकृत मिलान करने के बाद ही किया जाए।

स्थानीय या विश्वविद्यालयों के स्तरों पर उपलब्ध ग्रामीण अर्थशास्त्र/कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्रों/ग्रामीण विकास/ग्रामीण प्रबंधन के संकाय सदस्यों के दल द्वारा विशेष ‘जागरूकता अभियान’ चलाकर जॉबकार्डधारियों को मनरेगा के सभी प्रावधानों के विषय में बताया जाना चाहिए।

ऊपर वर्णित उपायों को योजनाबद्ध ढंग से अपनाए जाने पर ‘मनरेगा’ द्वारा सच्चे अर्थों में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सकारात्मक ढंग से कायाकल्प होगा और यही समय की माँग भी है।

○○○

भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत दरें *

बैंक दर	:	8.50 प्रतिशत
रेपो दर	:	7.50 प्रतिशत
रिवर्स रेपो दर	:	6.50 प्रतिशत
आरक्षित अनुपात *		
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)	:	4.00 प्रतिशत
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)	:	23.0 प्रतिशत

* 4 अप्रैल 2013 को।



निजी क्षेत्र में नए बैंक लाइसेंस दिए जाने हेतु दिशानिर्देश जारी

भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नए बैंकिंग लाइसेंस दिए जाने के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। रिजर्व बैंक के इस कदम से कारोबारी घरानों के बैंकिंग क्षेत्र में उत्तरने का रास्ता साफ हो गया है। इन दिशानिर्देशों की खास बातें इस प्रकार हैं -

- निजी क्षेत्र के निकाय/समूह, सार्वजनिक क्षेत्र के निकाय और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-परिचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के जरिए बैंक स्थापित कर सकेंगे।
- नए बैंकों के लाइसेंस के लिए आवेदन देने वाले निकाय का विगत का रिकॉर्ड साफ-सुधरा होना चाहिए। 10 वर्ष का सफल ट्रैक रिकॉर्ड होने के साथ ही उसे वित्तीय रूप से दुरुस्त होना चाहिए।
- अंतिम दिशानिर्देशों के मुताबिक बैंक खोलने के लिए प्रारंभिक चुकता वोटिंग इक्विटी पूँजी ₹500 करोड़ होगी।
- लाइसेंस दिए जाने की तारीख से पहले पांच साल तक नए बैंकों में अनिवासी शेयरहोल्डिंग अधिकतम 49 फीसदी तक हो सकेगी।
- नए बैंक को कारोबार शुरू करने के तीन साल के अंदर अपने शेयर को सूचीबद्ध कराना होगा, जबकि पहले इसके लिए दो साल का प्रावधान करने की बात कही गई थी।
- पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-परिचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के पास बैंक की न्यूनतम 40 फीसदी इक्विटी पूँजी रखनी होगी और इसके लिए पांच साल की लॉक-इन अवधि होगी। हालांकि कारोबार शुरू होने के 10 साल के अंदर इसे घटाकर 20 फीसदी

घूमता आईना

के.सी. मालपानी

प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

और 12 साल के अंदर इसे घटाकर 15 फीसदी करना होगा।

- एनओएफएचसी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तौर पर रिजर्व बैंक के पास पंजीकरण कराना होगा और इसमें कम से कम 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक होंगे।
- इसके अलावा एनओएफएचसी को रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले कॉरपोरेट गवर्नेंस/विवेकपूर्ण मानदंडों संबंधी दिशा-निर्देशों का भी पालन करना होगा।
- नए बैंकों को अपनी कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं ऐसे ग्रामीण केंद्रों में खोलनी होंगी जहां कोई बैंक नहीं है और जहां की आबादी 10,000 से कम है।
- नए बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन इस साल 1 जुलाई 2013 तक स्वीकार किए जाएंगे।
- पहले चरण में आवेदनों की रिजर्व बैंक द्वारा छानबीन की जाएगी। इसके बाद उसे उच्च स्तरीय सलाहकार समिति के पास भेजा जाएगा। इस समिति के गठन की घोषणा भी जल्दी ही की जाएगी। समिति अपनी सिफारिश रिजर्व बैंक को सौंपेगी और सिद्धांततः बैंक स्थापित करने की मंजूरी रिजर्व बैंक द्वारा दी जाएगी।

सीटीएस 2010 चेक के लिए डेडलाइन बढ़ी

रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा है कि ग्राहकों के पास बचे हुए सभी नॉन-सीटीएस-2010 चेक 31 जुलाई 2013 तक वैध रहेंगे और सभी समाशोधन गृहों में स्वीकार किए जाएंगे। इस बारे में जून 2013 में समीक्षा की जाएगी। रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे एसएमएस अलर्ट, पत्रों, शाखाओं/एटीम पर डिस्प्ले बोर्ड, इंटरनेट बैंकिंग में लॉग-ऑन मेसेज और वेबसाइट पर नोटिस के जरिए इस बारे में जागरूकता फैलाएं ताकि डेडलाइन

को पूरा किया जा सके। इससे पहले भी दिसंबर 2012 में रिज़र्व बैंक ने सीटीएस-स्टैंडर्ड वाले चेक जारी करने की डेडलाइन को तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2013 कर दिया था। रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र में बैंकों से यह भी कहा है कि इस परिपत्र को जारी किए जाने की तारीख अर्थात् 18 मार्च 2013 से बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले सभी चेक हर हाल में सीटीएस-2010 मानक आधारित ही होने चाहिए।

यह भी कहा गया है कि जहां ईसीएस/आरईसीएस (डेबिट) की सुविधा उपलब्ध है वहां ऋणदाता बैंक आगे से नए पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी)/समानीकृत मासिक किस्त (ईएमआई) चेक (पुराने या नए सीटीएस 2010, किसी भी प्रारूप में) स्वीकार न करें और ऐसे स्थानों पर ऋणदाता बैंक, उधारकर्ताओं से नए मैटेट प्राप्त कर मौजूदा पोस्ट डेटेड चेकों (पीडीसी) को ईसीएस/आरईसीएस (डेबिट) में परिवर्तित करने के भी प्रयास करें।

देश में खुला पहला महिला डाकघर

सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश में पहला महिला डाकघर नई दिल्ली में खोला गया। राष्ट्रीय राजधानी के शास्त्री भवन में खुले इस डाकघर में सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। नए डाकघर का परिचालन पूरी तरह से महिला कर्मचारी करेंगी और अन्य डाकघरों में दी जाने वाली सभी सेवाएं यहां उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर डाक विभाग की सचिव सुश्री पी. गोपीनाथ का यह भी कहना था कि इस प्रकार का डाकघर हर महानगर में खोलने की विभाग की योजना है और बाद में इसे उन सभी बड़े शहरों में खोला जाएगा जहां कामकाजी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। शुरू में ऐसा डाकघर खोलने के लिए मुंबई, चेन्नै, चंडीगढ़, लखनऊ, हैदराबाद और बैंगलूरु की पहचान की गई है। ज्ञात हो, वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में अक्तूबर के अंत तक महिला बैंक स्थापित करने की भी घोषणा की गई है।

पीपीएफ सहित डाकघर की अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती

डाकघर की अल्प बचत योजनाओं और पीपीएफ खातों में पैसा रखने वाले करोड़ों लोगों को 01 अप्रैल 2013 से अपनी जमा राशि पर कम दर पर ब्याज मिलेगा। सरकार ने इन पर ब्याज दर में 0.10 फीसदी की कटौती कर दी है। लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) की ब्याज दर 8.8 फीसदी से घटाकर 8.7

फीसदी कर दी गई है। वहीं, पांच साल और 10 साल की परिपक्ता अवधि वाले राष्ट्रीय बचत पत्रों पर क्रमशः 8.5 फीसदी और 8.8 फीसदी ब्याज मिलेगा जो पूर्व के ब्याज से 0.10 फीसदी कम है। वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर 9.3 फीसदी के बजाय 9.2 फीसदी रहेगी। इसके अलावा, पांच साल की परिपक्ता अवधि वाली मासिक आमदनी योजना पर 8.4 फीसदी ब्याज मिलेगा।

हालांकि, डाकघरों द्वारा चलाई जाने वाली बचत जमा योजनाओं और एक साल तक की सावधि जमाओं पर ब्याज दरें क्रमशः 4 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत के मौजूदा स्तर पर अपरिवर्तित रखी गई हैं। ये ब्याज दरों संपूर्ण वित्त वर्ष 2013-14 के लिए प्रभावी रहेंगी। ब्याज दरों में यह बदलाव पिछले साल सरकार द्वारा किए गए निर्णय के तहत किया गया है जिसमें उसने अल्प बचत योजनाओं की ब्याज दरों को बाजार की दर से जोड़ने का निर्णय किया था।

भारतीय स्टेट बैंक को सरकार से मिले ₹ 3,004 करोड़

सरकारी बैंकों की रि-कैपिटलाइजेशन योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को सरकार से ₹ 3,004 करोड़ का अतिरिक्त पूँजी सहयोग दिया गया है। इसके बाद एसबीआई में सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 62.31 फीसदी पर पहुंच गई है। इससे पहले तक बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 61.58 फीसदी के स्तर पर थी।

सरकार ने बैंक में यह पूँजी निवेश 1.29 करोड़ इकीटी शेयरों के अधिमान्य आबंटन के जरिए किया है। सरकार को ये शेयर ₹ 2,312.78 के भाव पर दिए गए हैं। इस राशि के मिलने से स्टेट बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा तय पूँजीगत पर्याप्ति मानकों को पूरा करने में सफल हो सकेगा। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के एक दर्जन के करीब बैंकों में ₹ 14,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का निवेश करने जा रही है। यह समूची कवायद बैंकों के कोर कैपिटल अनुपात को बढ़ाने के मकसद से की जा रही है, ताकि वे बासेल-III दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।

शहरी सहकारी बैंकों को 31 दिसंबर 2013 तक सीबीएस लागू करना होगा

रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को 31 दिसंबर 2013 तक अपनी सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) लागू करने को कहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया

है कि बहुत कम शहरी सहकारी बैंकों ने ही अब तक सीबीएस को लागू किया है। इसलिए, सभी शहरी सहकारी बैंकों को 31 दिसंबर 2013 से पहले अपनी सभी शाखाओं में सीबीएस लागू करने की सलाह दी जाती है। रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा है कि समय सीमा के भीतर सीबीएस लागू करने में विफल रहने वाले बैंकों को शाखाओं का विस्तार करने या परिचालन क्षेत्र का विस्तार करने जैसी विभिन्न सुविधाएं देने से मना किया जा सकता है।

रिज़र्व बैंक ने विदेशी उधारी नियमों को बनाया उदार

रिज़र्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) नियमों को उदार बनाते हुए कहा है कि कंपनियां अपने खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों की जांच लंबित रहने की स्थिति में भी स्वतः मंजूर मार्ग से विदेशी बाजारों से धन जुटा सकती हैं। रिज़र्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि मौजूदा नियमों के तहत सभी इकाइयों को बाह्य वाणिज्यिक उधारी जुटाने की मंजूरी देने का फैसला किया गया है; बेशक उनके खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों की जांच चल रही हो। ईसीबी दिशानिर्देशों में उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी किसी कंपनी को, जिसकी प्रवर्तन निदेशालय या अन्य किसी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जांच चल रही है, स्वतः मंजूर मार्ग से विदेशी वाणिज्यिक उधारी जुटाने की अनुमति नहीं थी।

एफआईआई को सरकारी, कॉरपोरेट बॉण्ड गिरवी रखने की इजाजत

शेयर बाजारों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की पहल करते हुए नियामक सेबी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को शेयर बाजारों में नकदी और डेरिवेटिव सौदों में सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बॉण्डों को गिरवी रखने की पेशकश हेतु अनुमति दी है। अभी तक एफआईआई को डेरिवेटिव खंड में नकदी और एए रेटिंग वाली विदेशी प्रतिभूतियों की और नकदी खंड में नकदी, एए रेटिंग वाली विदेशी प्रतिभूतियों और सरकारी प्रतिभूतियों की गिरवी की पेशकश करने की अनुमति थी।

सेबी द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है, ‘एफआईआई को नकदी और डेरिवेटिव खंडों में सौदों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट बॉण्डों, नकदी एवं एए रेटिंग वाली विदेशी सावरेन प्रतिभूतियों की गिरवी की पेशकश हेतु अनुमति दी जाती है।’

रेढ़ी होंगे 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन

रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई. वी. रेढ़ी को 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन हर पांच साल में किया जाता है।

इस आयोग को केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व साझेदारी पर सुझाव देने होंगे। साथ ही बिजली, पानी और सार्वजनिक परिवहन जैसी आम जरूरत की चीजों की कीमतों को तय करने के लिए भी तरीका सुझाना होगा जिससे वे नीतिगत उतार-चढ़ाव के फेर में न फंसें।

योजना आयोग के सदस्य अभिजित सेन, पूर्व वित्त सचिव सुषमा नाथ, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के निदेशक एम. गोविंद राव और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से जुड़े सुदीप मंडल भी इस आयोग का हिस्सा होंगे। लोक वित्त मामलों के महारथी माने जाने वाले 71 वर्षीय रेडी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं।

आयोग को अगले साल अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और उसकी सिफारिशें अप्रैल 2015 से अमल में आएंगी। संवैधानिक प्रावधानों के तहत गठित किया जा रहा यह आयोग विनिवेश, जीएसटी मुआवजे, गैर-वरीय सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री और सब्सिडी जैसे मसलों पर भी सुझाव पेश करेगा। इसके अलावा, आयोग पेजयल, सिंचाई, बिजली और सार्वजनिक परिवहन के लिए उचित दरों के लिए वैधानिक प्रावधानों का खाका भी पेश करेगा।

अब कलर कोड से जानें म्यूच्युअल फंड में कितना है रिस्क

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) आम निवेशकों के लिए म्यूच्युअल फंड के जरिए इकिटी बाजार में निवेश की राह और आसान करते हुए फंड चलाने वाली कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल कर निवेशकों को यह बताएं कि उनके फंड में निवेश करने में उन्हें कितना जोखिम उठाना पड़ेगा। सेबी ने जोखिम के स्तर को अभिव्यक्त करने लिए बाकायदा एक कलर कोड भी जारी किया है। इसके तहत कम जोखिम वाले फंडों के लिए नीला रंग, मध्यम जोखिम के लिए पीला और अधिक जोखिम वाले फंडों के लिए भूरा रंग इस्तेमाल किया जाएगा। इस कलर कोड को लागू करने के लिए सेबी ने 1 जुलाई 2013 की तारीख निर्धारित की है।

सेबी के निर्देश के मुताबिक म्यूच्युअल फंड हाउसों को ऑफर के आवेदन पत्र के पहले पत्रे पर इन रंगों का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा कॉमन एप्लीकेशन फार्म और विज्ञापनों में भी फंड हाउसों को इन रंगों का इस्तेमाल करना होगा। सेबी ने नए म्यूच्युअल फंडों के साथ-साथ बाजार में पहले से मौजूद म्यूच्युअल फंडों पर भी यह कलर कोड लागू करने को कहा है।

ब्रिक्स देशों द्वारा विकास बैंक के गठन पर सहमति

उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सशक्त समूह ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने हाल ही में आयोजित सम्मेलन में नए विकास बैंक की स्थापना करने का फैसला किया। ब्रिक्स देशों ने आपातकालीन ऋण संकट के समय आपस में मदद के लिए 100 अरब डालर के आर्थिक कोष की व्यवस्था किए जाने पर भी सहमति जताई। इस सम्मेलन में ब्रिक्स व्यावसायिक परिषद शुरू करने का भी फैसला किया गया, ताकि सदस्य देशों की कंपनियों के बीच व्यापार, निवेश तथा सहयोग को और प्रोत्साहित किया जा सके। अलग-अलग महाद्वीपों के इन देशों के समूह के शीर्ष नेताओं की बैठक में इस आशय की सहमति बनी। ब्रिक्स बैंक बनाने के बारे में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों के प्रस्ताव को बैठक में स्वीकार किया गया। बैठक के बाद जारी एक बयान में नेताओं का कहना था कि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि एक नए विकास बैंक की स्थापना का प्रस्ताव व्यावहारिक है और उसे चलाया जा सकता है।

उन्होंने कहा, ‘हम मानते हैं कि विकासशील देशों को ढांचागत सुविधाओं के विकास में मुश्किलें आती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त दीर्घावधि ऋण और खासकर पूँजीगत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अभाव का सामना करना पड़ता है।’

यद्यपि नए विकास बैंक के गठन के फैसले की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन बैठक में प्रस्तावित बैंक की पूँजी के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री बैंक की पूँजी और अन्य मुद्दों पर सितंबर 2013 तक विचार-विमर्श कर प्रस्ताव तैयार करेंगे।

राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम (आरजीईएसएस)

वित्त वर्ष 2012-13 के बजट में घोरेत् पूँजी बाजार में छोटे निवेशकों की बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम, 2012 (RGESS) की

घोषणा की गई थी, जिसका विधिवत आरंभ 9 फरवरी 2013 को केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा किया गया।

यह स्कीम केवल उन लोगों के लिए है, जो पहली बार शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं और जिनके पास अभी तक कोई डीमैट खाता नहीं था या जिन्होंने इस स्कीम की अधिसूचना जारी होने तक इक्विटी या डेरिवेटिव खंड में कोई लेन-देन नहीं किया है। राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के तहत सालाना 10 लाख रुपये या इससे कम आमदनी वाला व्यक्ति अधिकतम 50,000 रुपये तक का निवेश ब्लू चिप, सरकारी कंपनियों के शेयरों में सीधे या म्यूच्युअल फंड के जरिये कर सकता है। इस निवेश पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सीसीजी के तहत 50 फीसदी कर छूट का लाभ मिलेगा। यह कर छूट आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत दी गई 1 लाख रुपये के निवेश पर मिलने वाली कर छूट के अलावा होगी।

इस स्कीम के निवेश दायरे में NSE के 'CNX-100' या 'BSE-100' में से शामिल कंपनियों अथवा ऐसी पीएसयू कंपनियों को शामिल किया गया है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा महारत्न, नवरत्न या मिनीरत्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन शेयरों में निवेश करने वाले ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) और म्यूच्युअल फंड भी इस स्कीम के दायरे में आएंगे।

अन्य कर बचत स्कीमों की भांति इस स्कीम के जरिए किए जाने वाले निवेश में तीन साल की लॉक-इन अवधि होगी। हालांकि, निवेशकों को कुछ शर्तों के अधीन एक वर्ष के बाद शेयरों में ट्रेड करने की इजाजत होगी। स्कीम के तहत निवेशक जितनी राशि पर कर छूट का दावा करेंगे, उतना इनवेस्टमेंट लेवल उन्हें दो साल तक बनाए रखना पड़ेगा। अगर कोई निवेशक स्कीम की शर्तों का पालन करने में नाकाम रहता है तो टैक्स छूट का लाभ वापस ले लिया जाएगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ने वर्ष 2013-14 का बजट पेश करते हुए राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम में निवेशकों की ऊपरी आय सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने का ऐलान करते हुए इसे और आकर्षक बना दिया है। साथ ही, इस स्कीम के तहत कर छूट का लाभ अब निवेशकों को तीन साल की अवधि तक मिल सकेगा।

देश की प्रगति में समाज के हर तबके का योगदान अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में केवल बड़े पैमाने के उद्योग ही नहीं, अपितु छोटे आकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम) उद्योगों की भागीदारी प्रमुख साबित होती रही है। मिसाल के तौर पर बड़ी-बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों के लोकप्रिय मॉडलों को सब जानते हैं, जबकि उनमें प्रयुक्त पुर्जे कई ऐसी कंपनियों, जिनके साथ मूल कंपनी ने करार किया हो, द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं, जहां कई लोग कार्य करते हैं। इन कंपनियों से असंख्य लोगों को रोज़गार का अवसर प्राप्त होता है जिससे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, समष्टि स्तर पर देखा जाए तो ऐसी संस्थाओं की वजह से देश के निर्यात की मात्रा में इजाफा होने के परिणामस्वरूप चालू खाता घाटे से जूझ रही अर्थव्यवस्था को काफी हद तक राहत भी मिलती है। इन्हें तिरस्कृत करने से अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा होने की आशंका है और ध्यातव्य हो कि इससे अस्थिरता की दुर्दशा पैदा हो सकती है। आज इस क्षेत्र के महत्व को विश्व भर में मान्यता मिली है। यह क्षेत्र उद्यमवृत्ति को बढ़ावा देता है और इससे वैयक्तिक सृजनात्मकता एवं नवोन्मेष को प्रोत्साहन मिलता है। स्वरोज़गार हेतु प्रेरित किए जाने से युवा वर्ग को अपने हुनर और ज्ञान का सही मायने में प्रयोग करने का अवसर मिलता है। हाल ही में भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस क्षेत्र को अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाएं तैयार कर प्रोत्साहित किया है।

समीक्षाधीन पुस्तक रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय तिमाही हिंदी पत्रिका, बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन के एमएसएमई विशेषांक का ग्रंथ रूप है। इसमें चयनित विषय समसामयिक है और सभी लेखकों ने अद्यतन जानकारी, तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत कर विषय का आपादमस्तक विश्लेषण किया है। इसमें एक ओर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की गतिशीलता, स्वरूप और विशेषताओं का बारीकी से वर्णन किया गया है, वहीं इस क्षेत्र के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई है।

इसकी प्रस्तावना में संपादक-द्वय ने इस क्षेत्र के महत्व, देश के जीडीपी में इसके योगदान, हमारे देश में इसके विकास के चरणों तथा बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के उद्योगों की अन्योन्याश्रितता

पुस्तक समीक्षा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम – विविध आयाम

संपादक: डॉ. रमाकांत गुप्ता

सावित्री सिंह

प्रकाशक - आधार प्रकाशन, पंचकूला

मूल्य : ₹300

पृष्ठ संख्या- 200

आदि की रूपरेखा प्रदान कर पाठक में पूरी पुस्तक पढ़ने की उत्सुकता जगा दी है। पुस्तक में कुल सत्रह अध्याय हैं। पहले अध्याय में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की भारतीय व अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में परिभाषा प्रस्तुत की गई है तथा इनके समक्ष आने वाली चुनौतियों और उन्हें दूर करने के उपायों को रेखांकित किया गया है। दूसरा अध्याय एमएसएमई अधिनियम, 2006 पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस क्षेत्र के कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डालता है। तीसरे, चौथे और पांचवें अध्यायों में लेखकों ने अर्थव्यवस्था की उन्नति में इस क्षेत्र की भूमिका, इससे प्राप्त होने वाले लाभ और इसके विकास हेतु गठित विभिन्न कार्यदलों का विशद वर्णन किया है। छठे अध्याय में क्लस्टर मॉडल के स्वरूप व विशेषताओं और इस दिशा में सरकार द्वारा तय किए गए मानदंडों, विकास कार्यक्रम के विभिन्न चरणों का सांगोपांग विवेचन किया गया है।

किसी संस्था का अस्तित्व और अस्मिता उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर निर्भर करती है। प्रतिस्पर्धा की होड़ में अपने-आप को सक्षम बनाने हेतु अधुनातन जानकारी व कौशल की आवश्यकता होती है। इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में प्रशिक्षण का महत्व अकाट्य है। एमएसएमई के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण व कौशल विकास पर प्रकाश डाला गया है सातवें अध्याय में। इसके अलावा, इस दिशा में की गई विभिन्न संस्थागत पहलों का भी उल्लेख किया गया है। आठवें अध्याय में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत क्यर उद्योग का विशेष रूप से परिशीलन करते हुए क्यर के इतिहास, उसके प्रसंस्करण में यंत्रीकरण के लाभ तथा इसके निर्यात की स्थिति का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। नौवें व दसवें अध्यायों में एमएसएमई विकास हेतु स्थापित विभिन्न संस्थाओं

और बैंकों की भूमिका तथा मौजूदा नीति का भी वर्णन किया गया है। इसी क्रम में यारहवें अध्याय में एमएसएमई क्षेत्र के विकास में सिडबी के प्रयासों व पहलकदमियों तथा सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में इसकी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

एमएसएमई के संचालनार्थ पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति मुख्य रूप से बैंक ऋणों से की जाती है। किंतु किसी अपरिचित व अज्ञात उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने से वित्तीय संस्थाएं मुंह मोड़ लेती हैं और इस प्रकार के वित्तपोषण में उनकी दस्तावेजी प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए इन उद्योगों की क्रेडिट रेटिंग के महत्व को बारहवें अध्याय में उजागर किया गया है। यह क्रेडिट रेटिंग ऋणदाता बैंक और ऋणग्राही उद्योग दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे उद्योगों की वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है जिससे बैंकों को ऋण की मंजूरी के संबंध में निर्णय लेने में सहायता मिलती है, परिणामतः वित्तपोषण की प्रक्रिया सरल हो जाती है। साथ ही, बैंकों को भी यह जानकारी मिल जाती है कि वे किसी उद्योग विशेष को ऋण प्रदान कर कितना जोखिम उठाने वाले हैं। तेरहवें अध्याय में एमएसएमई क्षेत्र को बैंक ऋण की प्राप्ति और तत्संबंधी कठिनाइयों के अलावा, बैंकों द्वारा उठाए गए सार्थक कदमों का उल्लेख किया गया है। चौदहवें अध्याय में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित ऋणों के लिए उपलब्ध ऋण गारंटी निधि योजना से अवगत कराया गया है और इस कार्य हेतु स्थापित सीजीएफटी एवं उसकी गतिविधियों की जानकारी भी दी गई है।

पंद्रहवां अध्याय एमएसएमई पर उदारीकरण के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डालता है। हमारे देश में उदारीकरण के उपरांत एमएसएमई के लिए कई नए अवसर खुल गए हैं, वहीं बाज़ार में प्रतिस्पर्धा की होड़ भी बढ़ गई है। बहु राष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के पश्चात् देशी कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, किंतु ऐसी बड़ी कंपनियों के उत्पादन में सहयोग करते हुए कई नई देशी कंपनियां खुर्लीं। इस विषम स्थिति का सामना करने के लिए इन उद्यमों के लिए शुरू की गई विपणन सहायता योजना और इन्हें बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में व्यापक रूप से इसमें चर्चा की गई है।

आयात और निर्यात अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक तत्व होते हैं। इतिहास गवाह है कि पौराणिक काल में भी वस्तु विनियम

पद्धति अपनाकर हमारे पूर्वजों ने कारोबार किया है जब माल के परिवहनार्थ पर्याप्त साधन तक मौजूद नहीं थे। वैज्ञानिक व तकनीकी विकास के चलते आज दुनिया के किसी एक कोने से दूसरे कोने तक माल की आवाजाही द्रुत गति से हो रही है और अंतरदेशीय दूरी कम हो गई है। संप्रति, कोई वस्तु या सेवा किसी स्थान-विशेष तक सीमित नहीं रह गई। घर बैठे-बैठे ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खरीद-फरोख्त की जा रही है और विदेशी सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा है। लोगों के जीवन स्तर उन्नत होने के चलते आयातित वस्तुओं की खपत बढ़ी है। यह अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक स्थिति है। किंतु निर्यात की मात्रा और आयात की मात्रा की खाई बढ़ने से चालू खाता घाटा पैदा हो जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में असंतुलन बढ़ जाता है। गौरतलब है कि इस प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए देशी उत्पादनों में मात्रात्मक व गुणात्मक सुधार आवश्यक है। साथ ही, निर्यात की मात्रा को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। इसलिए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना ज़रूरी है। इस मसले पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतिम अध्याय में इस क्षेत्र के निर्यात की स्थिति विभिन्न आरेखों एवं सांख्यिकीय विवरणों व तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट की गई है। साथ ही, निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों पर प्रकाश डाला गया है। अंत में सुलभ संदर्भ हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का हिंदी पाठ यथावत् प्रस्तुत किया गया है।

यह पुस्तक देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण अंग नामतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र पर विभिन्न लेखकों द्वारा किए गए विशद वर्णन का एक संकलित रूप है। समग्रतः इस पुस्तक का लक्ष्य समूह वित्तीय व अकादमिक संस्थाएं हैं, जहां अध्ययन व अध्यापन की दृष्टि से यह अत्यंत उपयोगी है ही, वहीं इसमें प्रयुक्त सहज व बोधगम्य भाषा तथा उच्च कोटि का संपादन इस पुस्तक की उपादेयता के दायरे को और बढ़ा देता है।

● एच. पंद्रीनाथ

सहायक प्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

०००

लेखकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूँजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :

- सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है।
- उसमें दी गई जानकारी उपयोगी और अद्यतन है एवं अधिकतम 8 टंकित पृष्ठों में है।
- लेख यदि संभव हो तो आकृति/यूनिकोड फांट में rajbhashaco@rbi.org.in और/अथवा savitrisingh@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर भेजने की व्यवस्था की जाए।
- वह कागज़ के एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित है।
- यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया है और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हैं।
- यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और ‘बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन’ में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
- लेख में शामिल आंकड़ों, तथ्यों आदि के संबंध में स्रोत का स्पष्ट उल्लेख करें।
- प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि जब तक लेख संबंधी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

प्रकाशकों से

जो प्रकाशक अपनी पुस्तक की समीक्षा करवाना चाहते हैं
वे कृपया अपनी पुस्तक की दो प्रतियां भिजवाने की व्यवस्था करें।

पाठकों से

इस पत्रिका को आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना अनुरोध लिखित रूप में ‘कार्यकारी संपादक, बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन’ को भेजना होगा। आपका फार्म मिलते ही आपका नाम डाक सूची में शामिल कर लिया जाएगा और तदनंतर आपको पत्रिका अगले दो वर्ष तक मिलती रहेगी। दो वर्ष समाप्त होने के पूर्व आप अपनी सदस्यता को नवीकृत कर लिया करें ताकि पत्रिका निरंतर मिलती रहे। आपसे अनुरोध है कि अपने सहयोगियों को भी यह जानकारी प्रदान करें तथा अपनी मांग से हमें तत्काल अवगत कराएं ताकि हम तदनुसार प्रतियों का मुद्रण कर सकें। पुराने पाठक कृपया पत्राचार करते समय अपनी सदस्यता संख्या का उल्लेख अवश्य करें।

- पाठकों की प्रतिक्रियाओं का हमें सदैव इंतजार रहता है।

- सुझाव आमंत्रित हैं -

अक्टूबर-दिसंबर 2013 - विशेषांक

जैसाकि सभी पाठक जानते हैं इस पत्रिका का अक्टूबर-दिसंबर अंक विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाता है जो किसी विशिष्ट विषय (थीम) पर आधारित होता है। हमारे द्वारा अब तक नीचे दिए गए विषयों पर विशेषांक प्रकाशित किए जा चुके हैं -

- सूचना प्रौद्योगिकी (वर्ष 2001)
- जोखिम प्रबंधन (वर्ष 2002)
- लाभप्रदता (वर्ष 2003)
- कॉरपोरेट गवर्नेंस एवं मानव संसाधन (वर्ष 2004)
- रिटेल बैंकिंग और मार्केटिंग (वर्ष 2005)
- भुगतान और निपटान प्रणाली (वर्ष 2006)
- ग्रामीण और विकासोन्मुख बैंकिंग (वर्ष 2007)
- वित्तीय समावेशन (वर्ष 2008)
- विश्वव्यापी आर्थिक संकट (वर्ष 2009)
- सहकारी बैंकिंग (वर्ष 2010)
- एमएसएमई (वर्ष 2011)
- पूँजी पर्याप्तता एवं बासेल मानक (वर्ष 2012)

इस वर्ष प्रकाशित किए जाने वाले अक्टूबर-दिसंबर 2013 विशेषांक के लिए विषय का चुनाव किए जाने हेतु हमने पाठकों से सुझाव आमंत्रित करने का निश्चय किया है। पाठकों से अनुरोध है कि वे अपने पंसदीदा वित्तीय, आर्थिक और बैंकिंग विषय/यों से हमें पत्र या ई-मेल द्वारा 31 मई 2013 तक अवगत कराएं। हमारा पता है - कार्यकारी संपादक, बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन, भारतीय रिजर्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई - 400018

ई-मेल पता : rajbhashaco@rbi.org.in या savitrisingh@rbi.org.in

बैंकिंग शब्दावली


वित्तीय क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा शब्दावली में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंकिंग शब्दावली एक ऐसा शब्दकोश है जिसमें बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयुक्त हिंदी शब्दों का चयन किया गया है। 288 पृष्ठ वाले इस कोश का मूल्य 80.00 रुपए (डाक व्यय अतिरिक्त) है। इसे प्राप्त करने हेतु निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है:

निदेशक, रिपोर्ट समीक्षा और प्रकाशन (बिक्री अनुभाग)

आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक


अमर भवन, फोर्ट, मुंबई - 400 001



भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित
नवीनतम हिन्दी पुस्तक
**‘सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम -
विविध आयाम’**

मूल्य : 300/- रुपये
पुस्तक मिलने का पता

मै. आधार प्रकाशन प्रा. लि.
एस.सी.एफ. 267, सेक्टर 16
पंचकुला (हरियाणा)



इस अंक के प्रकाशन में राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक प्रबंधक (राजभाषा) श्री एच. पंद्रीनाथ का सहयोग प्राप्त हुआ।

पंजीकरण संख्या - 47043/88

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विषयों पर प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें

- जोखिम प्रबंधन – एक विवेचन**
- बैंकों में लाभप्रदता***
- बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस**
- रिटेल बैंकिंग और मार्केटिंग*
- भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली*
- ग्रामीण और विकासोन्मुख बैंकिंग*
- वित्तीय समावेशन के विविध आयाम*
- विश्वव्यापी आर्थिक संकट – एक विवेचना*
- सहकारी बैंकिंग: संगठन और स्वरूप*
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम – विविध आयाम*

*** संस्कार साहित्य माला, 7, कृष्णा विहार, टाटा कम्पाऊंड, इर्ला ब्रिज, एस. वी. रोड, अंधेरी (प.), मुंबई - 400 058 के पास बिक्री हेतु उपलब्ध

** निदेशक रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन (बिक्री अनुभाग) आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई - 400 001 के पास बिक्री हेतु उपलब्ध

*आधार प्रकाशन प्रा. लि., एस. सी एफ. 267, सेक्टर 16, पंचकूला, 134 113 (हरियाणा) के पास बिक्री हेतु उपलब्ध